लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

[खंड 13 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 27, बुधवार, 19 अप्रैल, 1972/30 चैत्र, 1894 (शक)

No- 27, Wednesday, April 19, 1972/Chaitra 30, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
S. Q. No.		
461. पश्चिम बंगाल राज्य में विषमताएं	Int-State Disparities in West Bengal...	1-6
463. हस्त चालित टेलीफोन केन्द्र पद्धति का जारी रखना	Continuance of Manual Telephone Exchange System ...	6-7
464. मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में डाकू समस्या के निराकरण के लिये सर्वोदय नेता की सेवा का उपयोग	Utilisation of Sarvodaya Leader's Services for Solving Dacoity Problem in Madhya Pradesh, Rajasthan and U. P. ...	8-11
467. दिल्ली का राजनीतिक ढांचा	Political set up of Delhi ...	11-12
468. पिछड़ी जातियों के लोगों की भर्ती के लिये नियमों का पुनरीक्षण	Revision of Rules for Recruitment of Backward Classes ...	12-17
470. डाक तार विभाग के अधिकारियों का सेवागत टेलीफोन कालों का अधिकार	P. & T. Officers' Entitlement to Service- Calls ...	17-18
471. उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने के लिए रियायतें	Concessions Offered for Shifting of Industries in Backward Areas...	19-22
472. लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Laccadive Islands ...	22-23

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. No.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
462. डाक बचत बैंक खाते के स्थानांतरण में विलम्ब	Delay in Transfer of Postal Savings Bank Account ...	23-24
465. परमाणु संयंत्रों के लिये अमरीका से कच्चे माल की आमद में कमी	Slackening of Inflow of Raw Material from USA for Atomic Plants ...	24
466. डाक तथा तार की विभागेतर पद्धति के कार्यकरण के सम्बन्ध में एक सदस्यीय समिति	One Man Committee on Working of P & T Extra Departmental System ...	25
469. प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों का लागू न किया जाना	Non-Implementation of Recommendations of First Press Commission ...	25
473. निजी निर्माताओं से वृत्त चित्रों की खरीद	Purchase of Documentary Films from Private Producers ...	26-27
474. दूर संचार सेवाओं के विकास के लिये विश्व बैंक से चौथा ऋण	World Bank 4th Loan for Telecommunication Development ...	27-28
475. उत्पादन के लाभों में श्रमिकों के हिस्से सम्बन्धी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्	National Productivity Council on Labour Share in Productivity Gains ...	28 29
476. बिड़ला ग्रुप की फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Birla Group of Concerns ...	30
477. हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Himachal Pradesh ...	30-31
478. कलकत्ता में त्रुटिपूर्ण और अनियमित टेलीफोन सेवाएं	Faulty and Irregular Telephone Services in Calcutta ...	31
479. रेडियो सेटों की लाइसेंस फीस में रियायत	Concession in Licence fee for Radio Sets ...	31-32
480. लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये सामान खरीदने की नीति में संशोधन करना	Amendment in Store Purchase Policy to encourage Small and Medium Industries ...	32

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. No.

3223. अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय करार	Bilateral Agreements between India and other Countries in the Field of Space Research ...	32-33
3224. पश्चिम बंगाल और बिहार में छिपे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी	Arrest of Underground Pak Nationals in West Bengal and Bihar ...	33
3225. बंगला देश के संघर्ष के बाद से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों और पंचमांगियों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Nationals and Fifth Columnists since Bangla Desh Struggle ...	33-34
3226. केन्द्रीय सूचना सेवा के विभिन्न विभागों में ग्रेड चार में तदर्थ नियुक्तियाँ	Ad hoc appointees in Grade IV of CIS in Different Media ...	34-35
3227. केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सीधी भरती से आने वाले अनुभाग अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर	Chances of Promotion of Direct Recruit Section Officers in Central Secretariat Service ...	35-36
3228. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियमों और कानन देवन (भूमि पुनर्ग्रहण) अधिनियम को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करना	Inclusion of Kerala Land Reforms (Amendment) Acts and Kanan Devan Hills (Resumption of Lands) Act in the Ninth Schedule of Constitution ...	36
3229. दिल्ली और अलीगढ़ के बीच आटो टेलीफोन लाइन	Auto Telephone Line between Delhi and Aligarh ...	36-37
3230. पुलिस कर्मचारियों के आवासन और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये केरल को सहायता	Assistance to Kerala for Police Housing and Modernisation of Police Forces ...	37
3231. टरबाइन बनाने के लिये भारत अमरीका संयुक्त कार्यक्रम	Indo-US Joint Venture for Manufacture of Turbine ...	37-38
3232. हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के प्रबन्धकों में परिवर्तन	Changes in the Management of Heavy Electricals (India) Limited Bhopal ...	38-39
3233. दिल्ली में निर्वाचन के दिन ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी	Government Employees on Duty on Election Day in Delhi ...	39
3234. स्टेट बैंक आफ इंडिया में 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी वाला मामला	Rs. 60 lakh State Bank of India Fraud Case ...	39-40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
3235. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली में सचिव का बदला जाना	Replacement of Secretary in NIDC Ltd., New Delhi ...	40
3236. टेलीविजन पर क्षेत्रीय भाषाओं में रूपक	Features in Regional Languages over T. V. ...	40-41
3237. राजनैतिक अभियान के लिये मंत्रियों द्वारा सरकारी सुविधाओं का कथित दुरुपयोग	Alleged Misuse of official Facilities by Ministers for Political Campaign ...	41
3238. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों की बिक्री पर मुद्रांक शुल्क हटाने के लिये सिफारिश	Recommendations for Exemptions from Levy of Stamp Duty on Sale of Flats by DDA ...	41
3239. ट्राम्बे में एक परमाणु रिएक्टर की स्थापना	Setting up of an Atomic Reactor in Trombay ...	42
3240. उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Uttar Pradesh ...	42-43
3241. हाल ही के युद्ध के दौरान कब्जे में किये गये पाकिस्तानी क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिये खर्च की गई राशि	Amount Spent for Running the Administration in the Pakistan Areas Occupied during the recent War ...	43
3242. बंगला देश शरणार्थियों के बीच घुस आये पाकिस्तानी तत्वों की वापिसी	Repatriation of Pakistani Elements among Bangla Desh Refugees ...	43
3243. कूच बिहार शरणार्थी सेवा में कार्य कर रहे व्यक्तियों को वीजा देने से इन्कार	Refusal of Visas to Persons Working in Cooch Behar Refugees Service ...	43-44
3244. देश में बेरोजगारी और अल्प रोजगारी सर्वेक्षण	Survey on Unemployment and Under-Employment in the Country ...	44
3246. सीमाशुल्क अपराध और यातायात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये विदेशी	Arrest of Foreigners by Customs Crimes and Traffic Police ...	44-45
3247. लघु उद्योग सेवा संस्थानों में उपनिदेशकों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Assistant Director in Small Industries Service Institute ...	45
3248. मध्य प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक सुरक्षा दल के कर्मचारियों का तैनात किया जाना	Posting of Industrial Security Force Personnel in Public Undertakings in Madhya Pradesh ...	45

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
3249. राज्यों की राष्ट्रीय आय	National income of States	45-46
3250. मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षमता का उपयोग	Utilisation of Industrial Potential in Madhya Pradesh ...	46
3251. बिजली का भारी सामान बनाने वाले संयंत्रों के लिये ढली और गढ़ाई वाली वस्तुओं की आवश्यकता	Requirement of Castings and Forgings in Heavy Electrical Plants ...	46-47
3252. आनन्द मार्ग संस्था	Anand Marg Organisation	47
3254. पंचायत केन्द्रों में टेलीफोन लगाना	Installation of Telephones at Panchayat Centres ...	47-48
3255. टेलीविजन केन्द्र, नई दिल्ली में काम कर रहे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना के स्नातकों के प्रति कथित अन्याय	Alleged Injustice to Graduates of Film and T. V. Institute Poona working T. V. Centre, New Delhi ...	48
3256. गुजरात में लघु, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग	Small, Medium and Large Scale Industries in Gujarat ...	49
3257. चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गुजरात में सरकारी उपक्रमों की स्थापना	Setting up of Public Undertakings in Gujarat during Fourth Plan	49-50
3258. जामनगर में पुश बटन टेलीफोन प्रणाली को स्वचालित टेलीफोन प्रणाली में बदलना	Conversion of Push Button Telephone System into Automatic System in Jamnagar ...	50-51
3259. इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड का विदेशी सहयोग से विस्तार	Expansion of Indian Oxygen Ltd., with Foreign Collaboration ...	51
3260. श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र	T. V. Station at Srinagar	51
3261. राजस्थान और जम्मू काश्मीर में पाकिस्तानी नागरिक	Pak Nationals in Rajasthan and Jammu and Kashmir ...	51-52
3262. उज्जैन से प्रकाशित अवन्तिका द्वारा गलत प्रकाशन संख्या देना	Incorrect Circulation Figure of Avantika Ujjain ...	52
3264. पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये उद्यमकर्ताओं की प्रतिक्रिया	Response from Entrepreneurs for Starting Industries in Backward Areas ...	52-53
3265. कुड्डापाह आकाशवाणी केन्द्र से दिन के समय प्रसारण	Day Time Transmission from AIR Cuddappah ...	53

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
3266. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा उत्पादन में मजदूरों की साझेदारी के बारे में दिये गये सुझाव	Suggestions Made in National Productivity Council for Partnership of Workers in the Field of Production ...	54
3267. विज्ञापन प्रसारण करने वाले आकाशवाणी केन्द्र	AIR Stations with Advertising Service ...	54
3268. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की संख्या	Strength of C. R.P. ...	54-55
3269. मध्य प्रदेश के नीमच स्थान पर रेलवे डाक सेवा के लिये भवन बनाना	Building for R. M. S. at Neemuch, Madhya Pradesh ...	55
3270. हिन्दी शिक्षण योजना पर होने वाला व्यय	Expenditure on Hindi Teaching Scheme ...	55-56
3271. ड्राफ्ट्समैन और सर्वेक्षकों की पदोन्नति और भर्ती के नियम	Recruitment Rules of Promotion of Draftsmen and Surveyors ...	56
3272. आणविक शक्ति सम्पन्न कृषि उद्योग समूह के लिये मार्गदर्शी परियोजना	Pilot Projects for Nuclear Powered Agro-Industrial Complex ...	56-67
3273. डाक तार विभाग के अधिकारियों का रंगदार टेलीफोन लगवाने तथा टेलीफोन की अन्य सुविधाओं का अधिकार	Entitlement of Officers of P & T Department to Coloured Telephone and other Telephone Facilities ...	57
3274. डाक तार अधिकारियों को दो रंगों वाले टेलीफोन देना	Sanction of two Coloured Telephone Connections to P & T Officers ...	57-58
3275. डिवीजनल इंजीनियर तक के पदों के अधिकारियों के लिये एस० टी० डी० सुविधाएं समाप्त करना	Withdrawal of STD facilities from Officers upto Divisional Engineers ...	58
3276. डाक तार अधिकारियों के रिहायशी स्थानों पर लगे टेलीफोनों से 1500 से अधिक कालों के लिये भुगतान	Payment for calls in excess of 1,500 from P & T Officers' Residence Telephones ...	58-59
3277. भारत से इंजीनियरों का विदेशों में जाना	Exodus of Engineers from India...	59
3279. गुजरात में सीमेंट, चीनी के बर्तन, काँच का सामान और ऊष्मसह वस्तुओं का निर्माण करने वाले कारखाने	Cement, Pottery, Glass and Refractory Units in Gujarat ...	60

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
3281. इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा मलयेशिया में तापीय संयंत्र लगाना	Execution of Thermal Plant in Malaysia by Instrumentation Ltd., Kota ...	60
3283. तमिलनाडु में कागज का कारखाना स्थापित करने के लिये आशय पत्र जारी करना	Issue of Letter of Intent for Setting up of Paper Mill in Tamil-Nadu ...	60-61
3284. न्यूज रीडरों और एनाउन्सरों के वेतन मान	Pay Scales of Newsreaders and Announcers ...	61
3285. आकाशवाणी के एनाउन्सरों के वेतन मान पर पुनः विचार करना	Reconsideration in regard to Scales of Announcers of AIR	61-62
3286. आकाशवाणी एनाउंसरों को अपर्याप्त पारिश्रमिक	Inadequate Remuneration for Announcers in AIR ...	62
3287. वर्ष 1970-71 तथा वर्ष 1971-72 में दूर संचार अनुसंधान केन्द्र का कार्य-करण	Working of Telecommunication Research Centre in 1970-71 and 1971-72 ...	63
3288. इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण	Training of Engineering Supervisors ...	63
3289. नेपाल के साथ समुद्रपारीय संचार सेवा द्वारा सपर्क	Overseas Communication Service Link with Nepal ...	64
3290. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा होलोग्राफी बनाये गये पल्स्ड अर्गोन लेसर	Pulsed Argon Laser for Holography made by National Physical Laboratory ...	64-65
3291. विदेशी सहयोग का उद्योगों पर प्रभाव	Impact of Foreign Collaboration on Industries ...	65
3292. मिथिला प्रसारण केन्द्र	Mithila Broadcasting Station ...	65-66
3293. भारत ब्रिटेन प्रौद्योगिकीय दल की बैठक	Meeting of Indo-British Technological Group ...	66
3294. सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमायते इस्लामी में शामिल होना	Joining RSS and Jamiat-I-Islami by Government Employees ...	66
3295. सौराष्ट्र तट से शस्त्रास्त्रों की तस्करी	Smuggling of Arms through Saurashtra Coast ...	67
3296. पटना में बर्फखाना (कोल्डस्टोरेज) उद्योग संबंधी विचार गोष्ठी	Patna Seminar on Cold Storage Industry ...	67

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. No.**		
3297. गया स्थित आर. एम. एस. की इमारत	Gaya RMS Building	67-6
3298. गया जिले में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connection in Gaya District ...	68
3299. गाँवों में डाकघर खोलने की योजना	Scheme for Village Post Offices ...	68
3300. राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Rajasthan in Public Sector ...	68-69
3301. सरकारी विमानों में अनावश्यक स्टाफ की छंटनी	Retrenchment of Surplus Staff in Government Departments ...	69
3302. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड	Central Government Employees Consumer Co-operative Society Ltd. ...	69-70
3303. हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा तार घर	P.C.Os. and Telegraph Offices in Himachal Pradesh ...	70-71
3304. पंजाब सर्किल में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा तार घर	P. C. Os. and Telegraph Offices in Punjab Circle ...	71
3305. टेलीफोन और तार व्यवस्था के विकास के बारे में मानन थोड़ी, केरल के टेलीफोन प्रयोक्ताओं से याचिका	Petition from Telephone Subscribers of Manan Thoddy, Kerla re : Improvement of Telephone and Telegraph Systems ...	71
3306. प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों की टेलीविजन पर दिखाने की कसौटी	Criteria for Televising Regional Language Films ...	72
3307. केरल की औद्योगिक योजनाएं	Industrial Schemes from Kerala ...	72-73
3308. केरल में अखबारी कागज के संयंत्र की स्थापना	Setting up of Newsprint Plant in Kerala ...	73-74
3309. कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा करना	Completion of Kalpakkam Atomic Power Plant ...	74
3310. चित्तूर, आंध्र प्रदेश में एक डाक भवन का निर्माण	Construction of a Postal Building at Chittoor, Andhra Pradesh ...	74
3311. आँध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में असंतोषजनक ट्रंक टेलीफोन सेवा	Unsatisfactory Trunk Telephone Service in Cbittoor District, Andhra Pradesh ...	74-75

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		

3312. सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले राजस्थान के जिले	Districts in Rajasthan Covered by Direct Dialing ...	75-76
3313. रेडियो प्रसारणों में राजस्थानी विभाषा	Rajasthani Dialect in Radio Broadcasts ...	76
3314. कोटा के रेडियो प्रसारण के लिये आकाशवाणी जयपुर-बीकानेर केन्द्र से जोड़ना	Linking of Kota with AIR Station Jaipur-Bikaner ...	76
3316. डाक व तार विभाग के तकनीकी तथा विकास सर्किल में विकेन्द्रीकरण की योजना	Scheme of Decentralisation in Technical and Development Circle of Posts and Telegraphs Department ...	76-77
3317. आकाशवाणी कलकत्ता से रेडियो व्यंग्य चित्र	Radio Cartoon over AIR Calcutta. ...	77-78
3318. मध्य प्रदेश तथा इससे लगते राज्यों में डाकुओं की समस्या	Dacoit—Menace in Madhya Pradesh and adjoining States...	78
3319. अमरीकी सहयोग से औद्योगिक एककों की स्थापना	Setting up of Industrial Units with American Collaboration...	78-79
3320. खादी तथा ग्रामोद्योग संबंधी अशोक मेहता समिति की सिफारिशें	Recommendation of Ashoka Mehta Committee on Khadi and Village Industries ...	79-80
3321. स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि	Raising Pension to Freedom Fighters ...	80
3322. भारत द्वारा पहला उपग्रह छोड़ा जाना	Launching of First Satellite by India ...	80-81
3323. थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र से छोड़े गए राकेट	Rockets fired from Thumba Space Research Station ...	81
3324. राजस्थान औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम द्वारा स्कूटर बनाने के कारखाने की स्थापना	Setting up of Scooter Factory by Rajasthan Industrial and Mineral Development Corporation ...	81-82
3325. डाकुओं को समाप्त करना	Liquidation of Dacoits ...	82
3326. स्कूल छात्रों के लिये टेलीविजन कार्यक्रम	T. V. Programme for School Children ...	82-83
3327. खंडवा टेलीफोन डिवीजन का बनाया जाना	Formation of Khandwa Telephone Division ...	83

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

3328.	बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Backward Areas of Madhya Pradesh by larger Industrial houses ...	83
3329.	मध्य प्रदेश में उद्योगों का बन्द हो जाना	Closure of Industries in Madhya Pradesh ...	83-84
3330.	सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली के एक बैंक में डाका डालने वाले दो युवकों का इंडोनेशिया से भारत वापस लाया जाना	Repatriation of the two Youngmen from Indonesia who looted a Bank in Safdarjang Enclave, New Delhi ...	84
3331.	त्रिपुरा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	CRP in Tripura	84
3332.	खाद्य पदार्थ परिष्करण उद्योगों की विकास परिषद् की सिफारिशें	Recommendations of Development Council for Food Processing Industries ...	85
3333.	उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों में संशोधन	Amendment in the Rules of Seniority of Central Government Employees on the Basis of Supreme Court Judgement ...	86
3334.	टेलीग्राफ इंजीनियरिंग तथा वायरलैस सर्विस के श्रेणी II के विशेष वेतन पाने वाले अधिकारी	Telegraph Engineering and Wireless Service Class II Officers in receipt of Special Pay ...	86-87
3335.	तार घर खोलने के लिये लाइनें बिछाने संबंधी सामग्री की सप्लाई में कमी	Shortfall in Supply of Line Material for Telegraph Offices ...	87
3336.	डाक अनुसंधान केन्द्र द्वारा किये गये अध्ययन	Studies Carried out by Postal Research Centre ...	87-88
3337.	योजना आयोग तथा केरल सरकार के बीच वार्षिक योजना के बारे में विवाद	Dispute between Planning Commission and Government of Kerala as Regards the Size of Annual Plan ...	88
3338.	केरल में उद्योगों का विकास	Development of Industries in Kerala. ...	88-89
3339.	केरल में पिछड़े जिलों का विकास	Development of Backward Districts in Kerala ...	89
3340.	केरल में बन्द पड़े उद्योगों को दुबारा खोलना	Reopening of Closed Industries in Kerala ...	89-90
3342.	पश्चिमी बंगाल में हिंसात्मक गतिविधियाँ निरोधक अधिनियम और आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए तथा राज्य से बाहर जेलों में भेजे गए व्यक्ति	Persons detained Under the PVA Act and MISA Act in West Bengal and Transferred to Prisons Outside the State ...	90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
3343. येरागुंटैला, जिला कुड्डापह (आंध्र प्रदेश) में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory at Yerraguntala District Cuddappah (Andhra Pradesh) ...	90-91
3344. मेरठ में टेलीफोन एक्सचेंज के लिये भूमि	Land for Telephone Exchange Meerut ...	91
3345. देश बन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्ली में आग लगने की घटना	Outbreak of Fire on Desh Bandhu Gupta Road, New Delhi ...	91-92
3346. आकाशवाणी वाराणसी का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of AIR Varanasi	92
3347. लघु उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार	Expansion of Industrial Activity in Small Scale Sector ...	92
3348. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा मशीनों का निर्माण	Production of Machines by Hindustan Machine Tools Ltd. ...	92-93
3349. मौलिन्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा मशीनों का उत्पादन और उनकी बिक्री	Production and Sale of Machinery by Molins India Private Ltd....	93
3350. मौलिन्स इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा निर्मित मशीनरी का मूल्य	Price of Machinery Manufactured by Molins India (Private) Ltd. ...	94
3351. बह्‌रामपुर, उड़ीसा में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Behrampur, Orissa ...	94
3352. साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिये विधान	Legislative Measures for Combating Communalism ...	95
3353. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्थायी करना	Confirmation of Central Government Employees ...	95-96
3354. चीनी बनाने की मशीन के निर्माताओं द्वारा मशीन की सप्लाई	Supply of Machinery by Sugar Machinery Manufacturers ...	96
3355. चीनी बनाने के संयंत्रों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Price of Sugar Plants ...	96
3356. चीनी बनाने के संयंत्रों की संख्या तथा उनका मूल्य	Quantity and Value of Sugar Machinery Manufactured ...	97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
3357. देश में नर बलि के मामले	Cases of Human Sacrifiice in the Country ...	97-98
3358. 1961 से 1971 तक केन्द्रीय सूचना विभाग के ग्रेड चार में भरती	Recruitment to Grade IV of C.I.S. between 1961 to 1971 ...	98-99
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	99
अहमदाबाद में कपड़ा मिलों को बन्द करने का समाचार	Reported Closure of textile Mills in Ahmedabad ...	99-102
श्री धामनकर	Shri Dhamankar ...	100
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George ...	101-102
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	102-103
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions ...	103
बारहवां प्रतिवेदन	Twelfth Report	103
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee ...	104
अड़तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-eighth Report	104
भारत-बंगला देश दूर-संचार करार के बारे में वक्तव्य	Statement re: India-Bangladesh Telecommunications Agreement ...	104
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna ...	104-105
वित्तीय समितियों के लिये निर्वाचनों की तिथि में परिवर्तन करने के बारे में वक्तव्य	Statement re. change of dates for Elections to Financial Committees ...	105
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur ...	105
मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिये समय के आवंटन के बारे में	Re. Allotment of time for discussion on Demands for Grants of Ministries ...	106
केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक	Central Sales Tax (Amendment) Bill ...	106

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
प्रवर समिति में सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member to Select Committee ...	106-107
अनुदानों की मांगें, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73	107
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture	107-130
श्रीमती वी०जयलक्ष्मी	Shrimati V. Jayalakshmi	107-109
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	109-110
श्री दलीप सिंह	Shri Dalip Singh ...	111-112
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	112
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे	Shri Krishna Chandra Pandey ...	112-113
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	113-114
श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	114-118
श्री डी. के. पंडा	Shri D. K. Panda	118
श्री के. रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy ...	119
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P. M. Mehta ...	119-120
श्री वेकारिया	Shri Vekaria	120-121
श्री डी. डी. देसाई	Shri D. D. Desai	121
डा. वी. के. आर. वर्दराज राव	Dr. V. K. R. Varadaraj Rao ...	121-122
श्री एम. सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	122-123
श्री चकलेश्वर सिंह	Shri Chakleshwar Singh	123
श्री चिरंजीब झा	Shri Chiranjib Jha	123
श्री एस. बी. पाटिल	Shri S. B. Patil ...	124
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	124
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman ...	125

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
श्री बीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	125
श्री रामचन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal ...	125-126
श्री जे. एम. गौडर	Shri J. M. Gowder	126
डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	126
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shrl F. A. Ahmed	126-130

LOK SABHA

बुधवार, 19 अप्रैल, 1972/30 चैत्र 1894 (शक)
Wednesday, April 19, 1972/Chaitra 30, 1894 (Saka)

The Lok Sabha met at two minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिमी बंगाल राज्य में विषमतायें

*461 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य के अन्दर बड़ी विषमतायें हैं और, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये विषमतायें किस प्रकार की हैं;

(ख) राज्य के अन्दर विद्यमान विषमताओं को दूर करने के लिए गत तीन वर्षों में केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल को क्या कोई सहायता दी गई है, और यदि हाँ तो कितनी; और

(ग) अब तक इस बारे में जो कदम उठाये गये हैं उनके ठोस परिणाम क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में विषमताओं के बारे में किसी प्रकार का व्यापक सर्वेक्षण न किए जाने के कारण, विषमताओं के स्वरूप तथा विस्तार के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु पश्चिम बंगाल सांख्यिकी ब्यूरो ने 1965 में राज्य आय और उसके

अवकलनों के बारे में जो अनुमान छापे उनसे इस सम्बन्ध में कुछ सूचना मिलती है। इन अनुमानों से विदित होता है कि पश्चिम बंगाल के 15 जिलों में प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार है।

1. हावड़ा	389
2. बर्दवान	372
3. जलपायगुड़ी	331
4. हुगली	331
5. पश्चिम दिनाजपुर	293
6. चौबीस परगना	291
7. दारजिलिंग	284
8. नादिया	280
9. वीरभूम	267
10. मुरशिदाबाद	252
11. माल्दा	245
12. मिदनापुर	231
13. बांकुरा	229
14. कूचबिहार	229
15. पुरुलिया	197

इसके अतिरिक्त, योजना आयोग द्वारा सुझाये गए कतिपय समान कसौटियों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने पुरुलिया, दारजिलिंग (सिलीगुड़ी सबडिवीजन) जिलों, चौबीस-परगना जिले के सुन्दरवन क्षेत्र तथा बांकुरा जिले को हाल में ही पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है।

इन असमानताओं के कारण हैं—शिक्षा की कमी, सामाजिक पिछड़ापन, उद्यमों की कमी, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की कमी, राजनीतिक अस्थिरता तथा अन्यान्य कारण।

(ख) (1) दार्जिलिंग जिले के सम्बन्ध में योजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता की एक अधिक उदार पद्धति मंजूर हुई है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है जब कि सामान्य पद्धति 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण देने की है।

(2) पुरुलिया, बांकुरा तथा मिदनापुर जिलों में ग्राम निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

(3) दार्जिलिंग, हुगली तथा पश्चिम दीनाजपुर जिलों के लिए लघु कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम मंजूर हुआ है।

(4) पुरुलिया तथा बांकुरा जिलों के लिए सीमान्त कृषक और खेतिहर श्रमिकों सम्बन्धी कार्यक्रम मंजूर हुआ है।

(5) पुरुलिया जिले की उद्योगों को उनकी स्थिर पूंजी के 10 प्रतिशत के बराबर राज सहायता दिए जाने से सम्बन्धित केन्द्रीय स्कीम के लिए चुना गया है।

(6) कलकत्ता में बस्ती सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस कार्य के लिए पूरा धन केन्द्र द्वारा दिया जा रहा है।

(7) पश्चिम बंगाल में उद्योगों के विकास की गति को बनाये रखने तथा उसमें तीव्रता लाने के लिए एक 16 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण स्कीम राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले का शीघ्र सर्वेक्षण किए जाने से सम्बन्धित है—ताकि ऐसे उद्योगों का पता लगाया जा सके जो सम्बन्धित क्षेत्र के उपयुक्त हों और उस क्षेत्र में पैदा होने वाले कच्चे माल तथा कुशलता पर आधारित हों और जो स्थानीय युवकों को रोजगार प्रदान कर सकते हों। यह कार्यक्रम विभिन्न जिलों से विकास सम्बन्धी स्तरों की असमानता को कम कर सकता है। इस 16 सूत्री कार्यत्रम के अन्तर्गत जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है वह सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल को केवल (कलकत्ता, हावड़ा तथा 24 परगना को छोड़कर) पिछड़ा घोषित किए जाने के सम्बन्ध में है ताकि उसे सार्वजनिक वित्तदात्री संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाला रियायती वित्त मिल सके।

(8) पश्चिम बंगाल की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए कुल 322.50 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया गया है जिसमें केन्द्रीय सहायता की राशि 221 करोड़ रुपये है। योजना परिव्यय के लिए अपने अंश की पूर्ति से प्रयोजन से संसाधन उपलब्ध करने में राज्य सरकार को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से केन्द्र ने विशेष व्यवस्था करना मंजूर किया है। इसकी राशि 73 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए राज्य के संसाधनों के निर्धारित गैर-योजना अन्तराल दूर किए जा सकें।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में जिन उपायों के उल्लेख किये गए हैं अतएव उनका यथार्थ रूप में परिणाम अभी नहीं जाना जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : योजना का अर्थ है क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करना। केन्द्र तथा राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही है। राज्यों में 25 वर्ष में 22 वर्ष तो रही ही और कहीं-कहीं पूरे 25 वर्ष।

क्या मैं मंत्री महोदय से पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय असमानता की महान वृद्धि का कारण जान सकता हूँ? क्या यह सच है कि उत्तर बंगाल में कुल बिजली की कुल मात्रा एक प्रतिशत है? क्या यह भी सच है कि कुल औद्योगिक आय कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र की 75 प्रतिशत है–जब कि उत्तर बंगाल की आय शून्य है? क्या यह भी सच है कि उत्तर बंगाल को (जलपाईगुड़ी जिले को छोड़ कर जिसमें दो लाइसेंस दिये गए हैं) पिछले 5 वर्ष में दिए गए लाइसेंसों की संख्या शून्य है। 24 परगना 7 प्रतिशत, बर्दवान 57 प्रतिशत, बीरभूम 60 प्रतिशत है। लघु उद्योगों का 75 प्रतिशत हावड़ा, हुगली, कलकत्ता, 24 परगना, बर्दवान में है और औद्योगिक रोजगार हावड़ा, हुगली,

कलकत्ता, 24 परगना और बर्दवान में फैक्टरी अधिनियम के अधीन 80 प्रतिशत है। पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण कहीं नहीं हुआ। यदि ऐसा है, तो असमानता दूर करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है।

श्री मोहन धारिया : श्रीमान मैंने एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रख दिया है जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में की जा रही कार्यवाही का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सदन को भली-भाँति विदित है कि क्षेत्रीय असमानताओं पर दृष्टि रखना राज्य सरकारों का कार्य है और जो कोई सहायता हम दे सकते हैं, देते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वित्त, औद्योगिक विकास और आयोजना पर केन्द्र का नियंत्रण है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वे सदन को इस बारे में आज स्पष्ट आश्वासन देंगे कि वह पांचवी योजना द्वारा राज्य सरकारों के लिए, पाँचवीं योजना पूरी होने से पूर्व, क्षेत्रीय असमानता दूर करना अनिवार्य कर देंगे।

श्री मोहन धारिया : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को अनुभव करता हूं और स्वीकार करता हूं कि वहाँ पर भारी अन्तर्राज्यीय असमानतायें विद्यमान हैं और मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि केन्द्र तथा राज्यों की पाँचवी पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करते समय हम ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रीय असमानताएं दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि राज्य सरकारों की योजनाओं को स्वीकृति देने से पूर्व इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि क्या कार्यक्रम क्षेत्रीय असमानमाओं को दूर करता है अथवा उसे बढ़ावा देता है।

श्री मोहन धारिया : ऐसी योजनाओं को स्वीकार करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इन योजनाओं द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाये। हम ध्यान रखेंगे कि ऐसी परियोजनाओं को ही प्राथमिकता मिले।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : अपने उत्तर में उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र माने गए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या पुरलिया, बांकुरा, पश्चिम दिनाजपुर और बीरभूम के पिछड़े जिलों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

श्री मोहन धारिया : सभा पटल पर रखे गए विवरण में मैंने पिछड़े जिलों का उल्लेख किया है। इस उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के सचिवों की समिति नियुक्त की गई थी जिसने 16 सूत्री कार्यक्रम स्वीकार किया। सरकार ने उस समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। कलकत्ता, हावड़ा, 24 परगना को छोड़कर पूरे पश्चिम बंगाल को पिछड़ा क्षेत्र स्वीकार कर लिया गया है, जिसे वित्तीय रियायतें मिल सकती हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सुन्दर बन समेत।

श्री मोहन धारिया : जी, हाँ।

श्री बी० के० दास चौधरी : कूच बिहार की प्रति व्यक्ति आय, मंत्री महोदय के कथना-

नुसार 2.29 रुपए है। पुरलिया की 197 है परन्तु विवरण के अन्य भागों में कहा गया है······

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी उसे देखा है परन्तु मन्त्री महोदय का वक्तव्य अद्यतन है।

श्री बी० के० दास चौधरी : बताया गया है कि पुरलिया, बांकुरा और मिदनापुर जिलों में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ किए गये हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि योजना आयोग के पास ऐसे कौन से साधन हैं जिससे यह निश्चय किया जाता है कि कौन से जिले ऐसे हैं जिन्हें ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों के लिए विशेष सहायता दी जाये ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों के पास इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री मोहन धारिया : मुख्य रूप से यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि उन जिलों का चयन करें, जो औद्योगिक अथवा अन्य दृष्टियों से पिछड़े हैं। हम राज्य सरकारों की सिफारिशों पर ही प्रस्तावों को मंजूरी देते हैं।

श्री के० लकप्पा : योजना मंत्री ने बताया कि योजना आयोग ने कुछ पिछड़े क्षेत्रों को क्षेत्रीय असमानतायें दूर करने तथा विभिन्न जिलों का आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए कुछ क्षेत्रों को चुना है। ऐसे राज्यों तथा ऐसे पिछड़े क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दिए जाने के बारे में क्या अनुदेश हैं ? इन मदों पर कौन से क्रिया कलाप कार्यान्वित किए गए हैं ? यदि नहीं, तो उन पिछड़े क्षेत्रों की दशा सुधारने में क्या कार्यवाही की जा रही है जिन्हें योजना आयोग ने स्वीकार किया है। योजना आयोग इस समय पाँचवी पंचवर्षीय योजना बनाने में रत है। उसके पास औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव है। क्या सरकार के पास पिछड़े क्षेत्रों के सुधार के लिए कोई समय बद्ध कार्यक्रम है।

श्री मोहन धारिया : जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, हमने पिछड़े जिलों को छांटने के लिए विशेष कार्यवाही की है। इसी अभ्यास के कारण ही राज्य सरकारें औद्योगिक पिछड़े जिलों को कुछ निर्धारित आधारों पर छांट सकी हैं, जिससे सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सके। उदाहरणार्थ हर राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े एक-दो जिलों को 10 प्रतिशत अनुदान के लिए चुना गया है। इन समस्याओं का मूल्यांकन करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और हमें यह देखना है कि हम किस प्रकार इन समस्याओं में सहायक हो सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : राज्य सरकारों को 16 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों को चुनने को कहा गया है। जब ऐसे उद्योगों का चयन कर लिया जाता है, मान लीजिए कुछ गैर सरकारी उद्यमकर्त्ता वहाँ कारखाने स्थापित करने के उद्यत हैं, ऐसे मामलों में सरकार क्या आश्वासन देती है, क्योंकि लाइसेंस देना केन्द्र के अधिकार में है, उन लाइसेंसों को बिना विलम्ब जारी किये जाने के लिए क्या आश्वासन है, और दूसरी हालत में जब गैर सरकारी उद्यमकर्त्ता कुछ उद्योगों में उपलब्ध नहीं है, तो क्या केन्द्र अथवा राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र में इन कारखानों को स्थापित करेंगी।

श्री मोहन धारिया : एक करोड़ तथा उससे कम लागत के उद्योगों के लिए किसी

लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। पिछड़े क्षेत्र में अधिकाँश उद्योगों पर स्वभावतः एक करोड़ से कम रुपया लगेगा, इसलिए लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं रहेगी। परन्तु मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि पिछड़े क्षेत्रों में कुछ उद्योग स्थापित हो सकते हैं, तो हम उनकी क्रिया को त्वरित करने की चेष्टा करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें कोई बाधाएं न आएं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि गैर-सरकारी उद्यमकर्त्ता आगे नहीं आते, तो क्या सरकार स्वयं आरम्भ करेगी।

श्री मोहन धारिया : इस बात पर निश्चय हो रहा है और हम समझते हैं कि कुछ क्षेत्रों में गैर-सरकारी उद्यमकर्ता को प्रवेश करना है, और हम उस पर विचार करेंगे।

हस्तचालित टेलीफोन केन्द्र पद्धति का जारी रखना

*463. **डा० रानेन सेन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने टेलीफोन केन्द्र हैं जहाँ इस समय भी हस्त चालित टेलीफोन-केन्द्र पद्धति चालू है;

(ख) इन केन्द्रों में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र पद्धति लागू करने की यदि कोई योजना है तो उसका मुख्य व्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों में कब तक स्वचालित टेलीफोन-केन्द्र पद्धति लागू कर दी जायेगी।

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तारीख 30-9-71 तक देश में कुल 1056 मेनुअल टेलीफोन एक्सचेंज थे।

(ख) यद्यपि देश की टेलीफोन सेवाओं को पूरी तरह स्वचालित बना देना विभाग का मुख्य लक्ष्य रहा है तथापि और वित्तीय और साज-सामान सम्बन्धी साधनों के सीमित रहने के कारण कार्यक्रम को क्रमिक और धीमा रखना पड़ा। स्वचालित बनाने के लिए मैनुअल एक्सचेंजों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :

(i) 300 लाइनों की अधिकतम क्षमता वाले सी० बी० एन० एम० टाइप के छोटे एक्सचेंज। इन एक्सचेंजों को बदल कर इनकी जगह एम. ए. एक्स.—II टाइप के मध्मम आटोमेटिक एक्सचेंज लगाये जाने हैं।

(ii) सी० बी० एम० टाइप के अपेक्षाकृत बड़े एक्सचेंज। इन एक्सचेंजों को बदल कर इनकी जगह एम० ए० एक्स०—I टाइप के मुख्य आटोमेटिक एक्सचेंज लगाये जाने हैं।

तारीख 30-9-71 को देश में मौजूद 1056 मैनुअल एक्सचेंजों में से, 104 सी० बी० एन० एम० एक्सचेंजों को जहाँ पर मांग 200 तक पहुँच जाती है और 59 अपेक्षाकृत बड़े मैनुअल एक्सचेंजों

जहां मांगें 1,000 तक पहुँच जाती हैं। 1973-74 तक स्वचालित बना देने के इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के उत्पादन कार्यक्रम में योजना-बद्ध कर दिया गया है।

जिन एक्सचेंजों को 1973-74 के कार्यक्रम तक स्वचालित बना देने की योजना है उनके 1976 तक उत्तरोत्तर चालू होने की आशा है। बकाया स्वचालन का कार्यक्रम पाँचवी और उसके बाद वाली योजनाओं में हाथ में लिया जायेगा जो कि साधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

डा० रानेन सेन : मन्त्री महोदय द्वारा कल दिए गए उत्तर और आज दिए गए प्रश्न के उत्तर में माल की कमी का प्रश्न उठाया गया है। इन हालात में देश में स्वचालित एक्सचेंजों की माँगों को पूरी करने के स्थान पर आई० टी० आई० के उत्पादों का निर्यात क्यों किया जाये, जबकि देश में उनकी कमी है ; क्या इस सम्बन्ध में सरकार की नीति जान सकता हूं।

श्री हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा : आई० टी० आई० द्वारा किया जाने वाला निर्यात बहुत थोड़ा है; यह उसके उत्पादन का एक प्रतिशत भी नहीं है। दूसरे, हम निर्यात इसलिए कर रहे हैं कि तकनीकी क्षेत्र में हम अपने को संसार की मंडियों में प्रतियोगी के रूप में कायम रख सकें। अन्ततः यह सच है कि इस समय निर्माण के क्षेत्र में हमारी पर्याप्त क्षमता है, परन्तु हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं और उसके साथ ही, यदि सम्भव हुआ तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी प्राप्त करना चाहते हैं।

डा० रानेन सेन : जब कि देश के उद्योग माल के अभाव में बेकार पड़े हैं वह उस माल से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा स्थापित करने की बात करते हैं। फिर भी मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इन स्वचालित केन्द्रों में, विशेषतः नये केन्द्रों में गलत नम्बरों की तथा अन्य भूलें अधिक होती हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हमारे स्विचिंग परिषण उपकरण के इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी आधार की समूची पद्धति का टेलीफोन अनुसन्धान सेल द्वारा निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और हम उसके, विशेषतः क्रोस बार पद्धति केन्द्र स्विचिंग उपकरणों में कुछ दोष खोज पाए हैं। हम उन्हें ठीक कर रहे हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि इन प्रयत्नों के लिए मुख्यतः स्वदेशी तकनीक पर निर्भर करते हैं।

श्री जगन्नाथ राव : क्या विभाग ने स्टोगर पद्धति का पूर्णतः त्याग कर क्रोस बार पद्धति को अपना लिया है ? मुझे पता चला है क्रोस बार पद्धति काफी परेशानी दे रही है और वे उस पर निर्भर नहीं रह सकते और उसके परिणाम स्वरूप भुवनेश्वर में पिछले तीन वर्ष से टेलीफोन एक्सचेंज चालू नहीं किया जा सका। इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हम स्टोगर पद्धति एवं क्रोस बार का जिसका उपयोग 1965 से किया जा रहा है पूरी क्षमता पर उत्पादन कर रहे हैं। कुछ समाप्त नहीं किया गया। दोनों पद्धतियों को परस्पर जोड़ा जा रहा है। उस बारे में कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक भुवनेश्वर की कठिनाई का सम्बन्ध है, मेरे पास इस बारे में तथ्य नहीं हैं।

Utilisation of Sarvodaya Leader's Services for solving Dacoity Problem in Madhya Pradesh, Rajasthan and U. P.

*464. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Nihar Laskar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) Whether Government propose to secure the services of Sarvodaya Leader, Shri Jai Prakash Narain, for solving the dacoity problem of the dacoit-infested areas of Madhya Pradesh, as a large number of dacoits in Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh are willing to surrender before him; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b); The Government have welcomed the efforts made by Shri Jayaprakash Narayan to persuade some of the leaders of the dacoit gangs infesting the Chambal Valley to surrender to the established authority.

The problem was discussed in all its aspects with Shri Jayaprakash Narayan and the State Governments of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan; and the modalities of surrender were worked out. As a result of these endeavours, 163 dacoits laid down their arms and surrendered on the 14th and the 16th April, 1972. Indications are that some more may surrender in the next few weeks.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the dacoits who have surrendered to the Government have been ensured that they will not be hanged ?

I had written a letter to the Prime Minister a few day's ago. It was stated in reply to it that a committee has been set up to consider the problem of that region. May I know the work done so far for that region through this committee ? My constituency is a backward area. May I know the efforts made by the Government to stop the dacoit menace in that area ? It is not for the first time but it is the third time the dacoits have surrendered to the Government. May I know the steps being taken to check this activity in future ?

Shri K. C. Pant : To hang or not to hang depends on the decision of the Court ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Where does Court come into picture when they have voluntarily surrendered to the Government ?

Shri K. C. Pant : The Court will take into consideration all these things. As regards punishment, if the state Government, after the conviction of the dacoits, recommends their mercy petitions and asks the center either for amnesty or at least not to hang them, the matter will be considered sympathetically by the Central Government.

The matter regarding socio-economic problem and its solution as well as the development of the area is under consideration. The efforts were made during last years also and at present the Government of Madhya Pradesh is preparing schemes regardiug the economic advancement of the area, the plantation of forests in ravines, the acclamation of the area, and to make the land cultivable so that every individual may live a normal life and problem of dacoits may be solved after having studied the-economic aspect of the problem.

Shri Hokam Chand Kachwai : May I know whether during the recent Indo-Russian treaty, was there any assurance from the Russian Government, or a proposal from the Government of Madhya Pradesh or any plan from the Government of India to develop Chambal Valley with Russian assistance ? Had there been any discussion in this regard ?

Shri K. C. Pant : To my knowledge, there is no such discussion.

श्री निहार लास्कर:—यह हमारे लिये प्रसन्नता का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इससे भी बड़ी बात यह यह है कि आत्मसमर्पण बिना खून खराबी के हुआ है। क्या सरकार इस समस्या का कोई न्यायोचित हल निकालने पर विचार कर रही है, जिससे इस क्षेत्र में अभी भी बहुत से डाकू हैं, उनकी संख्या कम से कम हो जाये ?

दूसरे, जब उन्होने आत्मसमर्पण किया है, क्या उन्हें कोई आश्वासन दिए गये थे ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त:—माननीय सदस्य ने समस्या के न्यायोचित हल के विषय में कहा है। इस समस्या के दो पहलू हैं। इसका एक पहलू कानून और व्यवस्था से संबन्धित है तथा दूसरा सामाजिक-आर्थिक स्थिति से। मैं दोनों के विषय में ही बता चुका हूं। यह विशिष्ट आत्मसमर्पण समस्या का एक तीसरा पहलू बन जाता है क्योंकि डाकुओं को आत्मसर्पण के लिए तैयार करने में गैर सरकारी ऐजेन्सियों ने पहल की है। हम उनको इस कार्य के लिए बधाई देते हैं कि उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हो 163 डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है।

जहां तक उन डाकुओं का प्रश्न है, जिन्होंने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है और जो अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे, हमें उनके विरुद्ध कानून और व्यवस्था सम्बन्धी कार्यवाही करनी होगी। इसके साथ ही उस क्षेत्र के विकास का कार्य चलता रहेगा। मोटे तौर पर समस्या के ये ही समाधान हैं। हमें आशा है कि इन प्रयत्नों के चलते रहने से और डाकू भी आत्मसमर्पण करेंगे परन्तु यह कार्य पूर्णतया गैर सरकारी एजेन्सियों द्वारा हो किया जाना है। हमने इस समस्या पर विचार किया और इसका सहानुभूतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयत्न किया। उदाहरणार्थ, हमने निश्चय किया कि डाकुओं के विरुद्ध जितने भी आरोप हैं, उन्हें ६ महीने के अन्दर-अन्दर प्रकाश में लाया जाए, मामले को अधिक समय के लिये नहीं लटकाया जाये। मुकदमों का निर्णय शीघ्र अतिशीघ्र किया जाये। ये कुछ ऐसी बातें हैं, जो हमारी सहानुभूति पूर्ण विचार धारा पर प्रकाश डालती हैं। हमने इस विषय में बातचीत की है और दूसरे परिणाम संतोषप्रद रहे हैं। इस वातचीत के परिणाम स्वरूप ही बहुत से डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The crimes of the dacoits, who have surrendered to the Government, are not limited to one particular state only. The area of their activities is spread to several states. May I know whether the Government considers setting up a special tribunal for their trials ? Is it a fact that setting up of any Public Sector industry viz, a new oil refinery is being considered in order to develop this area ?

Shri K. C. Pant : In discussing the matter with State Government a reference to seek high court permission regarding collective trial was made. If High Court allows, this may be a collective trial. Collective trial would be tried and it will prove facilitating arrangement.

As regards the second question, reply may be sought from the Minister of Petrolium and Chemicals.

Shrimati Sahodrabai Rai : May I know whether the Government would try to rehabilitate those people who have left their villages and gone to cities due to the terror of dacoits ?

Shri K. C. Pant : This does not arise out of it. Even then I may say that if such a case is brought to our notice, the matter would be sympathetically considered.

Shri Swami Brahmanandji : Some of the dacoits of the forests have surrendered but the problem cannot be solved unitil the fearless dacoits of the cities are arrested. Dacoity is a lesson taught by them. There is a corruption and Ministers are also found engaged in corrupt practices. Unless there is an end to captitalism, there is no end to dacoities. May I know the action being taken by the Government in this regard ?

Shri K. C. Pant : Sant and Mahatmas assist us in all these things. It would be pleasing if Hon. Member takes the initiative in this regard.

Shri S. M. Banerjee : The problem to look after their families would crop up before those who have surrendered. It has been the tradition of this country that the children take their profession from their elders. May I know whether the Government propose to prepare a scheme to make arrangements for the education of their children to enable them to be good citizens and keep them away from the professions of their elders ?

Shri K. C. Pant : Madhya Pradesh Government have made certain declarations in this regard. In view of providing rehabilitation facitities they intend to provide land to the dacoits families. It has also been declared that the school children would be given a stipend from Rs. 50/- to Rs. 100/- along with hostel facilitis. Madhya Pradesh Government have gone into this question.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे:—क्या सरकार का ध्यान मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि समस्या का अन्तिम हल उस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाकर खोलों को समाप्त करके उस क्षेत्र को कृषि योग्य तथा सिंचाई योग्य बनाकर ही निकाला जा सकता है ? इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश जैसा पिछड़ा हुआ राज्य आवश्यक धन-राशि का प्रबन्ध नहीं कर सकता और केन्द्र को इसके लिये १०० करोड़ रुपये की सहायता देनी चाहिए। यदि मध्यप्रदेश सरकार इस योजना को आरम्भ करती है तो क्या केन्द्र से आवश्यक सहायता दी जायेगी और क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन देने की स्थिति में हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त:—मैं कोई स्पष्ट आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं। यह वित्त से सम्बधित मामला है, योजना आयोग भी इससे सम्बद्ध है। जो कुछ भी मैं कह सकने की स्थिति में हूं वह यह है कि गृहमंत्रालय, उन कारणों से, जो मैंने बताये हैं, इस क्षेत्र का विकास करने में सहायता करेगा तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा। सरकार इस मामले को केवल कानून और व्यवस्था से ही सम्बद्ध नहीं मानती है। सरकार के सामने इस मामले से सम्बद्ध दूसरे पहलू भी हैं

जिनके लिये सरकार सहायता देना पसन्द करेगी परन्तु केवल मैं अकेला तो इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता। जहाँ तक डकैती की समस्या के अन्तिम हल का प्रश्न है मैं यह बताना चाहता हूं कि उन स्थानों पर भी डाकू विद्यमान हैं, जहाँ खोलें नहीं हैं।

Shri Shiv Kumar Shastri : Amongst those who have surrendered, the statement of dacoit Madho Singh has clarified that the maltreatment of police has rendered most of the culprits as dacoits. May I know whether the Government is considering the matter seriously and whether the police would be instructed to give good treatment to the people who love self respect so that they may not dedicate themselves to a wrong path like this ?

Shri K. C. Pant : While we welcome the surrender of the dacoits, we should not create such a situation in which dacoits appear as good people and the police as a bad organization. It is not good if we create such a situation. The police takes action against those who kidnap minor children and release them after receiving money from their parents. There may be few cases where police is faulty but we have to keep in mind the whole thing. We should have both the aspects of surrender in mind and should not try to over-praise it.

दिल्ली का राजनीतिक ढांचा

*467. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के वर्तमान राजनीतिक ढांचे में कुछ परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन लाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) (क) और (ख) :—मामला विचाराधीन है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : दिल्ली में आजकल बहुत से प्राधिकरण हो गये हैं—दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, विकास बोर्ड, छावनी बोर्ड आदि। इनके अतिरिक्त, स्वास्थ्य तथा यातायात तथा अन्य क्षेत्रों में केन्द्रीय मंत्रालयों की गति विधियां हैं। प्राधिकरणों के बढ़ने से लाल-फीताशाही, विलम्ब, क्षेत्राधिकार अतिक्रमण आदि का बोलबाला होगा। यदि इसे दूर करके एक प्राधिकरण अर्थात् निर्वाचित विधान सभा तथा विधान के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की व्यवस्था की जाये तो अच्छा रहेगा। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है अतः इस ओर कुछ सीमायें रखी जा सकती हैं। कुछ मदें आरक्षित रखी जा सकती हैं। क्या सरकार को निर्वाचित विधान सभा के रूप में एक प्राधिकरण की आवश्यकता दृष्टिगत होती है ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : यह सच है कि दिल्ली में बहुत से प्राधिकरण हैं तथा उनके कार्यकरण का निरन्तर पुनर्विलोकन करते रहने की आवश्यकता है जिससे क्षेत्राधिकार अतिक्रमण न हो तथा एक युक्तिसंगत ढांचा बना रहे। परन्तु कुछ बातों को देखते हुये बहुत से प्राधिकरण

अनिवार्य हैं। उदाहरणार्थ नई दिल्ली नगर पालिका है। छावनी बोर्ड है जो छावनी क्षेत्र के कार्यों की देखभाल करती है। दिल्ली प्रशासन के मामलों में केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप भी अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त महापरिषद और दिल्ली नगर निगम की स्थिति है। प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसने इस मामले का अध्ययन किया, ने भी इन सभी निकायों की आवश्यकता को स्वीकार किया है, केवल यह सुझाव दिया है कि निगम तथा महापरिषद का समन्वय किया जाये। इनकी संख्या कम नहीं की जा सकती क्योंकि इनके कार्य भिन्न-भिन्न हैं। केन्द्रीय करकार के कार्यकरण का अपना अलग स्तर है। महापरिषद एक अलग स्तर पर कार्य करती है। कुछ निकायों के कार्य स्थानीय नागरिकों से सम्बन्धित हैं। मेरे विचार से सभी समस्याओं के लिये एक विधान सभा पर्याप्त नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हम यह देखें कि वर्तमान ढांचा किस प्रकार अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है। जिससे क्षेत्राधिकार अतिक्रमण न हो।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या निगम को महापरिषद के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैंने बताया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को हमने स्वीकार नहीं किया है। महापरिषद तथा निगम दोनों ही विद्यमान हैं। उनके निर्वाचन हुये और वे कार्य कर रहे हैं।

Maulana Ishaq Sambhali : May I know whether the Government is aware of the fact that all the political parties in Delhi including congress have been demanding a lagislature and a Government responsible to this lagislature for Delhi ? It is good that the people of Himachal Pradesh, Tripura and Manipur have been given those rights but I do not know the difficulty in giving such rights of a full jadged legislature to the residents of Delhi. May I know whether the matter is being looked into by the Government ?

Shri K. C. Pant : The matter has been discused in this House several times. It is clear, Delhi being the capital of the union has its own limitations and problems which require altogethar different type of structure for their solution. Providing a legislature in Delhi can not be compared either with Manipur or with Tripura.

पिछड़ी जातियों के लोगों की भर्ती के लिए नियमों का पुनरीक्षण

468. **श्री बी०के० दासचौधरी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की पिछड़ी जातियों के लोगों के भर्ती सम्बन्धी कुछ नियमों का पुनरीक्षण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पुनरीक्षण के फलस्वरूप क्या संशोधन किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

भारत सरकार के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण तथा रिआयतों की व्यवस्था की गई है । भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन- जातियों के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग को अपने अधीन सेवाओं में आरक्षणों के उद्देश्य से पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता नहीं दी है । सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए सेवाओं में सदैव उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रयास जारी रहे और समय समय पर इस दिशा में विभिन्न आदेश भी जारी किए गए हैं । सरकार द्वारा वर्ष 1968 से आगे की अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की सेवाओं में भर्ती के सम्बन्ध में जारी किए गए कुछ आवश्यक आदेशों का सारांश नीचे दिया जाता है :

(1) 25 मार्च, 1970 से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित प्रतिशतों में $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 5 प्रतिशत से $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गई है ।

(2) आरक्षणों के अग्रेनीत करने की अवधि को दो से तीन वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, इस संदर्भ में 25 मार्च, 1970 को जारी किए गए अनुदेशों को देखिए । इस अवधि के समाप्त होने पर, अनुसूचित जातियों के लिए की गई आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जन-जातियों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, और इसके विपरीत क्रम से (अनुसूचित जन-जातियों के लिए की गई आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है) भी इस प्रकार आरक्षित रिक्ति समाप्त होने के अवसर कम हो सकते हैं ।

(3) 31 जुलाई, 1970 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की विज्ञापन प्रक्रिया में परिशोधन किया गया है । प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पदों में आरक्षित रिक्तयाँ, अब जैसी भी स्थिति हो, सब से पहले ऐसी रिक्तयों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र मंगाकर विज्ञापित की जाएंगी । अगर यह विज्ञापन निष्फल सिद्ध हो जाये, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों तथा साथ ही साथ सामान्य उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र मंगाकर दूसरा विज्ञापन जारी किया जाएगा । तथापि, ऐसी नियुक्ति के लिए, सामान्य उम्मीदवारों के सम्बन्ध में तभी विचार किया जाएगा, अगर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार इसके लिए अयोग्य पाये जायें ।

(4) 31 जुलाई, 1970 को आदेश जारी किये गये हैं कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार या तो अलग दिन या प्रवरण समिति की अलग बैठक में किया जाना चाहिए ।

(5) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के पक्ष में योग्यतास्तर में छूट के मानदण्ड के पुर्नानिर्धारण के आदेश 25 जुलाई, 1970 को जारी किए गए। इन अनुदेशों के अधीन आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए इन सम्प्रदायों के उम्मीदवार चुने जा सकते हैं, हालाँकि वे योग्यता का सामान्यस्तर पूर्ण न करते हों, जब तक कि वे इन पदों में नियुक्ति के लिए अयोग्य न पाए जायं।

(6) 24 सितम्बर, 1968 को आदेश जारी किये गये हैं कि श्रेणी III तथा IV के गैर-तकनीकी तथा अर्ध-तकनीकी सेवाओं/पदों में लिखित परीक्षा को छोड़कर, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए योग्यता के मानदण्ड में छूट देने के बाद भी, अगर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो सके तो, ऐसी सेवा/पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं पूरी करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उपलब्ध श्रेष्ठ उम्मीदवारों की ऐसी श्रेणियों को भरने के लिए प्रवरित किया जायेगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवश्यक न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए एवं प्रशासन की कार्यक्षमता को कायम रखने के लिए उन्हें सेवा-कालीन प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए संशोधित आरक्षण नियम केवल आगामी रिक्तयों पर ही लागू होंगे और किसी विभाग के मौजूदा पदों पर उन्हें लागू नहीं किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों में से अत्यधिक स्थान खाली पड़े रह जाएंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन नियमों, अनुदेशों और आदेशों को खण्डशः लाने के बजाय इन्हें सम्पूर्णतः पूरे विभाग पर लागू करने पर विचार करेगी। दूसरे, कुछ सरकारी उपक्रमों ने पदोन्नति के लिए सेवाओं में आरक्षण के बारे में सरकार के अनुदेशों और आदेशों को स्वीकार नहीं किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सरकारी उपक्रम और विभाग इस सम्बन्ध में सरकार के अनुदेशों और आदेशों का पालन करेंगे।

श्री रामनिवास मिर्धा : आरक्षण केवल रिक्तियों पर नई भर्ती के लिए है अतः यदि हम किसी विभाग या मंत्रालय के कर्मचारियों की कुल संख्या को ध्यान में रखें, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति आरक्षण के उस स्तर तक नहीं पहुंचते, जो हमने नई भर्ती के लिए रखे हैं। किन्तु माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अन्य कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जाएंगी। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि हम किसी चयन में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं कर सकते। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के अतिरिक्त आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए भी आरक्षण किया जाता है अतः यदि हम उन श्रेणियों में भर्ती होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि भी करना चाहें तो भी माननीय सदस्य के ढंग से भी समस्या हल नहीं हो पायेगी। किन्तु सरकारी कर्मचारियों

के विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या तथा उनकी प्रतिशतता में लगातार वृद्धि हो रही है। कई वर्गों में उच्चतम वर्ग अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध परीक्षाओं में भी आरक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कोटे के बराबर और कई बार तो कोटे से भी अधिक उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। कर्मचारियों की कुल संख्या के मुकाबले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या अधिक है और उनकी प्रतिशतता में वृद्धि हो रही है। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर हमने कई बार विचार किया है किन्तु कानूनी तथा अन्य कठिनाईयों के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जहाँ तक सरकारी उपक्रमों में आरक्षण का प्रश्न है, यह वस्तुतः गंभीर मामला है और सरकार इस मामले में अत्यन्त गम्भीर है कि सभी सरकारी उपक्रम आरक्षण संबंधी उन सभी नियमों का पालन करें, जिसे सरकार ने स्वीकार किया है। हमने इस मामले को कई बार उनके साथ उठाया है, और लगातार उन्हें इस बात के लिए स्मरण करा रहे हैं कि वे आरक्षण की इस नीति को उसी रूप में स्वीकार करें जिस रूप में सरकार ने इन्हें स्वीकार किया है। दुर्भाग्यवश कुछ उपक्रमों की प्रतिक्रिया प्रतिकूल हुई है। इस मामले में वे अपनी विभिन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हैं। कई उपक्रमों के अनुसार वे अपने संविधान के कारण इन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हम उनसे जहां आवश्यक हो अपने संविधान आदि में संशोधन करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार इन सभी तरीकों से आरक्षण की समस्या को धीरे-धीरे हल किया जा रहा है।

श्री बी०के० दासचौधरी : मुझे खेद है कि मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर के पूर्वार्द्ध को स्वीकार नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इसमें किसी भी प्रकार बाधक नहीं है। इसके अतिरिक्त इन्होंने हाल ही में आरक्षण को अग्रेनीत करने और अवधि को दो से तीन वर्ष तक करने की बात कही है, क्या यह संभव नहीं है कि इन आरक्षणों को अधिक वर्षों के लिए अग्रेनीत कर दिया जाए ताकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की सीमाओं के अन्दर ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभाग और मंत्रालय इस विषय पर सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों को संभाल कर नहीं रखते हैं। क्या यह संभव नहीं है कि वे एक ऐसी विवरणिका प्रकाशित करें जिसमें आरक्षण सम्बन्धी सभी नियमों को दिया गया हो, ताकि सरकारी विभाग तथा सरकारी उपक्रमों के पास उनके मार्गदर्शन के लिए यह सभी नियम हर समय उपलब्ध रहें ?

श्री रामनिवास मिर्धा : आरक्षण को अग्रेनीत करने की अवधि को दो से तीन वर्ष कर दिया गया है। केवल यही नहीं, तीन वर्षों की समाप्ति पर अनुसूचित जाति के लिए की गई आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और इसी प्रकार विपरीत क्रम से भी इनका उपयोग किया जा सकता है। हम इस प्रणाली के कार्यपालन को देख रहे हैं। यदि इसमें कोई सुधार किये जाने या इस अवधि को

बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो उस पर बाद में विचार किया जाएगा । किन्तु हमारे विचार से इस समय यह प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और कुछ समय तक इसके कार्यचालन को देखना चाहिए ।

जहाँ तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी आदेशों की विवरणिका का प्रश्न है, हमने ऐसे आदेशों का पहले ही संग्रह किया हुआ है और सरकारी उपक्रम उन से भली-भाँति अवगत हैं । यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वे इन आदेशों से परिचित नहीं हैं, तो मैं अवश्य ही उनके सुझाव को कार्यरूप दूंगा ।

श्री के०एस० चावड़ा : संविधान के अनुच्छेद 335 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केन्द्र या राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा यह भी जानते हुए कि इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, मैं यह जानना चाहता हूं, कि क्या सरकार राज्य की सेवाओं में रिक्त पड़े अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के आरक्षित कोटे के पदों को भरने के लिए कोई समय अवधि निश्चित करेगी ?

श्रीराम निवास मिर्धा : यह कहना उचित नहीं है कि आरक्षण में कमी हुई है ।

श्री के०एस० चावड़ा : स्थिति यथापूर्व है ।

श्री राम निवास मिर्धा : स्थिति यथापूर्व नहीं है, अपितु सुधर रही है । समयावधि निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । भारतीय प्रशासनिक सेवाओं तथा ऐसी अन्य सेवाओं के मामले में भी 1961 से सभी आरक्षित रिक्तयों की पूर्ति अपेक्षित स्तर के उम्मीदवारों से की जा रही है । अत: मैं समयावधि निश्चित करने की आवश्यकता नहीं समझता । हम अपेक्षित न्यूनतम से कहीं अधिक प्रगति कर रहे हैं ।

श्री के० एस० चावड़ा : इसकी प्रतिशतता क्या है? 12½ प्रतिशत में से केवल 2 प्रतिशत ?

श्री डा० बालाकृष्णैया : क्या सरकार राज्य सभा में वित्त मंत्री द्वारा दिए गए इस वक्तव्य से परिचित है कि ग्रेड I सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की प्रतिशतता 5 से भी कम है और जबकि ग्रेड II सेवाओं में यह प्रतिशतता एक के लगभग है अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इन आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूं । आरक्षण वर्तमान भर्ती हेतु किया जा रहा है । यद्यपि आरक्षण काफी विलम्ब से शुरू किया गया, फिर भी पिछले कई वर्षों में इन जातियों के बहुत से उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया । यदि हम सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या लें और इन जातियों के उम्मीदवारों की गणना करें और यह कहें कि किसी विशिष्ट तारीख को इतने प्रतिशत आरक्षित रिक्तियां थीं, तो इससे स्थिति का सही चित्र

नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमें वर्तमान भर्ती के लिए कुछ आरक्षण करने अनिवार्य होते हैं और कुछ श्रेणियों में अनुसूचित जातियों की भर्ती कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक होती है।

Shri Chhatrapati Ambesh : The hon. Minister has just now stated that the ruling of the Supreme Court and suitability are two main hindrances in the matter of reservations. Whether Government is proposing to get over these obstacles as has been done in the case of privy purses. Does the Government propose to fix a time limit for such reservations ?

Shri Ram Niwas Mirdha : I have said that there is no necessity for fixing a time limit. The available extent of reservations is being fully utilised and there does not seem to be any necessity for getting over the judgement of the Supreme Court. Besides these reservations, there are other categories of reservations also. In view of all such things and 1961 census report, some increase has been made in recruitments. Accordingly, the constitutional position is satisfactory and the Government is bound to abide by it.

Shri Chhatrapati Ambesh : The hon. Minister has just not stated that the judgement of Supreme Court and the suitability are two main hindrances but now he says they are not......

Shri Ram Niwas Mirdha : It is also one of the reasons. I have not said that the difficulty is being caused only because of it.

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether these reservations are being strictly adhered to ? The Central Government says so but the State Governments do no act accordingly. There have been several such instances. I want to know what action the Government propose to take to ensure that the State Governments follow these reservations rules ?

Shri Ram Niwas Mirdha : State Governments are adhering to these policies and we are in constant touch with the states to see if these reservations are being acted upon. In some of the states, the procedure is defective and the roaster system is not properly adhered to. Time and again we try to correct the system.

So far as the question of enforcing reservation in the private sector is concerned, Govt. has not applied its mind to such a plan.

Shri Hukam Chand Kachwai : Provisions have been made for provident fund and bonus in the private sector. An assurance should also be given that this matter will also be considered by the Government.

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

डाक-तार विभाग के अधिकारियों का सेवागत टेलीफोन कालों का अधिकार

*470. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या संचार मंत्री डाक तथा तार विभाग के निरीक्षण क्वार्टरों में लगे टेलीफोन के सम्बन्ध में 22 मार्च, 1972 के तारांकित प्रश्न-संख्या 121 के उत्तर के सम्बन्ध से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छुट्टियां मनाने वाले अधिकारियों को भी डाक-तार विभाग के निरीक्षण क्वार्टरों का उन्हीं शर्तों पर प्रयोग करने का अधिकार है जिन पर कि दौरे पर जाने वाले अधिकारियों को है और क्या उन्हें निःशुल्क टेलीफोन सुविधा भी प्राप्त हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या वह तत्संबंधी सरकारी आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे,

(ग) क्या डाक-तार विभाग के अधिकारियों को सेवागत टेलीफोन कालें करने का भी अधिकार है, जिन्हें सार्वजनिक कालों पर प्राथमिकता दी जाती है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने किन कारणों से इन निरीक्षण क्वार्टरों में लगे टेलीफोन का दुरुपयोग रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही नहीं की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) : छुट्टी पर जाने वाले राजपत्रित विभागीय अधिकारी सभा पटल पर अनुलग्नक के तौर पर रखे नियम के उद्धरण के मुताबिक प्रतिबन्धित रूप में निरीक्षण क्वार्टरों में ठहरने के अधिकारी हैं। छुट्टी पर रहने वाले इन अधिकारियों को निःशुल्क टेलीफोन सुविधा प्राप्त करने की इजाजत नहीं है।

(ग) डाक-तार अधिकारी सरकारी काम काज के लिए विभागीय कालें करने के अधिकारी हैं परन्तु इन कालों को सार्वजनिक कालों पर अग्रता नहीं दी जाती।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

भारतीत डाक-तार विभाग के निरीक्षण क्वार्टरों में रहने से सम्बन्धित नियमों के पैरा 3-क की प्रतिलिपि

3 क. डाक तार विभाग के जो राजपत्रित अधिकारी छुट्टी पर हों या जो सेवा निवृत्त हो गए हों, वे दूरसंचार भवनों से लगे क्वार्टरों के अतिरिक्त दूसरे निरीक्षण क्वार्टर या निरीक्षण कमरे तब तक अपने रहने के लिए रख सकते हैं जब तक कि उनकी आवश्यकता ऐसे विभागीय अधिकारियों के लिए न हो जो सरकारी तौर पर दौरे पर हों। यदि ड्यूटी पर किसी विभागीय अधिकारी को जरूरत होगी तो इस प्रकार रखे हुए निरीक्षण क्वार्टरों और कमरे 24 घंटे के नोटिस पर खाली करने होंगे। छुट्टी पर रहने वाले अधिकारियों से किराया उनके छुट्टी पर जाने से पहले प्राप्त किये वेतन का 10 प्रतिशत चार्ज किया जाएगा, जबकि सेवा निवृत्त अधिकारियों से उनके अन्तिम बार प्राप्त किए वेतन के आधार पर लिया जाएगा। इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि उन्हें जो आवास स्थान दिया गया है वह स्थान उनके वेतन के आधार पर निकाले गए किराये के मुताबिक उन्हें दिये जाने वाले आवास स्थान से कम है या ज्यादा है।

उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने के लिये रियायतें

*471. **श्री राजदेव सिंह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों के ले जाने को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ रियायतें देने का है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की रियायतें दी गई हैं और उसका क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी): (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) : पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर दो कार्यकारी दलों की सिफारिशों के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित योजनाएँ बनायी हैं :—

(1) **रियायती वित्त के लिये योजना** : वित्तीय संस्थाएं अर्थात् आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई० ने देश के विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एकक प्रारम्भ करने के लिए उद्यमियों को रियायती शर्तों पर ऋण मंजूर करने का प्रस्ताव किया है । इस योजना ने 1970 के उत्तरार्द्ध से काम करना प्रारंभ किया । वित्तीय संस्थाओं ने अपनी रियायती शर्तों और उपबन्धों का पहले ही प्रचार कर दिया है ।

(2) **10 प्रतिशत केन्द्रीय एकमुश्त अनुदान या राज-सहायता योजना** 1971 : यह योजना 26-8-1971 को घोषित की गई थी । योजना के अन्तर्गत पर्याप्त विस्तार करने वाले नये या विद्यमान औद्योगिक एककों को उनके कुल अचल पूंजी विनियोजन के 10 प्रतिशत तक केन्द्रीय सरकार द्वारा राज-सहायता प्रदान की जायेगी, यदि प्रत्येक मामले में कुल अचल पूंजी विनियोजन 50 लाख रु० से अधिक नहीं है ।

(3) **परिवहन सहायता योजना**, 1971 : यह योजना 15-7-1971 को घोषित की गई थी । इस योजना के अधीन जम्मू तथा काश्मीर, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों तथा अरुणांचल संघ राज्य क्षेत्र में विद्यमान औद्योगिक एककों को पर्याप्त विस्तार करने अथवा नए एककों की स्थापना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जम्मू तथा काश्मीर के मामले में औद्योगिक एकक के स्थापना स्थल से पठानकोट तक तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के मामले में सिलीगुड़ी तक कच्चे माल और तैयार माल, दोनों के लाने-लेजाने में परिवहन पर होने वाले व्यय के 50 प्रतिशत तक राज-सहायता दी जायेगी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में:—(1) 10 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान अथवा राज-सहायता और

(2) परिवहन सहायता देने के लिये 5 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

रियायती वित्त योजना के अधीन भारत के औद्योगिक वित्त निगम और भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये अनेक एककों को सहायता दी है । औद्योगिक विकास बैंक ने राज्य के विभिन्न वित्त निगमों के माध्यम से सहायता दी है ।

जहां तक 10 प्रतिशत राज-सहायता योजना का प्रश्न है, करीब 360 अर्ह एककों ने राज्य सरकारों के पास अपना नाम दर्ज कराया है। राज-सहायता संबंधी उनके आवेदन पत्रों पर राज्य स्तर की समितियों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

इन उपायों के अतिरिक्त, अन्य अभिकरणों जैसे औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस आदि के सहयोग से भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों का एक औद्योगिक सर्वेक्षण किया है। अभी तक आसाम, बिहार, चंडीगढ़, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मनीपुर, नागालैंड, नेपाल (अरुणांचल) उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश के सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं तथा नागालैंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई हैं । इन रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है और ऐसी आशा है कि इन अभ्युपायों तथा राज्य अभिकरणों के संवर्धन कार्यों के फलस्वरूप पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास तेजी से होगा ।

श्री राजदेव सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश को, जिसके 54 जिलों में से 36 पिछड़े हुए हैं, केवल दो जिले आवंटित किये गये हैं जब कि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के राज्यों को भी दो जिले आवंटित किये गये हैं जिनको सीधे 10 प्रतिरात केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : इस मामले पर योजना आयोग ने मुख्य मंत्रियों के साथ और बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में विचार विमर्ष किया। उन बैठकों में इस बारे में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक राज्य में कितने जिले लिये जायेंगे और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश को दो जिले आवंटित किये गये ।

श्री राजदेव सिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर दो कार्यकारी दलों ने क्या सभी पिछड़े जिलों का सर्वेक्षण किया और उनकी सिफारिशों के अनुसार क्या सभी पिछड़े जिलों के लिये योजनाएं तैयार की गई ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : देश के सभी जिलों को नहीं लिया जा सकता है । देश में बहुत बड़े क्षेत्र पिछड़े हुए हैं । यदि सभी जिले एक साथ लिये जाते हैं, तो सभी क्षेत्रों में एक साथ उद्योगों

की स्थापना नहीं हो सकती। इस समय कुछ जिले चुने गये जिनके औद्योगीकरण की हम चेष्टा कर रहे हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : पटेल आयोग का गठन किया गया जिसने पिछड़े क्षेत्रों के बारे में कुछ सिफारिशें की। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं पटेल आयोग के बारे में समुचित जानकारी नहीं दे पाऊंगा। मैं कहना चाहूंगा कि गत वर्ष तक पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर कोई विशेष बल नहीं दिया गया था। जो कोई भी रिपोर्टें उपलब्ध थीं, अथवा जो कुछ भी सिफारिशें उनमें निहित थीं और विभिन्न अध्ययनों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान अपनी योजनाओं की घोषणा की और वे योजनाएं चालू हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांड़े : मैंने विशेष रूप से पटेल आयोग की सिफारिशों के बारे में पूछा था। मंत्री महोदय ने उसका उत्तर नहीं दिया है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : मेरा उत्तर अति स्पष्ट था। कई आयोगों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। यदि माननीय सदस्य, पटेल आयोग के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं, तो एक पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Jharkhande Rai : Keeping in view that 22 backward districts of India are in U.P., all these industries...............

Mr. Speaker : This is a general question. How have you brought in U. P. in this question ?

Shri Jharkhande Rai : I want to know that keeping in view this principle, is there any proposal to give priority to 22 districts of U. P. or not ?

Mr. Speaker : It has no relevancy to this question. It is a generel question and how can the Minister reply to it off hand.

Shri Jharkhande Rai : Mr. Speaker, Sir, this matter has been decided in principle, so whether these districts would be given priority or not ? This is a question about priority ?

Mr. Speaker : Why do you like him to say no ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जैसा कि मैंने कहा है, सारे देश को एक साथ पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ जिले चुनने पड़ते हैं। इस मामले पर राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार किया गया। सम्बद्ध राज्य सरकारों की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् योजना आयोग ने इन जिलों को चुना। मैं माननीय सदस्य की इस चिन्ता को, कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, अतएव उसमें से बड़े क्षेत्र को लिया जाना चाहिए, अनुभव करता हूं। वास्तव में, इस प्रश्न पर, कि राज्यों के पिछड़े जिलों की संख्या बढ़ाई जा सके अथवा नहीं, विचार हो रहा है। योजना आयोग भी इस पर विचार कर रहा है।

Shri Bibhuti Mishra : Has the Government considered to instal any industry in North Bihar ? There should be either broad gauge or metre gauge system, so that industries may be easily established. Has this matter been considered by the Government ?

Mr. Speaker : Please pass on this question to the Railway Minister.

लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में उद्योगों की स्थापना

*472. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में उद्योगों के स्थापना करने का है;

(ख) क्या उक्त द्वीपों के उद्योगीकरण हेतु लक्षद्वीप प्रशासन ने कुछ योजना भेजी है; और

(ग) यदि हां तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उसपर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार का लकादिव द्वीप समूह में उद्योग स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी बड़े उद्योग की स्थापना करने के बारे में इस मन्त्रालय में कोई भी आवेदन पत्र अनिर्णीत नहीं है। संघ राज्य प्रशासन का विचार 1973-74 में अगन्ती द्वीप समूह में मध्यम आकार का डिब्बा बन्दी का एक कारखाना तथा 1972-73 में दो कारखाने, एक नोट-बुकें बनाने के लिए तथा दूसरा नारियल कर्पर चूर्ण का उत्पादन करने के लिए, स्थापित करने का है। प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि चूंकि यहां स्थानीय पहल और पूंजी का सर्वथा अभाव है इसलिए उनका विचार द्वीप से बाहर के उद्योगपतियों को वहां उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति देने का है जिससे कि स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिल सके। एक गैर-सरकारी फर्म के बारे में बताया गया है कि उसने द्वीप समूह में मछलियों को ठंडा करके डिब्बा बन्द करने का कारखाना स्थापित करने हेतु कृषि मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। प्रशासन ने गृह मन्त्रालय को यह भी सुझाव दिया है कि केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम इस द्वीप समूह में लघु एकक स्थापित कर सकता है। प्रशासन ने अपनी 1972-73 की वार्षिक योजना में लघु उद्योगों तथा नारियल जटा उद्योग पर 2.27 लाख रुपया खर्च करने का प्रस्ताव किया है।

संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त प्राप्त करने का तथा केन्द्र से 10% की राजसहायता भी प्राप्त करने के लिए चुना गया है।

आशा है कि प्रशासन द्वारा दिए गए इन प्रोत्साहनों और अन्य सुविधाओं से देश के कुछ उद्यमी इस द्वीप समूह में उद्योग लगाने के लिए आकृष्ट हो सकेंगे ।

श्री सी० जनार्दनन : मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस बात से सहमत होंगें कि यह द्वीप काफी समय से अपेक्षित रहा है । सरकार द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण से प्रकट होता है कि सरकार वहाँ कोई उद्योग स्थापित नहीं करना चाहती । वहाँ के अशक्त स्थानीय प्रशासन ने कोई योजना भेजी है, जो खतरनाक और अव्यवहार्य है···

अध्यक्ष महोदय : वह अपना प्रश्न पूछें ।

श्री सी० जनार्दनन : इस बात को देखते हुए कि स्थानीय प्रशासन द्वारा भेजी गई योजना अव्यवहार्य है तथा स्थानीय प्रशासन के ये सुझाव कि केवल औद्योगिक विकास निगम वहां पर कुछ उद्योग स्थापित कर सकता है, अव्यवहार्य हैं······

अध्यक्ष महोदय : बारह बज चुके हैं । वह अब समाप्त करें ।

श्री सी० जनार्दनन : क्या सरकार वहाँ पर कोई केन्द्रीय उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ?

श्री मोइनुलहक चौधरी : माननीय सदस्य का यह कथन है कि मैंने अपने उत्तर में कहा था कि सरकार कोई उद्योग स्थापित करने को तैयार नहीं है, ठीक नहीं है । मैंने कहा था कि उपद्वीप में भौगोलिक तथा अन्य कठिनाइयों तथा उसके आकार के कारण बड़े उद्योग स्थापित करना तो सम्भव नहीं है । मैंने कई उद्योगों का नामोल्लेख किया है जिनकी स्थापना की जा रही है और योजना में धन की व्यवस्था भी कर दी गई है । इससे आगे हमने डी० सी० एस० एस० आई० के माध्यम से सर्वेक्षण किया है । और आगे क्या किया जा सकता है, इस पर हम विचार कर रहे हैं ।

श्री सी० जनार्दनन : क्या सरकार अपना कोई उद्योग स्थापित करेगी ? इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : इस समय मैं इस बारे में वचन नहीं दे सकता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

डाक बचत बैंक खाते के स्थानांतरण में विलम्ब

*462. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या डाक बचत बैंक खाते को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने में एक वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है ।

(ख) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी 1972 के "स्टेट्समैन" (दिल्ली) में प्रकाशित "डाक-कार्यकुशलता" समाचार की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो क्या उस खाते को स्थानान्तरित करने में 18 महीनों से भी अधिक समय लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जाँच की गई है, और

(ग) क्या इस बीच वह खाता स्थानान्तरित कर दिया गया है और जो लोग इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी थे, उन्हें दण्ड दे दिया गया है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) : जी नहीं। यह सही नहीं है कि डाक बचत बैंक खाते के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले में एक वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है।

(ख) जी हाँ, सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1972 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित 'पोस्टल एफिसिएंशी' समाचार की ओर दिलाया गया है और इसकी जांच की जा चुकी है।

(ग) उस खाते का हाल ही में तबादला कर दिया गया है। बस्ती डाकघर और वाराणसी प्रधान डाकघर के उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही है।

परमाणु संयन्त्रों के लिए अमरीका से कच्चे माल की आमद में कमी

*465. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या परमाणु ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए अमरीका से कच्चे माल की आमद में कोई कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कच्चे माल के लिए देश किस सीमा तक अमरीका पर निर्भर है तथा कच्चे माल के आयात में कितनी कमी हुई है; और

(ग) देशीय संसाधनों का उपयोग करने और अन्य देशों से कच्चे माल की सप्लाई का वैकल्पिक प्रबन्ध करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कच्चे माल की सप्लाई के बारे में अन्य देशों पर भारत की निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य से देशी श्रोतों से ही कच्चा माल प्राप्त करने का प्रयत्न लगातार किया जा रहा है। यूरेनियम सांद्रों का उत्पादन पहले से ही भारत में किया जा रहा है तथा ईंधन तत्त्वों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए हैदराबाद में शीघ्र ही और संयन्त्र चालू किये जायेंगें।

डाक तथा तार की विभागेतर पद्धति के कार्यकरण के सम्बन्ध में एक सदस्यीय समिति

*466. **श्री वी० मायावन** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग में विभागेतर पद्धति के कार्यकरण की जाँच करने और विभागेतर एजेन्टों को सेवाओं के लिए भुगतान करने के आधार का पुनर्विलोकन करने के लिए गठित एक-सदस्यीय समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है,

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) : जी हां।

(क) और (ग)—समिति की रिपोर्ट 16-3-1972 को ही प्राप्त हुई थी। समिति की सिफारिशों की जाँच की जा रही है। ज्यों ही उन पर निर्णय हो जाएगा, सदन के पटल पर एक बयान रखा जाएगा जिसमें मुख्य शिफारिशें और उन पर की गई कार्रवाई बताई गई होगी।

प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों का लागू न किया जाना

*469. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम प्रेस आयोग की कुछ सिफारिशों को गत 18 वर्षों में लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उन सिफारिशों की मोटी रूप-रेखा क्या है; और

(ग) उनके लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) (क) से (ग) : प्रेस आयोग के विचार में उनकी कुछ सिफारिशें सरकार द्वारा कार्यान्वित की जानी थीं जबकि अन्य संबंधित पक्षों अर्थात समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वित की जानी थी। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सिफारिशों के बारे में, जैसा कि 15 मई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1737 के उत्तर में सदन की मेज पर रखे गये विवरण में बताया गया था, सरकार ने यथासंभव आवश्यक कारवाई की है।

निजी निर्माताओं से वृत चित्रों की खरीद

*473. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री मोहन स्वरूप :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी निर्माताओं और अन्य एजेन्सियों से वृत्त चित्र खरीदने के सम्बन्ध में फिल्म डिवीजन को परामर्श देने हेतु सरकार ने किसी पैनल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी): (क) : जी हाँ, ।

(ख) : एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

गैर सरकारी निर्माताओं और अन्य एजेन्सियों से वृत चित्र खरीदने के संबंध में फिल्म प्रभाग को सलाह देने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं:—

(1) अध्यक्ष, फिलम सलाहकार बोर्ड, बम्बई ।	...	अध्यक्ष
(2) नियंत्रक व मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, बम्बई ।	...	सदस्य
(3) उप सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ।	...	सदस्य
(4) निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ।	...	सदस्य
(5) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली ।	...	सदस्य
(6) श्री बसु चटर्जी, सम्पर्क सचिव, फैडरेशन आफ फिलम सोसाइटीज आफ इंडिया, बम्बई ।	...	सदस्य
(7) श्री विक्रम सिंह, फिल्म आलोचक, टाइम्स आफ इंडिया, बम्बई ।	...	सदस्य
(8) अतिरिक्त नियन्त्रक-व-अतिरिक्त मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, बम्बई	...	सदस्य सचिव

समिति, गैर सरकारी निर्माताओं तथा अन्य एजेन्सियों से वृत-चित्रों की खरीद के बारे में समय-समय पर फिल्म प्रभाग को प्राप्त होनेवाले सभी प्रस्तावों पर विचार करेगी और फिल्मों के स्तर सामान्य प्रचारार्थ उनकी उपयुक्तता तथा इस प्रकार के अन्य सम्बन्धित मानदंडों के आधार पर

यह सलाह देगी कि फिल्म प्रभाग द्वारा विचाराधीन फिल्में प्राप्त की जानी चाहिए अथवा नहीं। समिति वृत चित्रों की खरीद से संबंधित सामान्य प्रकृति के मामलों पर भी विचार करेगी और फिल्म प्रभाग को अपनी सलाह देगी। समिति की बैठक 3 मास में कम से कम एक बार या आवश्यकतानुसार अधिक बार होगी।

2. प्रत्येक वृत चित्र का क्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए समिति की एक स्थायी उप-समिति होगी। स्थायी उप-समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :—

(1) नियंत्रक व मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, बम्बई।

(2) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, फिल्म प्रभाग।

(3) उप सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय

या

उप-सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली की अनुपस्थिति में अवर सचिव (फिल्म)।

(4) अतिरिक्त नियन्त्रक व अतिरिक्त मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग, बम्बई।

दूर-संचार सेवाओं के विकास के लिए विश्व बैंक से चौथा ऋण

*474. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर-संचार सेवाओं के विकास हेतु कच्चा माल और पुर्जे आदि आयात करने के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा की पूर्ति के लिए 1972-74 की शेष अवधि में चौथा ऋण लेने के लिए विश्व बैंक द्वारा इस विभाग के साथ आरम्भ किये गये विचार-विमर्श की मुख्य बातें क्या हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) इस सिलसिले में विश्व बैंक के उस मिशन की जो मूल्यांकन के लिए भारत आया था, सिफारिशें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): (क) : भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से ऋण के संबंध में हुई बातचीत के परिणामस्वरूप विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके अंतर्गत 7 करोड़ 80 लाख अमरीकी डालरों का ऋण (जिसे चतुर्थ ऋण का नाम दिया गया है) दूर-संचार संबंधी विकास के लिए प्रदान किया जाएगा। इन 7 करोड़ 80 लाख डालरों में से 2 करोड़ 60 लाख डालर डाक-तार विभाग साज-सामान और सेवाओं के आयात के लिए खर्च करेगा और 5 करोड़ 20 लाख डालर एच० टी० एल०, आई० टी० आई० और एच० सी०एल० के कारखानों द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आखिरी 2 सालों के दौरान डाक-तार विभाग के लिए दूर-संचार उपस्करों के अपने निर्माण-कार्यक्रम के लिए आयात किये जाने वाले आवश्यक कच्चे माल की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए काम में लाए जाएंगे।

(ख) विश्व बैंक के मूल्यांकन-मंडल ने 7 करोड़ 80 लाख अमरीकी डालरों के ऋण के लिए सिफारिश की है ताकि डाक-तार विभाग इस रकम से अपने लिए साज-सामान का आयात

कर सके और तीन सरकारी कारखाने अर्थात् आई०टी०आई०, एच०सी०एल० और एच०टी०एल. अपने लिए कच्चा माल और कल पुर्जे आयात कर सकें।

उत्पादन के लाभों में श्रमिकों के हिस्से सम्बन्धी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

475. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छे औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने श्रमिकों के साथ उत्पादकता के लाभों में हिस्सा बंटाने के लिए आदर्श प्रोत्साहन योजनाएं तथा मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाये हैं ?

(ख) क्या मार्ग दर्शक सिद्धान्त और ये योजनाएं प्रबन्धकों और श्रमिकों, दोनों के लिए लाभदायक होंगी ; और

(ग) यदि हां, तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) (क) : जी, हाँ।

(ख) : जी, हां। मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण श्रमिकों तथा प्रबन्धकों की सहायता के साथ साथ उपभोक्ताओं की भी सहायता के लिये किया जाता है।

(ग) : सभापटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(ग) : मुख्य रूपरेखा निम्न प्रकार है :—

(1) उत्पादिता के लाभ में भागीदार बनाने का सर्वव्यापी राष्ट्रीय सिद्धान्त तैयार कर पाना संभव नहीं है।

(2) उत्पादकता में वृद्धि करना प्रबन्धकों का प्रमुख दायित्व है।

(3) सापेक्षत: केवल कुछ एक उद्यमों में ही प्रोत्साहन की पर्याप्त योजना है। अतः जहाँ भी संभव हो उद्योगों को उत्पादकता में उसकी माप सहित वृद्धि करने के लिये प्रभावी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करनी चाहिये।

(4) इस प्रकार की प्रोत्साहन योजनायें सरल पर समन्वित प्रकार की होनी चाहिये। ये योजनायें कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने वाली तथा उन्हें न्यूनतम बर्बादी के लिये प्रेरणाप्रदान करने वाली होनी चाहिये।

(5) उद्यमों को कर्मचारियों के उपयुक्त वर्गीकरण के लिये कार्य मूल्यांकन प्रणाली अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

(6) उद्यमों को श्रमिक प्रतिनिधियों के सहयोग से उत्पादकता समझौतों की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार के समझौतों में उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। उत्पादकता के लाभ को समान रूप में प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच पारस्परिक समझौते के आधार पर वितरण किया जाना चाहिये।

(7) प्रारंभ में उत्पादकता के लाभ का वितरण व्यवस्था का कुछ संगठित उत्पादक उद्योगों में प्रयोग किया जाना चाहिये।

2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने उत्पादकता के लाभ में हिस्सा बढ़ाने के लिये 11 उदाहरणात्मक आदर्श योजनायें तैयार की हैं। ये नमूने किसी भी रूप में व्यापक नहीं कहे जा सकते फिर भी इन्हें कुछ आवश्यक संशोधन के साथ विभिन्न औद्योगिक स्थितियों में व्यवहार में लाया जा सकता है।

रा० उ० परिषद द्वारा तैयार किए गये 11 उदाहरणात्मक नमूने निम्नलिखित हैं:—

(1) उत्पादन के विक्रय मूल्य से संबंधित लाभ

(2) उत्पादन मूल्य से संबंधित बढ़ा हुआ लाभ

(3) उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित सूचकांक लाभ

(4) मासिक उत्पादकता सूचकांक तथा वार्षिक उत्पादकता बोनस योजनाओं से संबंधित लाभ।

(5) उत्पादन के बहुकारकों से संबंधित लाभ

(6) उत्पादन लाभ मापने के लिये प्रीमियम प्रदान योजना

(7) मानक (स्टेंडर्ड) समय की बचत द्वारा मानित उत्पादकता लाभ

(8) समूहगत और संयंत्रगत कार्य क्षमता सूचकांक द्वारा मापित उत्पादकता लाभ

(9) कार्यक्षमता सूचकांक में वृद्धिकर मापा जाने वाला उत्पादकता लाभ या विस्तार अथवा अन्य तरीके अपना कर स्टेंडर्ड समय में बचत करने से मिलने वाला लाभ

(10) संपूर्ण कार्यक्षमता द्वारा मापा गया उत्पादकता लाभ अथवा संयंत्र के उपयोग और विभिन्न प्रकार के बोनस की अदायगी द्वारा निर्धारित किया गया लाभ

(11) उत्पादन और किस्म के स्टेंडर्ड से संबंधित उत्पादकता लाभ

बिड़ला ग्रुप की फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

476. **श्री एन० ई० होरो :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला ग्रुप की कुछ फर्मों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करने के कुछ आरोप थे ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन आरोपों की जाँच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख): जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) कुछ पार्टियों द्वारा दायर की गई प्रादेश याचिकाओं के कारण और उच्च-न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में की गई कार्यवाहियों के फलस्वरूप प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच-कार्य पूरा न किया जा सका । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिनांक 8 नवम्बर, 1971 को मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड तथा अन्यों के विरुद्ध भी एक मामला जांच के लिए दर्ज किया है ।

हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक विकास

477. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति धीमी है ।

(ख) यदि, हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति तेज करने में केन्द्रीय सरकार का क्या योग दान है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग) : वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए क्रमशः 1 औद्योगिक लाइसेंस तथा 4 आशय पत्र दिये गए थे जबकि वर्ष 1970 में केवल 1 आशय पत्र दिया गया था। राज्य निदेशक (उद्योग) के पास लगभग 4000लघु उद्योग एकक पंजीयित हैं । ऐसा ज्ञात हुआ है कि राज्य द्वारा संचालित-गनाहन फाउन्डरी अपने 50 लाख के वर्तमान उत्पादन स्तर को विविधीकरण द्वारा 1.5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का कर रही है । इस समय हिमाचल प्रदेश खनिज और औद्योगिक विकास निगम कुछ परियोजनाएं स्थापित कर रहा है जिसमें डोलामाइट तथा चूने के पत्थर का खनन किया जाएगा तथा मिट्टी के बर्तन, फरनीचर, गलीचे, वर्सटेड स्पिन्डिल्स तथा सीमेंट का निर्माण होगा । इस प्रदेश में राजबन स्थान पर (पोन्टा) एक नया सीमेंट संयत्र स्थापित करने हेतु सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया को एक आशयपत्र दिया गया है । इस कार्य में प्रगति हो रही है । अतएव, यह नहीं कहा जा सकता कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति धीमी है ।

वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती धन देने हेतु हिमाचल प्रदेश में पांच जिले :—यथा चम्बा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल तथा सिही चुने गये हैं। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिला केन्द्र से 10 प्रतिशत निवेश अनुदान लेने का पात्र है।

कलकत्ता में त्रुटिपूर्ण और अनियमित टेलीफोन सेवाएं

478. **श्री समर गुह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सेवाएं प्रायः त्रुटिपूर्ण और अनियमित होने के विषय में कलकत्ता के टेलिफोन उपभोक्ताओं ने अनेक बार शिकायतें की हैं,

(ख) क्या (i) फोनोग्राम्स (ii) विशेष सेवायें और (iii) ट्रक कालें या तो बहुत अनियमित हैं या इनमें अत्यधिक विलम्ब होता है; और क्या कलकत्ता टेलीफोन का यह त्रुटिपूर्ण कार्यकरण (i) यांत्रिक खराबियों और (ii) कर्मचारियों की संचालन सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही के कारण है,

(ग) क्या टेलीफोन सलाहकार समिति की विगत तीनों बैठकों में ये मामले उठाये गए थे परन्तु कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किये गये हैं, और यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :(क): कलकत्ता के उपभोक्ताओं से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) फोनोग्राम, विशेष सेवा और ट्रंक से मिलने वाले उत्तर न तो पूर्णतया अनियमित हैं और और न ही उनमें बहुत अधिक विलम्ब होता है। उत्तर ठीक समय पर दिया जाता है और लगभग 80 प्रतिशत प्रभावी कालों का जबाब, जबाव देने के लिए निर्धारित समय में ही दे दिया जाता है। प्रचालन में लापरवाही करने के कारण दोषपूर्ण प्रचालन नहीं होता बल्कि मुख्य रूप से मशीनों की खराबियों और कर्मचारियों के गैर हाजिर रहने से स्टाफ की कमी के कारण होता है।

(ग) इनमें से कुछ मामले 18-3-72 और इससे पहले हुई टेलीफोन सलाहकार समिति की बैठक में सामान्यरूप से उठाए गए थे। सुधार सम्बन्धी कार्यवाईयां की गई हैं और आगे की जा रही हैं।

रेडियों सेटों की लाइसेंस फीस में रियायत

*479. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम में एक ही स्थान पर २ रेडियो सेट हों लाइसेंस फीस में कुछ रियायत दी जाती है,

(ख) क्या ऐसे व्यक्ति को कोई रियायत नहीं दी जाती है जिसके पास रेडियो भी हो और टेलीविजन सेट भी हो और यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे मामलों में भी लाइसेंस फीस में कुछ रियायत देने के बारे में विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) : जी हां ।

(ख) यदि किसी व्यक्ति के पास रेडियो और टेलीविजन दोनों सेट हैं तो कोई रियायत नहीं दी जाती क्योंकि टेलीविजन और रेडियो एक ही माध्यम नहीं है।

(ग) जी नहीं ।

लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सामान खरीदने की नीति में संशोधन करना

*480. **श्री रण बहादुर सिंह** :क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्रोत्साहित करने से लिये सरकार अपनी सामान खरीदने की नीति में संशोधन करने का कोई विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) : सरकार राज्य खरीद कार्यक्रम के माध्यम से कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति पहले से अपना रही हैं। इस नीति के अनुसरण में सरकार ने, लघु उद्योगों से खरीद करने के लिए कुछ वस्तुओं का आरक्षण करना, लघु उद्योगों के उत्पादों को मूल्य वरीयता देना, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में पंजीकरण कराने के लिये निःशुल्क फार्मों का वितरण करना, जमानत की राशि को हटा देना तथा विशिष्ट उत्पादों के निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी के संबंध में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण दल से निःशुल्क सलाह देने आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं और रियायतें दी हैं। केन्द्रीय भण्डार (स्टोर) खरीद कार्यक्रम में लघु उद्योगों का अधिक से अधिक हिस्सा हो इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चय करना कि किस हद तक वर्तमान सुविधाएं और रियायतें दी जा रही हैं, की ओर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है ।

अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय करार

*3223. **श्री वयालार रवि** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थुम्बा में अन्तरिक्ष अनुसंधान सम्बन्धी वर्तमान सुविधाओं का उपयोग करने के लिए किन-किन देशों ने भारत के साथ द्विपक्षीय करार किये हैं और इन देशों के साथ किये गये करारों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या और अधिक देशों के साथ ऐसे करार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री : परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) : सन् 1963 में, थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र की स्थापना होने के बाद, परमाणु ऊर्जा विभाग ने जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा अमरीका के साथ द्विपक्षीय करार किये हैं। ये करार मौसम-विज्ञान, आवेश रहित ऊपरी वायुमंडल, आयनमंडल तथा ऐक्स-किरण, खगोल-विज्ञान के बारे में किये गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल और बिहार में छिपे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी

3224. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त 1969 से आज तक पश्चिम बंगाल और बिहार में छिपे कुल कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) कितने व्यक्तियों के पास से अन्य देशों की ओर से जासूसी करने सम्बन्धी दस्तावेज, हथियार और गोलाबारूद बरामद किये गये थे; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को उनके देशों में भेज दिया गया है और कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : जहाँ तक बिहार का सम्बन्ध है, अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(क) 1 अगस्त, 1969 और 13 मार्च 1972 के बीच 14 पाकिस्तानी राष्ट्रिक गिरफ्तार किये गये।

(ख) इन 14 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से दूसरे देशों की ओर से जासूसी करने से सम्बन्धित कोई दस्तावेज और हथियार तथा गोलाबारूद बरामद नहीं हुए हैं।

(ग) एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक को निष्कासित कर दिया गया, एक मर गया, एक छोड़ दिया गया और शेष 11 पर मुकदमा चलाया जा रहा है। उपरोक्त आँकड़ों में तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी शामिल नहीं है।

पश्चिम बंगाल से आँकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे।

बंगला देश के संघर्ष के बाद से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों और पंचमांगियों की गिरफ्तारी

3225. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश में आजादी की लड़ाई आरम्भ होने से लेकर कुल कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिक और पंचमाँगी गिरफ्तार किये गये, कितने व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये और कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-3-1972 से 31-3-1972 तक की अवधि के दौरान पंचमांगी होने के सन्देह में 26 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। अभियोजित व दण्डित व्यक्तियों की संख्या के बारे में तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

असम, जम्मू व कश्मीर, मेघालय, पंजाब, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों के बारे में सूचना आनी है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय सूचना सेवा के विभिन्न विभागों में ग्रेड चार में तदर्थ नियुक्तियां

3226. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय सूचना सेवा के विभिन्न विभागों में ग्रेड चार के पदों पर इस समय कुल कितने कर्मचारी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो उसी हैसियत से 1961 से 1971 तक, वर्ष-वार, कार्य कर रहे हैं; और

(ग) इस तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे इन कर्मचारियों को केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड चार में नियमित कर्मचारी अब तक न बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

(घ) तदर्थ आधार पर नियुक्त इन कर्मचारियों को नियमित करने के बार में सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रलाय में उप-मन्त्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) : 82

(ख) वर्ष-वार व्योरा इस प्रकार है :—

चतुर्थ ग्रेड में प्रवेश वर्ष	वर्ष में नियुक्त किए गए उन व्यक्तियों की संख्या जो 1971 तक कार्य करते रहे
1961	3
1962	5
1963	8
1964	7
1965	9
1966	11
1967	9
1968	6
1969	20
1970	3
1971	1
कुल	82

(ग) : केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली के अन्तर्गत इस सेवा के ग्रेड–4 में नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है। तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे इन व्यक्तियों में से किसी ने भी आयोग द्वारा की गई परीक्षाओं में योग्यता प्राप्त नहीं की।

(घ) इनको नियमित आधार पर जारी रखने के प्रश्न पर केन्द्रीय सूचना सेवा के पुनर्गठन के प्रस्तावों के अंग के रूप में विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सीधी भरती से आने वाले अनुभाग अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर

3227. **श्री बेकारिया : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किये गये विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिवों और उप सचिवों के वरिष्ठ श्रेणी के पदों पर नियुक्त हैं और उन्हें 200-300 रुपये प्रतिमास तक का विशेष वेतन पाने की अनुमति है;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के बहुत से अधिकारी, जिन्होंने वर्ष 1960 में और बाद के वर्षों में योग्यता के आधार पर उच्च स्थान प्राप्त किये हैं, अब भी अनुभाग अधिकारी के श्रेणी II के पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो ऊपर भाग (क) और (ख) में उल्लिखित श्रेणी के अधिकारियों की संख्या कितनी है, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सीधे भर्ती किये गये अनुभाग अधिकारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) : जी हाँ, श्रीमान्। भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं श्रेणी—I में नियुक्त किए गए उन अधिकारियों के बारे में भारत सरकार में अवर सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए कालावधि के आधार पर विचार किया जाता है, जब कि उन्होंने श्रेणी—I सेवा में कम से कम 6 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और उप-सचिवों के पद पर उनके बारे में तब विचार किया जाता है, जब कि उन्होंने श्रेणी—I सेवा में 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 और उसके अधीन बने पदोन्नति विनियमों के अनुसार, केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड के वे स्थायी अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम 10 वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो, उन्हें अवर सचिव के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र समझा जाता है और सामान्यतः प्रत्येक अवसर पर विचार का क्षेत्र प्राप्त रिक्तियों की संख्या का पाँच गुणा तक सीमित किया जाता है। तथापि, वर्ष 1960 तथा 1961 में हुई परीक्षाओं के सीधी

भर्ती के आधार पर नियुक्त अनुभाग अधिकारियों को वर्ष 1972 के लिए अवर सचिव ग्रेड हेतु चयन-सूची के लिए विचारार्थ क्षेत्र में शामिल किये जाने की सम्भावना है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा विभिन्न सेवाओं के लिए एक सम्मिलित परीक्षा है, जिसमें केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी का ग्रेड भी शामिल है। उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पूर्णतया, योग्यता-सूची में उनके क्रम के अनुसार उनके द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए दी गई पात्रता के आधार पर आवंटित किया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार श्रेणी—I सेवा की तुलना में श्रेणी—II सेवा को अधिमान्यता देता है तो उस पर इस बात का विचार किए बिना कि योग्यता-सूची क्रम के अनुसार उसे श्रेणी—II सेवा प्राप्त हो सकती है, सर्वप्रथम उस सेवा (श्रेणी–II) के लिए विचार किया जाता है। किसी सेवा विशेष में नियुक्त किए गए अधिकारी को अपनी पदोन्नति के अवसरों के लिए अपनी ही सेवा में, उसके द्वारा प्राप्त क्रम तथा अधिमान के आधार पर प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(ग) श्रेणी (क) के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1960 से भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के माध्यम से अनुभाग अधिकारी के रूप में भर्ती किये अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है:—

(i) वर्ष 1960 में ली गई परीक्षा··· 15

(ii) वर्ष 1961 में ली गई परीक्षा··· 19

(iii) बाद के वर्षों में ली गई परीक्षाएं··· 113

(घ) अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में सीधी भर्ती, पदों के न्यून प्रतिशत पर की जाती है। उस ग्रेड में नियुक्ति के बाद सीधी भर्ती वालों को उस ग्रेड में अन्य सूत्रों से नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के साथ केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिए उपलब्ध उच्च पदों की संख्या के आधार पर अपनी पदोन्नति के लिए अवसर लेने होते हैं।

केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियमों और कानून देवन पर्वत (भूमि पुनर्ग्रहण) अधिनियम को संविधान की नवीं अनुसूचि में शामिल करना

3228. **श्री वयालार रवि** : क्या गृह मंत्री 22 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 977 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियमों और कानून देवन पर्वत (भूमि पुनर्ग्रहण) अधिनियम, 1971 को संविधान की नवीं अनुसूचि में शामिल करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया है।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : अभी तक नहीं श्रीमान् !

दिल्ली और अलीगढ़ के बीच आटो-टेलीफोन लाइन

3229. **श्री अम्बेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अलीगढ़ के बीच आटो-टेलीफोन लाइन की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हाँ, तो इन आटो सर्विस की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) : अलीगढ़ में इस समय एक मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज है । 1972-73 के उत्पादन के कार्यक्रम में अलीगढ़ के लिए आटोमैटिक मशीन अलाट कर दी गई है । 1975 में इस एक्सचेंज के चालू होने की उम्मीद है । दिल्ली और अलीगढ़ के बीच उपभोक्ता द्वारा ट्रंक डायल करने के प्रश्न पर उसके बाद ही विचार किया जायेगा ।

(ख) आशा है कि दिल्ली और अलीगढ़ के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली 1976 में चालू हो जाएगी ।

पुलिस कर्मचारियों के आवासन और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केरल की सहायता

3230. **श्री वयालार रवि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस कर्मचारियों के आवासन और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के अधीन 1972-73 में केरल राज्य को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है या करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : 1972-73 वर्ष के लिए पुलिस आवास तथा पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजनाओं के अधीन धन के आवंटन की अभी परीक्षा की जा रही है । ये आवंटन अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों की आवश्यकताओं, उनके पुलिस बलों की संख्या, इस समय विद्यमान आवास कमी की सीमा और कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किये गये उपायों को ध्यान में रख-कर किये जाते हैं । इसी प्रकार आधुनिकीकरण योजना के बारे में आवंटनों का नियंत्रण धन की उपलब्धता, राज्यों की आवश्यकताओं, राज्यों द्वारा प्राप्त आधुनिकीकरण के स्तर आदि द्वारा किया जाता है ।

टरबाइन बनाने के लिये भारत-अमरीका संयुक्त कार्यक्रम

3231. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या अनेक प्रकार की टरबाइन और विशेष प्रकार के पम्प बनाने के लिये, जिनकी हमारे देश में तथा विदेशों में काफी मांग है, भारत-अमरीका संयुक्त उपक्रम बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) : सरकार

ने मैसर्स फेयरबेंक्स भारेसे एण्ड कंपनी, यू॰ एस॰ ए॰ के साथ मैसर्स फ्लोमोर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के विदेशी सहयोग के निम्नलिखित वस्तुएं बनाने के प्रस्ताव को 1969 में अनुमोदित कर दिया था:—

(1) मिश्रित फ्लो पम्प 54" तक

(2) एक्सल फ्लो तथा मिश्रित फ्लो प्रापेलर पम्प 152" तक तथा

(3) डीपलेस टरबाइन पम्प 48" तक।

35 प्रतिशत विदेशी इक्विटी में भाग लेना तथा 25 प्रतिशत तक निर्यात का दायित्व इसकी मोटी शर्तें हैं।

2. सबमरसीबल पम्प व मोटर तथा एक्सप्लोजन प्रूफ तथा ओशनो ग्राफी सबमरसीबल मोटर बनाने के मैसर्स मोदी इंडस्ट्रीज (विदेशी सहयोग) प्राइवेट लिमिटेड के मैसर्स फ्रेंकलिन इलैक्ट्रिक कंपनी, आइ॰ एन॰ सी॰ इंडियाना यू॰ एस॰ ए॰ के साथ विदेशी सहयोग का दूसरा प्रस्ताव जिसमें विदेशी इक्विटी की सहयोगिता तथा पर्याप्त निर्यात का दायित्व सम्मिलित है, सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

3. तकनीकी जानकारी की फीस देकर इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने, रेसी प्रोकेटिंग पिस्टन पम्प बनाने हेतु डिजाइनें व ड्राइंग बनाने के मैसर्स भारत पम्पस् एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा प्रस्तावित मैसर्स यू॰ एस॰ एस॰ इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्टस्, आई॰ एन॰ सी॰ पिट्सबर्ग, पेनसिलवेनिया, यू॰ एस॰ ए॰ के साथ विदेशी तकनीकी सहयोग के प्रस्ताव का भी सरकार ने अनुमोदन कर दिया है।

4. उपरोक्त पहले दो मामले, यथा—(1) मैसर्स फ्लोमोर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली तथा (2) मैसर्स मोदी इंडस्ट्रीज (विदेशी सहयोग) प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी सहभागिता के संयुक्त प्रयास हैं जब कि बाद का मामला मात्र तकनीकी सहयोग का है जिसमें कोई इक्विटी सहभागिता नहीं है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल के प्रबन्धकों में परिवर्तन

3232. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, हैवी इलैक्ट्रिकल्स उद्योग समूह, विशेषकर हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल के मुख्य प्रबन्धकों में कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड एवं भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि॰ में उच्च स्तर पर प्रबन्ध

व्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रश्न कुछ समय से औद्योगिक विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय, यह पता चला कि निर्धारित क्षमता प्राप्त करने में अवरोधक तत्वों का पता लगाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में सरकार द्वारा गठित कार्यकारी समिति है० इ० (इण्डिया) लि० और भारत है० इ० लि० के एककों का अध्ययन कर रही थी। उनके अध्ययन से लाभ उठाकर उच्चतर स्तर की कार्य कुशलता प्राप्त करने के विचार से इन उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में उच्च स्तर पर परिवर्तन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली में निर्वाचन के दिन ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी

3233. **श्री डी० के० पंडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में निर्वाचन के दिन अर्थात् 11 मार्च, 1972 को कितने सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर थे ;

(ख) क्या उस दिन ड्यूटी पर रहने के कारण उन्हें अतिरिक्त वेतन भत्ता दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कितना अतिरिक्त भत्ता दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : 11 मार्च, 1972 को

निर्वाचन ड्यूटी में निर्वाचन कर्मचारियों की संख्या	17,500
उस दिन विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनात पुलिस कर्मचारियों (अधिकारियों समेत) की संख्या	8,961
योग	26,461

(ख) और (ग) : निर्वाचन ड्यूटी पर लगाये गये सरकारी कर्मचारियों को केवल सामान्य मंहगाई भत्ता/यात्रा भत्ता ग्राह्य होता है।

किन्तु पुलिस कर्मचारियों को (सहायक उप-निरीक्षक के पद तक) जिन्होंने निर्वाचन के दिन लगातार 9 घंटे से अधिक ड्यूटी की थी मुफ्त भोजन के बदले में नकद भत्ते के रूप में 10,175 रु० की धन राशि दी गई/दी जा रही है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया में 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी वाला मामला

3234. **श्री बी०के० दासचौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया में 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी वाले मामले की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) : जी हां।

(ख) : दो अभियुक्त श्री आर० एस० नागरवाला तथा श्री वी०पी० मल्होत्रा इस मामले में गिरफ्तार किये गये थे। अभियुक्त श्री वी०पी० मल्होत्रा को न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया

क्योंकि उसके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं बन सका। अभियुक्त श्री आर०एस० नागरवाला की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नई दिल्ली की न्यायालय में पुनः विचारण के दौरान ही 2-3-1972 को मृत्यु हो गई। न्यायालय ने उसके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही समाप्त करने का आदेश दे दिया।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में सचिव का बदला जाना

3235. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री के राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में एक अर्हताप्राप्त सचिव की नियुक्ति के बारे में 15 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को अपने वर्तमान अनर्ह सचिव के स्थान पर अर्हताप्राप्त सचिव नियुक्त करने के सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान सचिव को अन्य सरकारी उपक्रमों के सचिवों से अधिक वेतन मिलता है जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) : जी, नहीं।

(ख) 15 जून 1971 के अता० प्र० सं० 2173 के उत्तर में दिये गये अनुदेश विद्यमान सचिवों को बदलने के बारे में नहीं हैं। अनुदेश भविष्य में अर्हता प्राप्त सचिव की नियुक्ति से संबधित हैं।

(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० के सचिव का वेतन मान 1600-2250 रुपये है। नई दिल्ली स्थित फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया के सिवाय अन्य सभी सरकारी, उपक्रमों में सचिवों का वेतन मान रा० औ० वि० निगम लि० के सचिव के वेतन मान से कम है।

(घ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० के सचिव बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के अतिरिक्त ऋण, प्रशासन, वित्त और लेखों से संबधित और तकनीकी प्रभाग के भी प्रमुख हैं।

टेलीविजन पर क्षेत्रीय भाषाओं में रूपक

3236. **श्री राम सहाय पाँडे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनता के लाभ के लिए निकट भविष्य में टेलीविजन पर क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ रुचिकर रूपक प्रारम्भ करने पर सरकार विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : दिल्ली टेलिविजन केन्द्र के अधिकांश कार्यक्रम हिन्दी में होते हैं और कुछ अंग्रेजी में । इसके अतिरिक्त, प्रादेशिक भाषाओं की फीचर फिल्में भी दिखाई जाती हैं ।

राजनीतिक अभियान के लिये मंत्रियों द्वारा सरकारी सुविधाओं का कथित दुरुपयोग

3237. **श्री पीलू मोदी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मार्च, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में राजनीतिक अभियान उद्देश्यों के लिये दौरे पर गये मंत्रियों द्वारा सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करने के बारे में एक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : सरकार ने प्रैस रिपोर्ट देखी है । अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए भारतीय वायु सेना के विमानों का प्रधान मंत्री द्वारा प्रयोग स्थायी अनुदेशों से नियमित किया जाता है जिनमें व्यवस्था है कि जब किसी वायुयान का प्रयोग गैर-सरकारी प्रयोजन के लिए किया जाय तो उसके भुगतान को सरकारी खाते में जमा कराया जाए। यह बात सरकार ने बार-बार स्पष्ट की है कि यह सुविधा प्रधान मंत्री तथा उस पद के पदधारी को उपलब्ध है न कि सत्ताधारी दल के नेता को और किसी राजनैतिक दल को यह सुविधा देने का प्रश्न नहीं उठता । चुनाव सम्बन्धी दौरों समेत गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए मंत्रियों के दौरों के सम्बन्ध में भी अनुदेश हैं । इन अनुदेशों का सारांश 31 जुलाई, 1970 को सदन के पटल पर रख दिया गया था ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ़्लेटों की बिक्री पर मुद्रांक शुल्क हटाने के लिए सिफारिश

3238. **श्री बी०के० दास चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के व्यक्ति को फ्लेटों की बिक्री पर मुद्रांक शुल्क के हटाने के बारे में उनके मंत्रालय से सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख): 1973 में दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की जनता तथा निम्न आय आवास योजना में फ्लेटों की बिक्री पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीकरण-शुल्क को हटाने की सिफारिश की । बाद में प्रशासन ने सूचित किया कि उन्होंने पूरे मामले पर विचार किया है और इस दलील पर अपनी सिफारिश वापिस लेने का निश्चय किया है कि इससे राजस्व को भारी हानि होगी ।

Setting up of an Atomic Reactor in Trombay

3239. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether an atomic reactor is being set up at Trombay as reported in the "Nav Bharat Times" dated the 18th March, 1972 ;

(b) whether ten lakh rupees would be spent on this research ; and

(c) if so, the time by which it is likely to be completed and the salient features of the scheme ?

Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) : Yes, Sir, a 100 M We Thermal Research Reactor is being planned to be set up at Trombay.

(b) and (c) : A Committee of scientists/engineers is preparing a Project Report to work out the detailed financial and technical features of the Project. The proposed reactor will provide facilities for testing of prototype fuel elements, production of high specific activity isotopes and will serve as a tool for studies in material science. It is likely to cost about Rs. 25 crores and is expected to be completed in 3 to 4 years.

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास

3240. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या उनकी 15 मार्च, 1972 को उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों के साथ एक बैठक हुई थी और क्या उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के प्रश्न पर विचार विमर्श किया था;

(ख) क्या उन्होंने उस बैठक में उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के बारे में उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिये वहां पर उचित व्यवस्था की कमी का उल्लेख किया था और इस बारे में कुछ सुझाव दिये थे; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बैठक में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये कौन से सुझाव दिये गये थे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश के कुछ संसद सदस्यों के निमंत्रण पर औद्योगिक विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए 15 मार्च, 1972 को उनसे भेंट की । मंत्री ने यह नहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु उचित प्रबन्ध नहीं कर रही है । मंत्री ने राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने राज्यों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए घोषित किए गये नीति सम्बन्धी विभिन्न अभ्युपायों का उल्लेख किया था और इस सम्बन्ध में यह स्मरण कराया था कि उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान वहां की सरकार को ऐसे औद्योगिक नीति

संकल्प तैयार करने का सुझाव दिया था, जिसमें राज्य में उद्योगों का विकास करने के लिये वे विभिन्न प्रोत्साहन और सुविधाएं सम्मिलित हों। और जिन्हें राज्य सरकार गैर सरकारी पूंजी को आकर्षित करने के लिये देने को तैयार हो।

मंत्री ने प्रत्येक पिछड़े राज्य के दो चुने हुए जिलों में और अन्य राज्यों में चुने हुए एक जिले के बारे में लिये भारत सरकार द्वारा घोषित 10 प्रतिशत राजसहायता की सुविधा का उल्लेख भी किया था और यह सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार तथा जनता द्वारा इन प्रोत्साहनों का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये। उन्होंने (इसका भी उल्लेख किया था) कि यदि उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारें चुने हुए जिलों में आवश्यक अवस्थापना (इन्फ्र-स्ट्रक्चर) सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त विनियोजन करे तो इससे बड़ी सहायता मिलेगी। कुछ सदस्यों ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के आकार और जनसंख्या को देखते हुए 10 प्रतिशत राजसहायता देने हेतु उत्तर प्रदेश के लिए चुने हुए दो जिले पर्याप्त नहीं होंगे, मंत्री ने सरकार की नीति स्पष्ट की और कहा था कि जिलों का चुनाव योजना आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित कुछ मानदण्डों के आधार पर और राज्य सरकारों से परामर्श करके किया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि जिलों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न योजना आयोग के विचाराधीन है।

हाल ही के युद्ध के दौरान कब्जे में किये गये पाकिस्तानी क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिये खर्च की गई राशि

3241. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में कब्जे में किये गये पाकिस्ताती क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिये सरकार कितनी राशि खर्च कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री एफ० एच० मोहसिन) : वित्तीय वर्ष 1971-72 के बारे में सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

Repatriation of Pakistani Elements Among Bangla Desh Refugees

3242. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether at the time of repatriation of Bangla Desh refugees, the Pakistani elements, who had crossed over to India in the guise of refugees, are also being repatriated or not ; and

(b) if so, the manner in which it is being ensured by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) : Persons arrested on suspicion of being Pakistani spies, saboteurs or agents are being dealt with according to law and the question of their repatriation does not arise at present.

कूच बिहार शरणार्थी सेवा में कार्य कर रहे व्यक्तियों को वीजा देने से इन्कार

3243. **श्री बी०के० दासचौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार को पता है कि कूच बिहार में कूच बिहार शरणार्थी सेवा में कार्य कर रहे व्यक्तियों के वीजा आवेदन पत्रों की अवधि न बढ़ाने का क्या औचित्य है;

(ख) क्या उपरोक्त संगठन में कार्य कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी; और

(ग) भारत में वे व्यक्ति किन शर्तों और अन्य निबन्धनों के साथ ठहरे हुए हैं और उन्हें कब तक ठहरने की अनुमति दी गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : कूच बिहार शरणार्थी सेवा में कार्य कर रहे व्यक्तियों के बारे में सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना आवश्यक है ।

(ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

देश में बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी सर्वेक्षण

3244. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किये जा रहे सर्वेक्षण के लिये निर्देशक सिद्धान्त क्या है; और

(ख) सर्वेक्षण के कब तक प्रारम्भ और पूर्ण होने की संभावना है और इस सर्वेक्षण को कौन सी सरकारी एजेंसी करेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) : शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बेरोजगारी सम्बन्धी आँकड़ों का संग्रह करने के मुख्य उद्देश्य से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 27 वें दौर में रोजगार के बारे में एक सर्वेक्षण किया जायेगा । इस सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण के पूर्ववर्ती सप्ताह और साथ ही पूर्ववर्ती वर्ष के संदर्भ में, चुने गए परिवारों के सभी सदस्यों के रोजगार-स्तर का एक व्यापक लेखा प्राप्त करने के लिए पूछ-ताछ की जायेगी । उद्योग, कौशल, मजदूरी और अन्यत्र जाकर काम करने की रजामन्दी जैसे अन्य लक्षणों के सम्बन्ध में भी जानकारी एकत्र की जायेगी ।

(ख) उक्त सर्वेक्षण संभवतः अक्तूबर 1972 में शुरू और सितम्बर 1973 में पूरा होगा । इस सर्वेक्षण को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (सांख्यिकी विभाग) करेगा ।

सीमा शुल्क अपराध और यातायात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये विदेशी

3246. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के दौरान सीमाशुल्क अपराध और यातायात पुलिस द्वारा अवैध गतविधियों से सम्बद्ध कितने विदेशी गिरफ्तार किये गये थे; और

(ख) क्या उन में से कुछ अभी भी भारतीय जेलों में हैं; और यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) (क) : और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लघु उद्योग सेवा संस्थानों में उपनिदेशकों के विरुद्ध शिकायतें

3247. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली में कतिपय उपनिदेषकों के विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद की अनेक शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) : संस्था के दो सहायक निदेशकों के विरुद्ध शिकायतें हैं ।

(ख) सम्बन्धित अधिकारियों को अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है । उनके स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

Posting of Industrial Security Force Personnel in Public Undertakings in Madhya Pradesh

3248. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the public sector undertakings in Madhya Pradesh, where personnel of Central Industrial Security Force have been posted ; and

(b) the number of such personnel required for all the Public Sector Undertakings in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) : The personnel of the Central Industrial Security Force have been posted in the following Industrial Undertakings in the Public Sector in Madhya Pradesh :

1. Bhilai Steel Plant, Bhilai.
2. Food Corporation Nutrition Products, Ujjain.
3. Bank Note Press, Dewas.
4. Narcotics Factory, Neemuch.
5. Diamond Mining Project, Panna.

(b) The total strength of the Central Industrial Security Force personnel required for the Public Sector Undertakings in Madhya Pradesh will be available only after detailed surveys of the manpower requirements of these undertakings, which are under way are completed.

राज्यों की राष्ट्रीय आय

3249. **श्री बी० के दास चौधरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में विभिन्न राज्यों की राष्ट्रीय आय कितनी कितनी थी;

(ख) क्या जिला-वार आधार पर भी राष्ट्रीय आय के आँकड़े तैयार किये जाते हैं, यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा चुने गये विभिन्न पिछड़े राज्यों के पिछड़े जिलों की राष्ट्रीय आय कितनी थी; और

(ग) गत तीन वर्षों में विभिन्न आय वर्गों की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिक मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) : सम्बद्ध राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के उपलब्ध अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1802/72] संकल्पनाओं, प्रयोग में लाई गई स्रोत-सामग्री, रीतिविधान और स्थिर भाव अनुमानों के लिए आधार वर्षों में विभिन्नताओं के कारण ये अनुमान राज्यों में परस्पर तुलना करने के लिए अनुरूप नहीं हैं।

(ख) कुछ राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों ने कुछ वर्षों के लिए जिलावार राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार किये थे परन्तु 1962-63 के बाद के वर्षों के लिए ऐसे कोई भी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विभिन्न आय-वर्गों के लिए प्रति व्यक्ति आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

Utilisation of Industrial Potential in Madhya Pradesh

3250. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have drawn Central Government's attention to the fact that the industrial potential lying unutilised in Madhya Pradosh at present would get encouragement if necessary raw material is made available and inaccessible interior parts having forests are linked by roads ; and

(b) if so, the reaction of Government there to ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) : No Such reference has been received either in this Ministry or in the Planning Commission in the recent past.

(b) : Does not arise.

बिजली का भारी सामान बनाने वाले संयंत्रों के लिए ढली और गढ़ाई वाली वस्तुओं की आवश्यकता

3251. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली का भारी सामान बनाने वाले संयंत्र ढली और गढ़ाई वाली वस्तुओं की अपनी आवश्यकता देशी साधनों से पूरी नहीं कर पाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : भारी वैद्युत संयंत्रों की कास्टिंग और फोर्जिंग (ढलाई और गढ़ाई) सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकताएं देश में उपलब्ध साधनों से पूरी नहीं हो रही है तथा भारी और अधिक जटिल प्रकार की ढली और गढ़ी वस्तुओं का इस समय भी आयात किया जा रहा है। देशी क्षमता को बढ़ाने के लिए देशी निर्माताओं तथा भारी इन्जीनियरी निगम समेत भारी वैद्युत संयन्त्रों के लिए अपेक्षित जटिल प्रकार की ढली और गढ़ी वस्तुओं के विकास हेतु आर्डर दे दिए गए हैं। देश में विशेष प्रकार की ढली और गढ़ी वस्तुओं की विद्यमान क्षमता की सरकार द्वारा समय समय पर समीक्षा भी की जाती है जिससे शीघ्र विकास करने के लिए आगे भी कार्यवाही करना आवश्यक समझा जाय उन्हें किया जा सके। इस समस्या पर हाल ही में योजना आयोग द्वारा पुनर्विचार किया गया था जबकि विकासोन्मुख उपागम एवं दक्ष बताई जाने वाली ढली और गढ़ी वस्तुओं की विशिष्टियों का मानकीकरण करने की आवश्यकता पर सहमति प्रकट की गई थी तथा जिससे ढली और गढ़ी वस्तुओं के उत्पादकों को अधुनातम परीक्षण तथा निरीक्षण की सुविधाओं से लैस करने और भारी वैद्युत संयन्त्रों की आवशकिताओं को प्राथमिकता देने पर पर्याप्त ध्यान दिये जाने पर जोर दिया गया था।

आनन्द मार्ग संस्था

3252. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री पी० आर० सरकार (उर्फ "आनन्द मूर्ति जी", आनन्द मार्ग के प्रधान) की पत्नी श्रीमती उमा सरकार द्वारा 24 फरवरी, 1972 को दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा बताया जाता है कि "मार्ग में होने वाले अमानवीय, पाशविक और विवेकहीन घटनाओं के प्रति मूक दर्शक" होना मेरे लिए असम्भव था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने श्रीमती सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) तथा (ग) : केन्द्रीय जाँच ब्यूरो तथा बिहार राज्य पुलिस द्वारा श्री पी० आर० सरकार तथा दूसरे आनन्द मार्गियों के विरुद्ध हत्या के कुछ मामलों समेत अनेकों आपराधिक मामलों की कानून के अनुसार जांच-पड़ताल की जा रही है।

Installation of Telephones at Panchayat Centres

3254. **Shri Lalji Bhai :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) Whether Government had chalked out programmes for installation of telephones at Panchayat centres;

(b) if so, the number of Panchayat centres in Udaipur District of Rajasthan and Gaya District of Bihar where telephones have been installed; and

(c) the time by which the rest of the centres will be provided with telephones ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) : Telephone facility is normally provided at a place if the scheme works out to be remunerative. In case of loss, the facility can be provided on rent and guarantee basis if some interested party is willing to indemnify the loss to the department. However, in order to extend telephone facility to undevloped areas, a policy has been adopted by the department according to which this facility can be provided even on loss at certain categories of stations based on their administrative importance, Population and remoteness from the general telecommunication network. Limited number of pilgrim centres, tourist centres, Agricultural and Irrigation project sites and townships are also considered for provision of telephone facility on loss.

According to the above policy, Panchayat centres are not Automatically entitled to provision of telephone facility on loss basis. Public call offices at such places can be opened either on remunerative basis or on rent and guarantee basis.

(b) The Telephones have been provided at Panchayat centres as below :—

1. Udaipur district—16
2. Gaya District —27

(c) One porposal to open PCO at Dhariawad in Udaipur district is sanctioned and the PCO is likely to be opened by June, 72. The proposals for opening PCO at the remaining Panchayat centres will be considered on the merit of each case as per the existing policy mentioned in (a) above.

टेलीविजन केन्द्र, नई दिल्ली में काम कर रहे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना के स्नातकों के प्रति कथित अन्याय

3255. **श्री लाल जी भाई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली टेलीविजन केन्द्र में काम कर रहे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना के स्नातकों के प्रति घोर अन्याय किये जाने के सम्बन्ध में हिन्दी ब्लिट्ज (मार्च के अंक) में एक लेख प्रकाशित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, हाँ। मामले की छान-बीन की गई है और टेलीविजन केन्द्र, नई दिल्ली में काम कर रहे भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूना के स्नातकों के साथ अन्याय किए जाने का का आरोप निराधार पाया गया है।

गुजरात में लघु, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग

3256. श्री डी० पी० जदेजा : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में लघु, मध्यम और बड़े पैमाने के कितने उद्योग हैं;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में कितनी पूंजी लगी है; और

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : राज्य सरकार ने बताया है कि लघु, मंझले और बड़े क्षेत्रों के बारे में पृथक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु क्षेत्र के औद्योगिक आंकड़े बनाने की कानूनी व्यवस्था न होने के कारण इस क्षेत्र से सम्बन्धित नियोजित पूंजी और रोजगार के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए सभी क्षेत्रों के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सकते हैं, राज्य के आर्थिक तथा सांख्यिकीय ब्यूरो ने वर्ष 1969 (अधुनातम उपलब्ध वर्ष) के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में बताया है कि गणना क्षेत्र में रिपोर्ट करने वाली फैक्टरियों की संख्या 1173 थी। गणना क्षेत्र में वे फैक्टरियाँ आती हैं जो फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और जिनमें बिजली का प्रयोग होता है और 50 या इससे अधिक कामगर नियोजित हैं और जो कारखाने बिना बिजली से चलते हैं और उनमें 100 या इससे अधिक कामगर नियोजित हैं। इस क्षेत्र में 1969 में 605.86 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी और 3,46,724 श्रमिक काम पर लगे हुये थे। वर्ष 1971 के अन्त तक उद्योग आयुक्त के कार्यालयों में पंजीकृत लघु एककों की संख्या 18036 थी। इस क्षेत्र में लगी हुई पूंजी और काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गुजरात में सरकारी उपक्रमों की स्थापना

3275. श्री डी०पी० जदेजा : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में सरकारी औद्योगिक उद्यमों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन उद्योगों में, अलग-अलग, कौन-सी वस्तुएं बनाई जाती हैं; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में गुजरात में कोई नई सरकारी परियोजनायें स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : केन्द्रीय क्षेत्र में गुजरात में स्थापित और चौथी योजना की अवधि में स्थापित की जाने वाली परियोजनायें निम्नलिखित हैं :—

उद्यम का नाम	उत्पाद
1. आयल एन्ड नेचुरल गैस कमीशन	(1) क्रूड आयल (2) नेचुरल गैस
2. इंडियन आयल कारपोरेशन लि० गुजरात रिफाइनरी ।	पेट्रोलियम उत्पाद
3. इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन (क्रियान्वयन हो रहा है)	पेट्रो कमिकल उत्पाद
4. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० का खारगोदी एकक	सामान्य नमक
5. मार्डन ब्रेकरीज (इंडिया) लि० का अहमदाबाद एकक	ब्रेड
6. इंडियन डेरी कारपोरेशन लिमिटेड	डेरी उत्पाद
7. गुजरात एरोमैटिक्स, प्रोजैक्टस, कोपाली	चौथी योजना में स्थापित किया जा रहा है ।
8. हैवी वाटर प्लांट, बड़ौदा ।	(,, ,,) वही

राज्य क्षेत्र में, गुजरात खनिज विकास निगम, माँडवी में बोक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट, काडिपेनी में फ्लोरस्पार माइनिंग और धातु अनिशोधन (बैनिफिसिएशन प्रोजेक्ट) सूरज देवल में सिलिका सेंड प्रोजेक्ट चला रहा है और एल्यूमिना, लिगनाइट तथा बेसमेटल प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले रहा है। गुजरात कृषि उद्योग निगम, पशुओं के चारे के कारखाने की स्थापना के अतिरिक्त, कृषि उत्पादों से लेकर कीटाणुनाशक के उत्पादन तक की अनेक योजनाओं पर कार्य कर रहा है। यह एक नियन्त्रक कम्पनी के रूप में तीन सहायक कम्पनियों के प्रबन्ध का कार्य भी करती है जैसे :

(1) तीन प्रशीतागार एककों को चलाने के लिए, एग्रोइंडस्ट्री कोल्ड स्टोरेज लि०,

(2) चावल की भूसी के उत्पादन के लिए एग्रो इंडस्ट्रीज आयल एक्सट्रेक्शन लिमिटेड और

(3) गुजरात एग्रो-मैराइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड का शीघ्र ही मछली उद्योग को लेने का प्रस्ताव है ।

जामनगर में पुश-बटन टेलीफोन प्रणाली को स्वचालित टेलीफोन प्रणाली में बदलना

3258. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर में पुश-बटन टेलीफोन प्रणाली को स्वचालित प्रणाली में बदलने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो यह कब तक हो जायेगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) फिलहाल भारत में किसी भी टेलीफोन प्रणाली में पुश-बटन टेलीफोन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संभवतः जबकि मेनुअल टेलीफोनों को ओटोमेटिक टेलीफोनों में बदल दिया जाएगा मौजूदा मैनुअल प्रणाली की जगह आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने के बारे में यहां हवाला दिया जा रहा है।

(ख) आशा है कि वर्ष 1975 के अंत तक जामनगर में एक ओटोमेटिक एक्सचेंज लग जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड का विदेशी सहयोग से विस्तार

3259. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड ने विदेशी सहयोग से विस्तार की कोई योजना सरकार को पेश की है;

(ख) क्या इस कंपनी ने 1968 से प्राप्त सभी लाइसेंसों का पूरा उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) : मै० इण्डिया आक्सीजन लि० कलकत्ता ने 1969 में विदेशी सहयोग के लिये दो आवेदन-पत्र दिये थे उन पर निर्णय लिया जा चुका है। इसके अलावा विदेशी सहयोग के लिये कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : कम्पनी को 1968 से 8 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये, जिनमें से 4 काम चलाने के लिये, 1 राज्य के भीतर ही स्थानान्तरित करने के लिये, 1 पर्याप्त विस्तार के लिये तथा 2 नई वस्तुओं के उत्पादन के लिये हैं। अन्तिम तीन का कार्यान्वियन हो रहा है।

श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र

3260. **डा० संकटा प्रसाद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री नगर टेलीविजन केन्द्र कब तक काम करना शुरू कर देगा; और

(ख) इस पर कुल कितना खर्च आयेगा तथा इससे कितने लोग लाभन्वित हो सकेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) : 1972 के अन्त तक।

(ख) : इस पर कुल 3 करोड़ 5 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है। उम्मीद है इससे लगभग 25 लाख लोग लाभ उठा सकेंगे।

Pak Nationals in Rajasthan and Jammu and Kashmir

3261. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(b) the present number of Pakistani nationals in Rajasthan and Jammu and Kashmir, District-wise on the basis of the information collected by the Central Government, who came to India on valid passports but have gone underground without getting their passports or visas extended; and

(b) the steps taken so far or proposed to be taken in future by Government to trace out and deport them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) : As on 30th November, 1971, their number was 168 in Rajasthan and none in Jammu and Kashmir. District-wise information in respect of Rajasthan is not available.

(b) Beside issuing look-out notices, vigorous efforts are being made to trace and deal with them according to law.

Incorrect Circulation Figure of "Avantika" Ujjain

3262. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to Unstarred Question No. 2381 replied on 1st December, 1971, regarding recovery of Government money paid to Avantika for publication of advertisement and state the actual figures of circulation as per assessment made by Government and the quota of newsprint allotted to this newspaper ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : The requisite information is given below :-

Criculation

Year	Claimed	Assessed by R. N. I.
1969	7756	2, 500 copies per publishing day.
1970	8402	2, 500 —do—

Newsprint Allotted

Year	Quantity allotted
1968-69	15.00 tonnes
1969-70	31.06 tonnes
1970-71	37.27 tonnes
	1·16 tonnes (election quota)
1971-72	*0.85 tonnes
	0.56 tonnes (election quota)
1972-73	5.00 tonnes (ad hoc)

*On the basis of the circulation assessed by the Registrar of Nespapers for India, it was found that a quantity of 26-27 tonnes had been allotted in excess earlier. This was adjusted against the daily's quota for 1971-72.

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमकर्ताओं की प्रतिक्रिया

3264. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए उद्यमकर्ताओं को आकर्षित

करने की सरकार की योजना का बहुत कम स्वागत होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए उद्यमकर्ताओं को और अधिक प्रोत्साहन देने पर सरकार विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : 10 प्रतिशत एक मुश्त केन्द्रीय अनुदान या राजसहायता योजना, 1971 की घोषणा 26-8-1971 को की गई थी और परिवहन राज सहायता की घोषणा 15-7-71 को की गई थी। सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं ने पिछड़े जिलों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिए रियायती दर पर वित्त देने की योजना की घोषणा कुछ पहले की थी। इन योजनाओं का पहले ही विस्तृत प्रचार कर दिया गया है और अब उद्यमियों ने इनमें रुचि दिखानी शुरू कर दी है। औद्योगिक वित्त निगम ने जुलाई 1970 से 29-2-72 तक पिछड़े जिलों में स्थित 6 एककों को रियायती आधार पर 645.50 लाख रु० की सहायता स्वीकृत की है। औद्योगिक विकास बैंक ने 31-1-1971 को विभिन्न पिछड़े जिलों में स्थित 143 एककों को कुल 206.6 लाख रुपये की पुनर्वित्त सहायता स्वीकृत की है।

10% एकमुश्त अनुदान या राजसहायता योजना के विषय में, लगभग 360 औद्योगिक एककों ने अपने को अपने राज्य के विभागों में पंजीकृत करा दिया है और यह आशा है कि 1972-73 में और अधिक एकक राजसहायता के लिए आवेदन करेंगे।

विभिन्न राज्यों के पिछड़े जिलों में अवस्थापना और मुख्य जन सुविधाओं की कमी होना धीमी प्रगति के कारणों में से है। राज्य सरकारों को इस तथ्य से अवगत करा दिया गया है और उनको इन जिलों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं और अन्य सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कहा गया है।

कुड्डापाह आकाशवाणी केन्द्र से दिन के समय प्रसारण

3265. **श्री वाई. ईश्वर रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 30 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3463 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुड्डापाह आकाशवाणी केन्द्र से दिन के समय प्रसारण आरम्भ करने के निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख) : कुड्डापाह सहित कई सहायक केन्द्रों के प्रसारण समय में वृद्धि करने का प्रस्ताव विचाराधीन है : उम्मीद है इसको निकट भविष्य में कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

Suggestions made in National Productivity Council for Partnership of Workers in the Field of Prodcution

3266. **Dr. Laxaminarain Pandey:** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) Whether in the National Symposium on Productivity held recently, he expressed the view that employer should treat workers as "partners" in the field of production, and

(b) if so, the names of the public undertakings under the control of his Ministry where workers have been made "partners" ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) : It was indicated at the National Seminar on Productivity held on the 24th & 25th March, that the task of promoting productivity is essentlally a function of management. The quality of leadership, which it is able to provide, and sound personnel policies, treating the employees basically as human partners, create the necessary environment and atmosphere for increased efficiency and higher productivity.

(b) The principles enunciated at the National Symposium on Productivity are already being kept in view in the management of the public sector undertakings under our control.

A. I. R. Stations With 'Advertising Service'

3267. **Dr. Laxminarain Pandey :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the namesof All India Radio Stations where 'Advertising Service' has been introduced; and

(b) the final figures of expenditure incurrid on and revenue earned from this service year-wise, Centre-wise for the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Information & Brodcasting (Shrimati Nandini Satpathy) (a) : Bombay-Poona-Nagpur, Calcutta, Delhi, Madras-Tiruchi, Chandigarh-Jullundur, Bangalore-Dharwar, Ahmedabad-Rajkot, Kanpur-Lucknow-Allahabad-Vijayawada.

(b) A Statement giving the required information is enclosed. **[Placed in the Library. See No. L. T. 1803/72]**

Strength of C. R. P.

3268. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government intend to double the present strength of Central Reserve Police; and

(b) the name of the places where the Headquarters of Central Reserve Police are located at prersent and the places where training facilities are available ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) : No such proposal is under consideration.

(b) The Central Reserve Police is under the overall control of the Director-General. whose headquarters are at New Delhi. Under him there are three Sector Inspectors General with headquarters at New Delhi, Hyderabad and Calcutta.

The three training institutions of the Force are located at Barwaha, Avadi and Neemuch.

Building for R. M. S. at Neemuch, Madhya Pradesh

3269. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to construct a building at Neemuch in Madhya Pradesh for Railway Mail Service;

(a) whether a similar demand for such a building at Mandsaur has also been made by the concerned employees; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Communication (Shri H. N. Bahuguna) : (a) : Yes. A new building for R. M. S. office at Neemuch Railway Station is proposed to be constructed through the Railways. At present Neemuch RMS is functioning in a rented building.

(b) No.

(c) Does not arise.

Expenditure on Hindi Teaching Scheme.

3270. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the expenditure incurred by Central Government on the Hindi Teaching Scheme since its inception ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Moshin) : A statement indicating the expenditure incurred by the Central Government on the Hindi Teaching scheme since its inception is attached.

Statement

Year-wise expenditure booked under the Head 'Hindi Teaching Scheme for the Central Government Employees'

Year	Amount
1955-56	Rs. —
1956-57	Rs. 1,44,360
1957-58	Rs. 6,82,579
1958-59	Rs. 8,98,885
1959-60	Rs. 9,73,146
1960-61	Rs. 11,44,766
1961-62	Rs. 13,07,885
1962-63	Rs. 17,40,577

1963-64	Rs. 17,70,321
1964-65	Rs. 20,40,912
1965-66	Rs. 22,93,056
1966-67	Rs. 22,14,200
1967-68	Rs. 22,64,500
1968-69	Rs. 26,19,600
1969-70	Rs. 26,92,200
1970-71	Rs. 30,09,699
1971-72 (Final grant)	Rs. 29,85,225
1972-73	Rs. 53,14,000 (Budget Estimate)

ड्राफ्ट्समैन और सर्वेक्षकों की पदोन्नति और भर्ती के नियम

3271. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या प्रधान मंत्री ड्राफ्ट्समैन और सर्वेक्षकों की पदोन्नति और भर्ती के नियमों के बारे में 17 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 451 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : 9 मत्रालयों/ विभागों से अभी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है । अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना को सभा के पटल पर रखने के लिए समेकित विवरण में समाविष्ट किया जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1804/72]

आण्विक शक्ति सम्पन्न कृषि उद्योग समूह के लिए मार्गदर्शी परियोजना

3272. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आण्विक शक्ति सम्पन्न कृषि-उद्योग समूहों के लिए तीन मार्गदर्शी परियोजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ये परियोजनाएं कब प्रारम्भ होंगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री, तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी, : (क) से (ग) : जी, नहीं । तथापि, कृषि-उद्योग-सम्मिश्र सम्बन्धी अध्ययनों के एक भाग के रूप में, दो प्रायोगिक परियोजनाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है। ये परियोजनाएं हैं :—

(i) प्रतिदिन 10 लाख गैलन पानी का अपक्षारीकरण करने वाला संयंत्र जिसमें लम्बी ट्यूबों से युक्त ऊर्ध्वाधर वाष्पक लगे होंगे तथा सभरक तापन के लिए बहुचरण स्फुर आसवन की विधि अपनाई जाएगी, तथा

(ii) फासफोरस का उत्पादन वैद्युत-तापीय विधि से करने वाला 600 किलोवाट क्षमता का एक प्रायोगिक संयंत्र।

इन प्रायोगिक संयंत्रों की परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है। आशा है कि ये संयंत्र लगभग दो वर्ष में काम करने लगेंगे।

डाक-तार विभाग के अधिकारियों का रंगदार टेलीफोन लगवाने तथा टेलीफोन की अन्य सुविधाओं का अधिकार

3273. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के किस स्तर के अधिकारियों को अपने निवास तथा कार्यालय में रंगदार टेलीफोन लगवाने का अथवा जिनके पास एक से अधिक या समानान्तर कनेक्शन हैं, उन्हें एक से अधिक रंगदार टेलीफोन लगवाने का अधिकार है,

(ख) डाक-तार विभाग के कौन-कौन से अधिकारियों को अपने निवास पर दो टेलीफोन लगवाने का अधिकार है जिनमें से एक टेलीफोन समानान्तर कनेक्शन वाला होता है,

(ग) इस विभाग के किस स्तर के अधिकारियों को असीम लम्बाई के तार या प्लग लेने का अधिकार है ताकि अपनी सुविधानुसार वे टेलीफोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकें, और

(घ) सिविल पक्ष में इसी प्रकार की सुविधाएं किस स्तर के अधिकारियों को मिली हुई हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) : इस सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं बनाए गए हैं। आमतौर पर रंगदार टेलीफोन यंत्र केवल वरिष्ठ अधिकारियों को सर्किलों टेलीफोन जिलों के अध्यक्षों के स्वविवेक से दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) घरों पर विभागीय टेलीफोन कनेक्शन की व्यवस्था विभागीय सेवा की आवश्यकता के अनुसार ही की जाती है। आमतौर पर एक अधिकारी के घर पर एक ही टेलीफोन दिया जाता है परन्तु अतिरिक्त सुविधाएं जैसे समानान्तर कनेक्शन, प्लग और साकेट, अतिरिक्त यंत्र सहित लम्बी डोरी अधिकारी की सुविधा के लिए दी जाती है जोकि उसके सरकारी काम के प्रकार पर और इस बात पर निर्भर करता है कि टेलीफोन की उपयोगिता की मात्रा कितनी है।

(घ) सिविल पक्ष के अधिकारियों को इस सुविधा का दिया जाना संबंधित विभाग के स्वविवेक पर निर्भर करता है। जब भी इस प्रकार की माँगें प्राप्त होती हैं और संबंधित विभाग इसके लिए शुल्क का भुगतान करता है तब सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं।

डाक-तार अधिकारियों को दो रंगों वाले टेलीफोन देना

3274. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार अधिकारियों को दो टेलीफोनों—एक कार्यालय में और दूसरा रिहायशी स्थान पर—एक से अधिक यन्त्र और निर्धारित लम्बाई से अधिक तार की मंजूरी कौन सा सक्षम प्राधिकारी देता है,

(ख) रंगदार टेलीफोन—एक यन्त्र या दो यन्त्र—इन अधिकारियों को कौन सा सक्षम प्राधिकारी मंजूर करता है, और

(ग) क्या किसी उपभोक्ता से रंगदार टेलीफोन के लिए अतिरिक्त किराया लिया जाता है और यदि हां, तो उसका त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक किराया कितना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : डाक व तार बोर्ड के मामले में डाक तार महानिदेशक और मातहत कार्यालयों के मामले में सर्किल, जिला और प्रशासनिक कार्यालय के अध्यक्ष।

(ग) प्रत्येक रंगदार टेलीफोन के लिए उपभोक्ताओं से 50 रुपये अनावर्त्तक चार्ज वसूल किया जाता है।

डिवीजनल इंजीनियर तक के पदों के अधिकारियों के लिए एस० टी० डी० सुविधाएं समाप्त करना

3275. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री डाक तथा तार सेवा के टेलीफोनों से किये गये कालें करने में मितव्ययिता लाने के उपायों के बारे में 22 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1014 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डिवीजनल इंजीनियर तथा इससे ऊंचे पदों के अधिकारियों के रिहायशी स्थानों और कार्यालयों में लगे टेलीफोनों से एस० टी० डी० सुविधाएं सरकार ने किन कारणों से समाप्त नहीं की हैं जबकि सेवागत कालें बुक करने की सुविधा पहले ही प्राप्त है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : उपभोक्ता ट्रंक डायल की सुविधा जारी रखने की इजाजत केवल उन्हीं विभागीय टेलीफोन कनेक्शनों पर दी गई है जिन पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा बनाए रखना सेवा के हित में जरूरी समझा गया है।

डाक-तार अधिकारियों के रिहायशी स्थानों पर लगे टेलीफोनों से 1500 से अधिक कालों के लिए भुगतान

3276. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री डाक तथा तार अधिकारियों द्वारा सरकारी टेलीफोन करने के बारे में 22 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1013 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार अधिकारियों को अपने रिहायशी स्थानों पर लगे टेलीफोनों से 1500 से अधिक कालों के लिए भुगतान करना होता है,

(ख) यदि हां, तो क्या वह तत्सम्बन्धी सरकारी आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे और बताएंगे कि इन मामलों में वसूली करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, और

(ग) उत्तर के भाग (ग) (i) में निर्दिष्ट अधिकारियों के रिहायशी स्थानों पर लगे टेलीफोनों से एस० टी० डी० सुविधाएं समाप्त न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) : जी हां।

(ख) वित्त मंत्रालय का तारीख 6-11-68 का कार्यालय ज्ञापन सं० एफ 14 (6)-ई (कोओर्ड) 167 जोकि डाक-तार विभाग के अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों के अधिकारियों पर समान रूप से लागू होता है सदन के सभा पटल पर अनुलग्नक के रूप में पेश

किया जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1805/72] मीटर-रीडिंग के आधार पर बेशी कालों का चार्ज लगाया जाता है और डाक-तार अधिकारियों से भी इन चार्जों की वसूली उसी तरह की जाती है जिस तरह सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों से की जाती है।

(ग) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा केवल उन्हीं विभागीय कनेक्शनों पर दी जाती है जिनके लिए उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा का उपलब्ध रहना विभाग के हित में आवश्यक समझा जाता है।

भारत से इंजीनियरों का विदेशों में जाना

3277. **श्री एच०एन० मुकर्जी** : क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67, 1968-69 और 1970-71 में कितने भारतीय इंजीनियर विदेश चले गये हैं; और

(ख) देश में कितने इंजीनियर और डिप्लोमाधारी काम पर लगे हुए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) : वर्ष 1966-67, 1968-69 और 1970-71 में विदेशों को गये हुए इंजीनियरों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है। फिर भी, राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतवासी अनुभाग में पंजीकरण के अनुसार, इसमें पंजीकरण करवाना स्वैच्छिक है, इस अर्से में 1259 इंजीनियरों ने अपने आप को नामांकित करवाया।

(ख) वर्ष 1967 और 1968 में निजी एवं सरकारी प्रतिष्ठानों से कर्मचारियों के सवेतन प्रशिक्षण के विवरणों से महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण (डी०जी०ई०एण्ड०टी०) द्वारा एकत्रित किये गये ब्यौरे के आधार पर देश में रोजगार में लगे हुए इंजीनियरों और डिप्लोमाधारियों की संख्या इस प्रकार है:—

क्षेत्र और पूछताछ का वर्ष (30 सितम्बर) तक	रोजगार प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर इंजीनियरों की संख्या	रोजगार प्राप्त डिप्लोमाधारियों की संख्या
निजी-1967	27,879	30,028
सरकारी-1968	48,369	86,273

उपर्युक्त ब्यौरा जम्मू और काश्मीर राज्य के कर्मचारियों के अलावा 87 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों और निजी क्षेत्र के समस्त गैर-कृषि प्रतिष्ठानों में कार्यरत 10 अथवा अधिक कर्मचारियों से सम्बन्धित है। ब्यौरे में निजी क्षेत्र का अनुमान प्रतिष्ठानों द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है।

गुजरात में सीमेंट, चीनी के बर्तन, काँच का सामान और ऊष्मसह वस्तुओं का निर्माण करने वाले कारखाने

3279. **श्री बेकारिया:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सीमेंट, चीनी के बर्तन तथा अन्य सहायक उद्योगों के विकास के लिए बड़ी सम्भावना है;

(ख) गुजरात में सीमेंट, चीनी के बर्तन, कांच का सामान और ऊष्मसह वस्तुओं का निर्माण करने वाले कितने कारखाने हैं, उनका आकार क्या है और वे कहाँ स्थित हैं; और

(ग) क्या राज्य में इस प्रकार के कोई नये कारखाने स्थापित करने की योजना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) : जी हाँ।

(ख) और (ग) : एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 1806/72]

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा मलयेशिया में तापीय संयंत्र लगाना

3281. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा ने 'टर्न-की' आधार पर एक तापीय संयंत्र लगाने के लिये मलयेशिया से 1.5 करोड़ रुपये के मूल्य का एक ग्लाबल टेंडर प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश से बाहर तापीय संयंत्र लगाने का उक्त कम्पनी का यह प्रथम प्रयास है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : जी हाँ। मेसर्स इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा ने मलयेशिया में "टर्न की" आधार पर तीन विद्युत शक्ति एकक लगाने के लिये 150 लाख रुपये के मूल्य का एक क्रयादेश विश्व प्रतियोगिता के आधार पर (ग्लोबल टेंडर से) प्राप्त किया है। कम्पनी का भारत के बाहर यह प्रथम प्रयास है।

तमिलनाडु में कागज का कारखाना स्थापित करने के लिये आशय पत्र जारी करना

3283. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कागज का कारखाना स्थापित करने के लिये सरकार ने एक आशय पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार परियोजना के लिये राज्य को सहायता देने का है और यदि हाँ, तो सहायता की राशि क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित कागज संयंत्र सहकारी क्षेत्र में 30,000 मी. टन कागज बनाने की वार्षिक क्षमता वाला एक नया एकक होगा तथा यह देश में ही उपलब्ध कच्चे माल केनेफ (मेस्ता) पर आधारित होगा। प्रयोजना की कुल अनुमानित लागत 10 करोड़ रु० है। संयंत्र रामनाड जिले के परमाकुडी तहसील में स्थापित किया जायेगा और इसमें करीब 620 व्यक्तियों को काम मिलने की आशा है।

(ग) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

न्यूज रीडरों और एनाउन्सरों के वेतन मान

3284. **श्री मुहम्मद शरीफ़** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूज रीडरों और एनाउन्सरों के वेतन-मान पहले एक समान थे;

(ख) क्या न्यूज रीडरों के कार्य को अधिक महत्व देते हुए हाल ही में उनका वेतन-मान बढ़ाया गया है; और

(ग) इस मामले में निकाले गये निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के केन्द्रों तथा वाणिज्यक सेवा में काम करने वाले एनाउन्सरों के फीस-स्केल न्यूजरीडरों के फीस-स्केलों के समान थे, लेकिन देश के अन्य सभी भागों में एनाउन्सरों के फीस-स्केल न्यूजरीडरों के फीस-स्केलों से कम थे।

(ख) एनाउन्सरों और न्यूजरीडरों दोनों के फीस-स्केल हाल ही में संशोधित किए गए हैं। यह सही है कि न्यूजरीडरों के संशोधित फीस स्केल एनाउन्सरों के फीस-स्केलों से ऊंचे हैं। फीस-स्केलों में संशोधन विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(ग) सामान्य ढाँचा ऐसा है कि सारे देश में एनाउन्सरों के लिए एक समान तीन फीस-स्केल हैं, जो इस प्रकार हैं : जूनियर स्केल 170-335 रुपये, सीनियर स्केल 210-470 रुपए, सेलैक्शन ग्रेड 350-800 रुपए। न्यूजरीडरों के फीस-स्केल हैं : जूनियर स्केल 350-800 रुपए और सीनियर स्केल 700-1250 रुपए, सेलेक्शन ग्रेड के एनाउन्सरों का स्केल वही है जो न्यूज-रीडरों के जूनियर ग्रेड का है। इससे एनाउन्सरों के संगठन के अन्तर्गत ही न्यूजरीडरों के रूप में लगाने में सुविधा होगी।

आकाशवाणी के एनाउन्सरों के वेतन-मान पर पुनः विचार करना

3285. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आकाशवाणी के एनाउन्सरों के वेतन-मानों पर पुनः विचार करने का निर्णय

किया है क्योंकि नये वेतन-मान सभी विभागों के व्यवसायिक प्रसारकों से परामर्श किये बिना घोषित किये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : संशोधित वेतन मान 1 अप्रेल, 1971 से लागू किए जा रहे हैं। फीस स्केलों को युक्तियुक्त बनाने से पहले, स्टाफ आर्टिस्टों के विभिन्न ग्रुपों के साथ बातचीत हुई थी। इन स्केलों में और संशोधन करने के प्रश्न पर उन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा जो सरकारी कर्मचारियों के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए जायेंगे। तथापि, इस बीच स्टाफ आर्टिस्ट्स यूनियन ने इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन दिये हैं। इन पर उनके तथा स्टाफ आर्टिस्टों के अन्य सम्बन्धित ग्रुपों के साथ बातचीत की जाएगी।

आकाशवाणी में एनाउन्सरों को अपर्याप्त पारिश्रमिक

3286. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी में अनेक "एनाउन्सरों" की 20 वर्ष से अधिक की सेवा के बाद भी पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता;

(ख) क्या उन्हें वरिष्ठ वेतन-मान भी नहीं दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) आकाशवाणी के उदघोषकों को उस ग्रेड के अनुसार जिसमें वे रखे जाते हैं तथा अक्टूबर, से लागू वेतन वृद्धि वाले फीस-स्केलों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

(ख), (ग) तथा (घ):—सेलैक्शन ग्रेड के रूप में निर्धारित सीनियर ग्रेड हाल ही तक दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के चार प्रादेशिक केन्द्रों में कार्य करने वाले बिचले ग्रेड के व्यक्तियों को ही दिया जाता रहा है। उद्घोषकों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए सभी उद्घोषकों के लिए निम्नलिखित समान फीस स्केल निर्धारित किए गये हैं जो 1-4-1971 से लागू किए गए हैं:—

जूनियर ग्रेड : 170-10-260-15-335 रुपए
सीनियर ग्रेड : 210-10-290-15-470 रुपए
सेलैक्शन ग्रेड 350-25-500-30-800 रुपए

जूनियर ग्रेड के प्रत्येक दो पदों के लिये, सीनियर ग्रेड के तीन पद होंगे। सीनियर ग्रेड के 10 प्रतिशत पद सेलैक्शन ग्रेड के पद होंगे। ये स्केल सभी उद्घोषकों, चाहे उनका कार्यस्थान कोई भी हो, पर समान रूप से लागू हैं।

वर्ष 1970-71 तथा वर्ष 1971-72 में दूर-संचार अनुसन्धान केन्द्र का कार्यकरण

3287. **श्री सी चित्तिबाबू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संचार विभाग के वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन के पृष्ठ 74-75 पर की गई परिकल्पना के अनुसार दूर संचार अनुसंधान केन्द्र ने 1970-71 में कितने कार्य पूरे किये, और

(ख) दूर संचार अनुसंधान केन्द्र ने 1970-71 के वर्ष में कौन कौन से कार्य प्रारम्भ किये हैं और अब तक पूरे किये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) : सूचना अनुलग्नक 'क' में दी गई है। [**ग्रंथा-लय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1807/72]

(ख) सूचना अनुलग्नक 'ख' में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1807/72]

इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण

3288. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर, नागपुर, कलकत्ता, बम्बई तथा त्रिवेन्द्रम स्थित दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र 1973-74 तक प्रतिवर्ष 2730 इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित करने के लिये अपने लक्ष्य पूरे कर सकेंगे,

(ख) इन प्रशिक्षण केन्द्रों में किये गये विस्तार कार्य की मुख्य बातें हैं; और

(ग) क्या मद्रास में एक प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने का कोई प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि 1973-74 तक जबलपुर, नागपुर, बम्बई, कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम स्थित टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेन्टरों (दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्र) में सालाना 2730 इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाय।

(ख) जबलपुर स्थित ट्रेनिंग सेन्टर का पहले ही विस्तार किया जा चुका है ताकि योजना के अनुसार वहां सालाना 730 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम में नई इमारतों और होस्टलों के निर्माण के लिए जमीन प्राप्त कर ली गई है। नागपुर में एक होस्टल ब्लाक के निर्माण की कार्यवाही चल रही है।

(ग) मद्रास में इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नेपाल के साथ समुद्रपारीय संचार सेवा द्वारा सम्पर्क

3289. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में 10 किलो वाट क्षमता का समुद्रपारीय संचार सेवा रेडियो स्थापित हो जाने के बाद भारत का नेपाल से सम्पर्क जुड़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल के प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र विराट नगर का भी कलकत्ता तथा पटना से तब सीधा सम्पर्क हो जायेगा जब विराट नगर और जगबानी तथा कलकत्ता के बीच ट्रंक टेलीफोन लिंक लाइन स्थापित हो जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां। भारत-नेपाल दूर संचार सम्पर्कों के अलावा, जोकि कुछ वर्षों से मौजूद है हाल ही में काठमाण्डू और बम्बई के बीच एक अतिरिक्त रेडियो सम्पर्क स्थापित किया गया है जो मुख्य रूप से भारत से होकर नेपाल को प्राप्त होने वाले तथा वहां से प्रेषित किये जाने वाले मार्गस्थ अंतराष्ट्रीय परियात को निपटायेगा।

(ख) विराटनगर और फोरबेसगंज के बीज हाल ही में एक सीधा सम्पर्क सुलभ किया गया है। विराटनगर से पटना या कलकत्ता के लिए सीधे सम्पर्कों की कोई योजना नहीं है।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा 'हॉलोग्राफी' के लिए बनाये गये 'पल्स्ड आर्गोन लेसर'

32 0. **श्री पी. गंगादेव :**

श्री पी. एम. मेहता :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने 'हॉलोग्राफी' (त्रिवित्तीय फोटो ग्राफी) के लिए 'पल्स्ड आर्गोन लेसर' बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'हॉलोग्राफी' से फोटोग्राफी के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन आ गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका कार्यकरण किन सिद्धान्तों पर आधारित है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) प्रक्रिया अभी प्रयोगात्मक स्तर पर है।

(ख) त्रिवित्तीय चित्रों को अंकित करने, आंकड़ों का संग्रह आदि करने जैसे विशेष प्रयोग के लिए हॉलोग्राफी फोटोग्राफी का एक सुधरा हुआ संपूरक है।

(ग) हॉलोग्राफी में एक किसी वस्तु अभिदृश्यक अथवा दृश्य द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग

आयाम और प्रावस्था दोनों में बिल्कुल ठीक-ठीक अंकित हो जाती है। फिर इस अंकन या होलोग्राम से पुनर्प्रकीर्णित लेसर या संसक्त प्रकाश मूल वस्तु द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश से हर अवस्था में समरूप होता है।

विदेशी सहयोग का उद्योगों पर प्रभाव

3291. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में उद्योगों की उन्नति और विकास पर पड़ने वाले विदेशी सहयोग के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या सरकार ने स्वदेशी प्रोद्योगिकी जानकारी के विकास के लिए सामग्री तथा जनशक्ति के संसाधनों का उपयोग करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

औद्योगिक विकास मंत्रात्रय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले विदेशी सहयोगों की आवश्यकताओं, उलझनों और परिणामों पर पूरी निगरानी रखी जाती है। पिछले वर्षों में विदेशी सहयोग करारों के सम्बन्ध में और अधिक चयनात्मक ढंग अपनाया गया है ताकि आवश्यक और जटिल प्रकार के उद्योगों के लिये प्राद्यौगिक जानकारी का स्वीकार्य शर्तों पर आयात भी होता रहे तथा दूसरी तरफ देशीय अनुसंधान और विकास को अधिकाधिक महत्व दिया जाता रहे।

(ख) और (ग) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोग शालाओं तथा देश की राष्ट्रीय समिति के सम्पूर्ण प्रयास देशीय तकनीक के विकास और उसके औद्योगिक एवं व्यापारिक निदोहन की दिशा में लगे हैं। इन संस्थाओं ने विभिन्न प्रकार की अनुसंधनात्मक समस्याओं का अध्ययन किया है तथा बर्बादी कम करने तथा कीटाणुओं से संरक्षण देने और आयात प्रतिस्थापन के लिये तकनीक में सुधार के लिये सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार उद्योगों को अनुसंधान और खोज के लिये विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता भी देती है। सामान्यतया विदेशी सहयोग की अवधि उत्पादन प्रारम्भ करने से 5 वर्ष तक होती है और इस अवधि में आशा की जाती है कि भारतीय पार्टी विदेशी तकनीक को आत्मसात कर सकेगी।

मिथिला प्रसारण केन्द्र

3292. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा में आकाशवाणी के मिथिला प्रसारण केन्द्र तथा उसको चालू करने में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस केन्द्र में प्रसारण किस तिथि से होने लगेगा ?

सूचना श्रौर प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) ट्रांसमिटर तथा स्टूडियो के लिए स्थान अधिग्रहण कर लिए गए हैं श्रौर उपकरण प्राप्त किये जा रहे हैं। भवनों के निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा।

(ख) उम्मीद है केन्द्र दिसम्बर 1973 तक मुकम्बल हो जाएगा।

भारत ब्रिटेन प्रौद्योगिकीय दल की बैठक

3293. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **श्रौद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ब्रिटिश प्रौद्योगिकीय दल की तीसरी बैठक के पश्चात जारी की गई विज्ञप्ति में यह उल्लेख है कि ब्रिटिश पक्ष ने किसी कम्पनी द्वारा श्रपने क्रिया कलापों का विस्तार करने की श्रवस्था में भारत सरकार द्वारा निर्धारित कठोर निर्यात अपेक्षाओं की श्रोर ध्यान दिलाया श्रौर भारतीय पक्ष ने इन विचारों पर श्रागे विचार करना स्वीकार कर लिया; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा श्रौर आगे विचार करने के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रौद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हाँ।

(ख) मामला श्रभी विचाराधीन है।

सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, श्रौर जमायते इस्लामी में शामिल होना

3294. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ श्रौर जमायत-इस्लामी में शामिल होने पर रोक नहीं है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय श्रौर कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : इस सम्बन्ध में नवम्बर, 1966 में श्रनुदेश जारी किए गए थे कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमायते इस्लामी की गतविधियों में भाग लेने से उस पर केन्द्रीय सिविल सेवा (श्राचार) नियम, 1964 के नियम 5 (1) के उपबन्ध लागू होंगे और यदि कोई सरकारी कर्मचारी जो इन निकायों का सदस्य है श्रथवा उनसे अन्यथा कोई सम्बन्ध ही रखता है अथवा उनकी गतिविधियों से सम्बन्धित हो, उसके विरुद्ध श्रनुशासनिक कार्यवाई की जा सकती है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया था कि वे श्रपने नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के अनुदेश जारी करने की व्यवहार्यता पर विचार करें।

सौराष्ट्र तट से शस्त्रास्त्रों की तस्करी

3295. **श्री एन० ई० होरो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा कुछ अन्य पश्चिमी देशों में बने शस्त्रास्त्रों, जिनमें अधिकांशतः रिवाल्वर और पिस्तौल हैं बहुत बड़ी संख्या में सौराष्ट्र तट से देश में चोरी छिपे लाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । गुजरात सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार कुछ भारतीय राष्ट्रिक दुबई से वापिस आते समय रास्ते में पकड़े गये थे जब वे कच्छ तट पर महुरा के समीप चोरी से उतरने का प्रयत्न कर रहे थे । उनमें से एक के पास से बेल्जियम में बनी एक पिस्तौल, जर्मन से बनी एक खिलौना टाइप पिस्तौल और कुछ कारतूस और खाली ढक्कन बरामद हुए ।

(ख) : सौराष्ट्र तट तथा गुजरात समुद्र तट के दूसरे भागों की पूरी तरह चौकसी की जाती है और तस्करों, अनधिकृत जहाजों, विमानों आदि की गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जाती है

पटना में बर्फ़खाना (कोल्डस्टोरेज) उद्योग सम्बन्धी विचार गोष्ठी

3296. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्फ़खाना (कोल्डस्टोरेज) उद्योग की कठिनाइयों के बारे में पटना में हुइ इस उद्योग सम्बन्धी विचार गोष्ठी में व्यक्त विचारों का पता है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) और (ख) : पटना में एक संगोष्ठी 14 और 15 जनवरी, 1972 को हुई थी उसमें भारत में प्रशीतागार (कोल्डस्टोरेज उद्योग की स्थिति को सुधारने के बारे में विभिन्न मत अभिव्यक्त किये गये थे । सरकार को जब कभी विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

Gaya R. M. S. Building

3297. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the building of Gaya R. M. S. Office (Bihar) is not big enough for office work, and

(b) if so, whether Government propose to do the needful in this regard during this Plan period ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes. The building has an accommodation of 2,264 sq. ft. against justified accommodation for the office of 3544 sq. ft.

(b) It is a Railway building and the question of extension of the building has been taken up with the Railway authorities.

Telephone Connection in Gaya District

3298. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Communications** be pleascd to state.

(a) wheather the number of telephone connections provided in Gaya District of Bihar have exceeded one thousand;

(b) if so, whether there is any scheme to set up an automatic exchange there; and

(c) if not, the relevant rules in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No Sir, the total No. of connections working at Gaya at present (as on 31-12-71) is 913. There is a waiting list of 28 subscribers.

(b) Yes, Gaya is included in the list of exchanges due for Automatisation. The Department had taken up the case to acquire suitable plot of land under land acquisition for an automatic exchange building. The concerned party has however gone to the Court. As soon as land becomes available, case will be processed further.

(c) In view of reply to part (b), this does not arise.

Scheme for Village Post Offices

3299. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government has chalked out any scheme to open Post Office in all the villages; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b) : While no scheme to open Post offices in all the villages has been chalked out by the Government in order to provide reasonable postal facilities in the rural areas, Post Offices are opened to serve groups of villages even at a loss provided certain standards like population to be served, distance of the proposed office from the nearest existing post office and minimum anticipated income of the proposed post office are fulfilled. The policy in this regard is indicated in the Annexure. **[Placed in the Library. See No. L. T. 1808/72]**

Setting up of Industries in Rajasthan in Public Sector

3330. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have set up lesser number of big industries in public sector in Rajasthan as compared to other States; and

(b) whether Government are considering the demand made by the Government of Rajasthan to set up more industries in public sector there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) : The location of public sector projects is decided primarily on the basis of techno-economic considerations keeping, **inter alia**, also in view the need for development of industrially under-developed and backward areas. There is thus no quesiion of Central Government preferring to set up a bigger or a smaller number of industries in public sector in particular state as compared to other states.

Along with other States requests have been received from Rajasthan Government from time to time for setting up various industries in their states. Those are duly considered by the concerned Ministries and the Planning Commission.

Provision has been made in the Fourth Five Year Plan of the State for completion of the Khetri Copper Project, Machine Tool Plant at Ajmer, Zinc Smelter at Udaipur, Precision Instruments Factory at Kotah and the Salt Works.

It may also be added that in accordance with the outlays of Central investments on industrial projects during the Fourth Plan period, the share of Rajasthan (Rs. 93.1 crores) comes well above most of the States and is less than the shares only of Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal.

Retrenchment of Surplus Staff in Government Departments

3301. Shri M. C. Daga : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the recommendation made by the Administrative Reforms Commission to the effect that a Staff Inspection Unit is required in each department in order to retrench the surplus staff in administration;

(b) if so, the steps taken by Government in this direction; and

(c) if no steps have been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) : The Administrative Reform Commission in its Report on Personnel Administration has made the following recommendation :

"Staff strenght of all organisations should be reviewed by the Staff Inspection Unit. There should be no exception whatsoever, given to any Ministry or organisation in this matter."

The recommendation is under consideration.

Central Government Employees Consumer Co-Operative Society Limited

3302. **Shri M. C. Daga** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Central Government Employees Consumer Co-operative Society Ltd., is still functioning; if so, the share capital there of and the Government's investment therein;

(b) whether upto 1968, there was a loss of a Rs. 11 lakhs in the Society, if so, the reasons therefore and its financial position now; and

(c) whether Government charge interest at concessional rates from the Sociey,t and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) : Yes, Sir. The paid up share Capital of the Society on 30th June, 1971,was Rs. 8,85,357.45, out of which a sum of Rs. 4,66,644·00 has been contributed by the Government.

(b) The Society suffered a total loss of Rs. 17,93,418.48 upto 30th Juue, 1968.

The losses were mainly due to
(i) high incidence of pilferage of goods by the Society;
(ii) high overhead expenses;
(iii) injudicious purchases;
(iv) low margin of profit on ration articles;
(v) opening of large number of Branch Stores within a short time.

Due to drastic remedial measures adopted by the Society, the position has considerably improved. The accounts for the year 1970-71 when finalised, are likely to show profits.

(c) Yes, Sir. The interest is charged at concessional rates because the Society has been set up as a welfare measure to supply essential commodities to the Central Government employees at reasonable prices.

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा तार घर

3303. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे कार्यालय खोले गये हैं,

(ख) 1972-73 के वित्तीय वर्ष में ऐसी शर्तों पर जिलावार कितने-कितने स्थानों पर ऐसे कार्यालय खोलने का विचार है,

(ग) कितने मामले विभाग में विचाराधीन पड़े हैं, और

(घ) क्या ऐसे मामलों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस अनुमान के आधार पर कि माननीय सदस्य उन कार्यालयों के बारे में सूचना चाहते हैं जो राज्य-सरकार द्वारा स्वीकार की गई किराया और गारंटी की शर्तों के आधार पर खोले गए हैं, आवश्यक सूचना नीचे दी जा रही है :—

(1) पिछले 3 सालों में खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन घर।

(i) बड़ा गांव	(ii) बागथान
(iii) दलाश	(iv) दलजीत नगर
(v) रेवाल्सर	(vi) सुखिबाई

(2) पिछले 3 सालों में खोले गए तार-घर—कोई नहीं।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन घर :—महासू जिले में एक।
तारघर :—कोई नहीं।

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने से सम्बन्धित 11 मामले विभाग के पास विचाराधीन हैं। तार घर खोलने के बारे में कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है।

(घ) राज्य-सरकार द्वारा किराया और गारंटी की शर्तों की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण मामले अनिर्णीत पड़े हैं।

पंजाब सर्किल में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा तार घर

3304. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में पंजाब सर्किल में कितने स्थानों पर राज्य सरकार की ओर से किराये तथा गारन्टी सम्बन्धी शर्तों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों तथा तार घरों की व्यवस्था की गई थी ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या 6 है और तार घर कोई नहीं।

टेलीफोन और तार व्यवस्था के विकास के बारे में मानन थोड़ी, केरल के टेलीफोन प्रयोक्ताओं से याचिका

3305. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मानन थोड़ी, केरल के टेलीफोन प्रयोक्ताओं से इस आशय की कोई याचिका प्राप्त हुई है कि टेलीफोन और तार व्यवस्था का सुधार किया जाये जिसमें आसपास के कस्बों और नगरों में परस्पर संचार सम्बन्ध स्थापित हो जायें,

(ख) यदि हाँ, तो याचिका की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हाँ।

(ख) मानन-थोड़ी के टेलीफोन उपभोक्ताओं से तारीख 28-2-72 की जो याचिका प्राप्त हुई है उस की मुख्य बातें ये हैं :—

(i) मानन-थोड़ी का दर्जा बढ़ाकर उसे ट्रंक केन्द्र बनाया जाए।

(ii) कालेजों की सेवा में तेजी लाने के निमित्त मानन-थोड़ी को सुलतान पट्टेरी और काभीकोड से जोड़ने के लिए कलपेट्टा तक अतिरिक्त ट्रंक लाइन बिछाना।

(iii) टेलीफोन और तार सुविधाओं के लिए मानन-थोड़ी और तेल्लिचेरी के बीच सीधी ट्रंक लाइन बिछाना।

(ग) फिलहाल इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों को टेलीविजन पर दिखाने की कसौटी

3306. **श्री सी. के. चन्द्रप्पन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों को दिखाने सम्बन्धी सरकारी निर्णय करने की कसौटी क्या है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान फिल्मों के चयन सम्बन्धी शिकायतों की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) फिल्मों का स्तर और उनका मिलना ये दो मुख्य बातें हैं जिनके आधार पर टेलीविजन के लिए फिल्मों का चयन किया जाता है।

(ख) तथा (ग):—कोई शिकायतें नहीं हुई हैं। तथापि, समय समय पर कुछ टिप्पणियाँ तथा सुझाव प्राप्त होते हैं जिन पर समुचित रूप से विचार किया जाता है।

केरल की औद्योगिक योजनाएं

3307. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार के द्वारा पिछले दो वर्षों में प्रेक्षित औद्योगिक योजनाओं के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक योजनाओं पर वार्षिक योजना पर विचार विमर्श की अवधि में विचार किया गया था और उनके लिए वार्षिक योजनाओं में प्रावधान किया गया था। राज्य योजना के अंतगर्त बड़े और माध्यमिक उद्योगों, खनिज और लघु एवं ग्रामोद्योगों के लिए वर्ष 1970-71 में क्रमशः 3.89 करोड़ रुपये और 4.64 करोड़ रुपये की प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजनाओं में शामिल मुख्य योजना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केरल को 1970-71 और 1971-72 की वार्षिक योजनाओं में शामिल मुख्य औद्योगिक योजनाओं की सूची।

ए० बड़े एवं माध्यमिक, उद्योग

1. ट्रावनकोर रबड़ वर्क्स।
2. दि केरल सिरामिक्स लिमिटेड।

3. केरल सोप्स एण्ड आयल लि० ।
4. केरल इलैक्ट्रीकल्स एण्ड अलाइड इंजि० को० लि० ।
5. केरल स्टेट इंडस्ट्रीकल डिव्लपमेंट कारपोरेशन ।
6. यूनाइटेड इलैक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज लि० ।
7. ट्रावनकोर टिटानियम प्राडक्टस लि० ।
8. ट्रावनकोर प्लाइवुड कं० लि० ।
9. ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लि० ।
10. ट्रा को केबलस कम्पनी लिमिटेड ।
11. प्रिमो पाइप फैक्टरी लिमिटेड ।
12. डिस्ट्रीलरी प्राजक्ट ।
13. प्लान्टेशन कारपोशन ।
14. ट्रांसफार्मर्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स केरल लिमिटेड ।
15. केरल कोमर्शियल कारपोरेशन ।
16. डिवल्पमेंट एरियास ।

बी० कुटीर एवं लघु उद्योग

1. हाथ करघा ।
2, शक्तिचालित करघा ।
3. लघु उद्योग ।
4. औद्योगिक बस्तियां ।
5, कायर उद्योग ।

केरल में अखबारी कागज के संयंत्र की स्थापना

3308. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों के कई दलों ने केरल का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी रिपोर्ट क्या है; और

(ग) कारखाने का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट हिन्दुस्तान कागज निगम तथा केरल सरकार के बीच, अवस्थापना सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, भूमि, सड़क आदि तथा कच्चे माल के लिये राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी शर्तों पर चल रही बात चीत से संबंधित हैं ।

(ग) जैसी कि इस समय आशा है, स्थापन-स्थल का विकास चालू वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा वास्तविक निर्माण कार्य अगले वर्ष से शुरू हो जाने की आशा है।

कलपव ्म परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पूरा करना

3309. **श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपवकम परमाणु ऊर्जा परियोजना का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट के चालू होने का कारण आंशिक रूप से तो यह है कि इस यूनिट की स्थापना पर होने वाले खर्च के विदेशी मुद्रा के अंश की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त करने में समय लगा और आंशिक रूप से यह कि उपकरणों का उत्पादन यथासंभव भारत में करने का प्रयत्न किया गया। मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे यूनिट को स्थापित करने की संस्वीकृति मई, 1971 में दी गई थी।

चितूर, आंध्र प्रदेश, में एक डाक भवन का निर्माण

3310. **श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चितूर, आंध्र प्रदेश में, विभिन्न और जगह-जगह बिखरे डाक सेक्शनों के लिये एक उपयुक्त भवन बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : चितूर के विभिन्न डाक-तार कार्यालयों को स्थान देने के लिए एक इमारत तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता, स्थान की कमी को दूर करने के लिए मौजूदा प्रधान डाकघर की इमारत में विस्तार करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है और इसके लिए इस समय नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश के चितूर जिले में असंतोषजनक ट्रंक टेलीफोन सेवा

3311. **श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ट्रंक टेलीफोन सेवा के असंतोषजनक होने के कारण आंध्र प्रदेश के चितूर जिले के पूर्वी तालुकों में सत्यवेडु तथा अन्य क्षेत्रों में जनता में असन्तोष व्याप्त है,

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस कारण बहुत से उपभोक्ताओं ने अपने टेलीफोन कटवा दिये हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार इस बात से अवगत है कि जनता सत्यवेदु एक्सचेंज के प्रचालन से असंतुष्ट है। चित्तूर के पूर्वी तालुकों में दूसरे एक्सचेंजों की स्थिति सामान्य है।

(ख) 1968 में सत्यवेदु एस० ए० एक्स में काम करने वाले कनेक्शनों की संख्या 16 थी। अब यह संख्या कम होकर 7 रह गई है।

(ग) ट्रंक लाइन पर अक्सर ताम्बे के तार की चोरी होती है। ताम्बे के तार को बदल कर अल्युमीनियम का तार लगाने के तखमीने की मंजूरी दे दी गई है और सामान की प्रतीक्षा है। जब ताम्बे के तार की जगह अल्युमीनियम का तार लगा दिया जाएगा तो आशा है कि ट्रंक सर्किट स्थायी रूप से काम करेगा।

Districts in Rajasthan Covered by Dialling

3312. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the name of Districts of Rajasthan where direct dialling system has been introduced;

(b) the criteria on which it is done; and

(c) whether Kota (Rajasthan) is not covered thereunder and if so, the reasons therefore ?

The Minister of Communications (Shri H.N. Bahuguna) : (a) The names of the Districts of Rajasthan wherein Automatic Exchanges of larger, medium and small capacities are working are given in the Statement.

(b) (i) At small station where demands are less than 70, small cabinet type SAXs are planned.

(ii) Where the demands exceed 100, Manual exchanges are planned. Generally these are allowed to expand till the demands reach about 1000.

(iii) However, at some important station like District Head Quarters industrial towns or where traffic justifies Trunk Dialling when demands exceed 300 medium size automatic exchange of MAX-II type is planned.

(iv) When demands at a station reach 1000 or more a large automatic exchange of the MAX-I type is planned.

(c) A Kotah a telephone exchange building is under construction. MAX-I type equipment for 2100 lines has been alloted from the I. T. I. manufacturing programme for the year 1972-73. This exchange is likely to be commissioned by 1975.

Statement

I. District where Main Automatic Exchanges of large capacity are working.

1. Jaipur (City)
2. Jodhpur (City)

II. Districts where Main Automatic Exchanges of medium capacities are working.

1. Alwar
2. Beawar
3. Bharatpur
4. Pali
5. Bhilwara

III. Districts where small capacity auto Exchanges are working.

1. Ganganagar
2. Bikaner
3. Churu
4. Jhunjhunu
5. Jhalawar
6. Alwar
7. Bharatpur
8. Sawai Madhopur
9. Jaipur
10 Sikar
11. Ajmer
12. Tonk
13. Jaisalmer
14. Jodhpur
15. Nagaur
16. Sirohi
17. Udaipur
18. Chittorgarh
19. Bundi
20. Pali

Rajasthani Dialect in Radio Broadcasting

3313. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Information Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government have given place to Rajasthani dialect in radio broadcast;

(b) if so, dialect being used in this regard; and

(c) whether Government propose to revise it as the one being used in broadcasts at present is not the Rajasthani dialect ?

The Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy): (a) & (b) : AIR's progrmmes for rural and urban audiences in Rajasthan are predominantly in Marwari which is the dialect widely spoken and understood in the state.

(c) There is no such proposal under consideration at present.

Linking of Kota with AIR Station Jaippur-Bikaner

3314. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :—

whether there is any scheme to link Kota, Rajasthan with Jaipur-Bikaner Station of A. I. R. for purposes of radio broadcasts ?

The Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : No, Sir.

डाक व तार विभाग के तकनीकी तथा विकास सर्किल में विकेन्द्रीकरण की योजना

3316. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार विभाग के तकनीकी तथा विकास सर्किल के अन्तर्गत कार्य कर रहे मेकेनिकों के विकेन्द्रीकरण की योजना कब लागू की गई थी,

(ख) उत्तर प्रदेश सर्किल के लिये कितने व्यक्तियों ने अपना विकल्प दिया था और उनमें से प्रतिवर्ष कितने वापस आ रहे हैं; और

(ग) अन्य सर्किलों में वापस जाने वालों के वर्षवार तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 21-7-1966 ।

(ख) 275 व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश के लिए अपना विकल्प दिया है । 30 मैकेनिकों ने अभी तक अपना विकल्प नहीं दिया है। सन् 1969 में 7, 1970 में 16, 1971 में 9 और 1972 में व्यक्ति उत्तर प्रदेश सर्किल में अभी तक वापस किये जा चुके हैं ।

(ग) इससे सम्बन्धित सूचना विवरण में दी गई है

विवरण

अन्य सर्किलों में वापस जाने वालों के वर्षवार आंकड़े

सर्किल का नाम	1963	69	70	71	72
केरल सर्किल	...	16	6	...	...
मध्य प्रदेश सर्किल	...	...	10	...	...
महाराष्ट्र सर्किल	...	4	6	...	...
मैसूर सर्किल	...	1	...	...	...
पंजाब सर्किल	...	1	10	...	...
राजस्थान सर्किल	...	2	...	2	...
तमिल नाडु सर्किल	...	15	...	...	...
पश्चिमी बंगाल सर्किल	...	5	5	...	...
टेलीफोन जिलों के नाम					
बंगलौर ज़िला	...	5	...	...	...
बम्बई जिला	...	...	5	...	4
दिल्ली जिला	...	...	10	...	...
हैदराबाद जिला	...	...	...	1	
मद्रास जिला	...	1	9	...	...
पूना जिला	...	...	3	...	...

'आकाशवाणी कलकत्ता से रेडियो व्यंग्य चित्र'

3317. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी कलकत्ता से एक नया कार्यक्रम 'रेडियो व्यंग्य चित्र' आरम्भ किया गया है;

(ख) क्या इन कार्यक्रम की श्रोताओं ने बहुत प्रशंसा की है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या ऐसे 'व्यंग्य-चित्र' अन्य केन्द्रों से भी प्रसारित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) तथा (ख) : जी, हां ।

(ग) यह सामयिक अभिरुचि के विषय पर 2 से 3 मिनट तक की अवधि का एक छोटा कार्यक्रम है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त होने के बाद गत जनवरी में आरम्भ किया गया था। इसमें किसी बात को विनोदपूर्ण तथा व्यंगात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

(घ) यह विचाराधीन है ।

Dacoit Menace in Madhya Pradesh and adjoining States

3318. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh and its adjoining States have been facing the menace of armed dacoit gangs since India attained Independence;

(b) whether Government have collected any figures in regard to the number of citizens killed and the value of property and cash looted by these dacoits and the number of police constables and officers killed in the encounters with them so far; and

(c) whether Government propose to take some measures to solve this problem ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir. In fact the area generally known as the Chambal Valley has been infested with this menace for years;

(b) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House on receipt.

(c) Yes, Sir.

अमरीकी सहयोग से औद्योगिक एककों की स्थापना

3319. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अमरीकी तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से देश में राज्यवार कुल कितने औद्योगिक एकक स्थापित किये गये ; और

(ख) इन एककों में अमरीकी पूंजी के रूप में कुल कितना धन लगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नये एककों की स्थापना अथवा विद्यमान एककों में नई वस्तुओं में उत्पादन के लिए अमरीकाकी पार्टियों के तकनीकी और वित्तीय सहयोग के 93 प्रस्ताव गत तीन तीन वर्षों में अर्थात 1969, 1970

और 1971 में सरकार ने स्वीकार कर लिये हैं। इस मामलों का राज्य वार व्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। स्वीकृत पत्रों में दिये गये भारतीय पार्टियों के पतों के अनुसार राज्य वार सूचना दी गई है। इस स्थिति में वास्तविक स्थापित एककों की संख्या बताना मुश्किल है क्योंकि आगे की प्रगति सम्बन्धित पार्टियों की पहल पर और औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए आवश्यक पनपने की अवधि पर आधारित होती है।

(ख) उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार गत तीन वर्षों अर्थात 1969, 1970 और 1971 में अमरीका का निर्देश 499.63 लाख रुपये है।

अनुबन्ध

विदेशी सहयोग प्रस्तावों की की स्वीकृति की राज्यवार सूची

क्रम संख्या	राज्य का नाम	स्वीकृति की संख्या
1	महाराष्ट्र	38
2	दिल्ली	25
3	पश्चिमी बंगाल	10
4	आन्ध्र प्रदेश	4
5	तमिल नाडु	4
6	गुजरात	3
7	मैसूर	2
8	उत्तर प्रदेश	2
9	हरियाणा	2
10	बिहार	1
11	राजस्थान	11
12	मध्यप्रदेश	1
	योग	93

खादी तथा ग्रामोद्योग संबंधी अशोक मेहता समिति की सिफारशें

3320. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग संबंधी अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर सरकार ने कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : अशोक मेहता समिति की सिफारिश सरकार के विचाराधीन हैं ।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन नें वृद्धि

3321. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन इस आशय का ओई प्रस्ताव है कि अभी तक जीवित सभी स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन बढ़ाकर 500 रुपये कर दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) निर्धारित न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत द्वारा पहला उपग्रह छोड़ा जाना

3322. **श्री वयालार रवि** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष में अपना पहला उपग्रह छोड़ने की तैयारी की दिशा में क्या प्रगति हुई है और उसे कब तक अन्तरिक्ष में छोड़े जाने की संभावना है :

(ख) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संस्था द्वारा इस देश से उपग्रह छोड़ने के कार्य-क्रम में सहयोग के लिए अन्य देशों से कोई समझौते किये गये हैं अथया किये जाने हैं; और

(ग) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) उपग्रह को छोड़ने की तैयारी में निम्नलिखित कार्य करना शामिल है :

1. उपग्रह को ले जाने वाले राकेट तथा उसकी पथ-प्रदर्शक एवम् नियन्त्रण प्रणालियों का विकास ।

2. उपग्रह छोड़ने के लिए एक रेंज तैयार करना, जिसमें उपग्रह की स्थिति का पता लगाने तथा दूरसंचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

3. पर्यावरण की जाँच करने की सुविधाओं की स्थापना ।

4. वैज्ञानिक उपग्रह बनाने के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना ।

5. उपग्रह के सहायता से किये जाने वाले वैज्ञानिक परीक्षणों का चुनाव ।

उपरोक्त पाँचों कार्यों में प्रगति हुई है। भारत अपना पहला वैज्ञानिक राकेट भारत में ही तैयार किये गए राकेटों की सहायता से सन् 1974 में छोड़ने का प्रयत्न करेगा।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत के किसी भी क्षेत्र से उपग्रह छोड़ने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अन्य देशों से कोई समझौता नहीं किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र से छोड़े गए राकेट

3323. **श्री वयालार रवि :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र से अब तक कितने राकेट छोड़े गये हैं :

(ख) उनमें से कितनों का निर्माण देश में किया गया और कितनों का निर्माण विदेशों में हुआ था : और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 462।

(ख) भारत में निर्मित 267 तथा विदेशों में निर्मित 195।

(ग) इन राकेटों को छोड़ने का उद्देश्य प्रणोदकों का विकास करने, समुचित माप-यन्त्रण द्वारा राकेटों की सँरचनाओं का अध्ययन एवम् उनकी परीक्षा स्थिर तथा गतिशील अवस्थाओं में करने तथा वायुगतिकी के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करना है। इन परीक्षणों के परिणाम जो कि अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, बहुत ही संतोषजनक रहे हैं।

राजस्थान औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम द्वारा स्कूटर बनाने के कारखाने की स्थापना

3324. **श्री निहार लास्कर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान औद्योगिक तथा खनिज विकासनि गम द्वारा जिन्हें केन्द्र सरकार ने स्कूटर बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए 'आशय-पत्र' जारी किया है, कब तक उत्पादन प्रारम्भ किया जायेगा ;

(ख) प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होगा; और

(ग) देश में स्कूटरों की माँग की पूर्ति इस एकक द्वारा किस सीमा तक होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख):— अलवर (राजस्थान) में प्रतिवर्ष 24,000 स्कूटर बनाने के एक नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु 7 अक्तूबर, 1970 को राजस्थान औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम को एक आशय-पत्र दिया गया था। निगम की प्रार्थना पर आशयपत्र के उपबन्धों को पूरा करने हेतु हाल ही में

इसकी अवधि 6 अक्तूबर, 1972 तक बढ़ाई गई है। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि निगम कब तक उत्पादन प्रारंभ करेगा।

(ग) नेशनल काउन्सिल औफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च ने 1979-80 तक स्कूटरों की मांग प्रतिवर्ष 2,43,000 तक होने का अनुमान लगाया है जबकि राजस्थान औद्योगिक खनिज विकास निगम को दिये गये आशयपत्र के अनुसार उपक्रम की क्षमता 24,000 स्कूटर प्रति-वर्ष है।

डाकुओं को समाप्त करना

3325. **श्री निहार लास्कर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में डाकुओं के कितने गिरोहों को और डाकुओं को समाप्त किया गया;

(ख) उन्हें प्रजातंत्रीय मूल्यों की शिक्षा देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या डाकुओं की समस्या के निराकरण के लिए डाकुओं को समझाने-बुझाने और उन्हें शिक्षा देने के तरीके काम में लाये जा रहे हैं; और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) मणिपुर राज्य सरकार और अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़ और अरूणांचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना से प्रतीत होता है कि उनके क्षेत्रों में डाकुओं के कोई गिरोह नहीं हैं। अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र से सूचना आनी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) : सामूहिक माध्यम तथा अन्य साधन जैसी संस्थाएं जिनके द्वारा प्रजातंत्रीय मूल्यों का लोगों में प्रचार किया जाता है डाकू गिरोहों के लिए भी उपलब्ध हैं।

(ग) : सर्वोदय नेता, आचार्य विनोबा भावे ने सन् 1960 के आस-पास और आजकल श्री जयप्रकाश नारायण तथा उनके निष्ठावान कार्यकर्त्ताओं ने सम्बन्धित राज्य सरकारों के पूर्ण सहयोग से डाकुओं को मनाने की प्रणाली अपनाई, जिससे चम्बल घाटी में प्रशंसनीय परिणाम निकले हैं। उनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 14 तथा 16 अप्रैल, 1972 को सरकारी प्राधिकारियों के सामने 163 डाकुओं ने अपने हथियार डाल कर आत्मसमर्पण किया और अगले कुछ दिनों में इन भटके हुए डाकुओं में से कुछ और के आत्मसमर्पण करने की आशा है।

स्कूल छात्रों के लिए टेलीविजन कार्यक्रम

3326. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पर स्कूल छात्रों के लिए कार्यक्रम दोपहर पश्चात दिखाए जाते हैं जबकि अधिकतर बच्चे स्कूलों में होते हैं और इस कारण वे इन कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा सकते; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यक्रमों के समय में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) स्कूल पाठ प्रात: काल तथा दोपहर पश्चात स्कूल समय के दौरान, स्कूल की कक्षाओं के देखने के लिए टेलीकास्ट किये जाते हैं। स्कूलों के बच्चों के लिए अन्य सूचनामूलक तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रम सप्ताह में दो बार सायंकाल, जब वे घर में होते हैं, टेलीकास्ट किये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

Formation of Khandwa Telephone Division

3327. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) thc basis on which Khandwa (Madhya Pradesh) Telephone Division was formed; and

(b) the number of telephone connections provided under the above Division ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No telephone Division has been formed at Khandwa. The headquarters of the telephone Sub-Division was shifted from Itarsi to Khandwa in April, 1971 for better maintenance of assets.

(b) The number of telephone connections in the Telegraph Sub-Division was : 1676 as on 31-3-1972.

Setting up of Industries in Backward Areas of Madhya Pradesb by Larger Industrial Houses.

3328. **Sbri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have asked the houses of Tata, Birla, Sahu-Jain and Dalmia to set up large scale industries in the backward areas of Madhya Pradesh; and

(b) whether licences are being issued to the big industrial houses with a view to ensuring proper utilisation of resources in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) [& (b) : It is not the practice of the Government of India to instruct business houses to set up industries in any particular area. However, applications received from all entrepreneurs are considered on merits and in accordance with existing policy. A list of licences and letters of intent issued from 1957 onwards to larger houses for locating industries in Madhya Pradesh is attached. **[Placed in the Library. See No. L. T. 1806/72]**

Closure of Industries in Madhya Pradesh.

3329. **Sbri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the number of closed factories in Madhya Pradesh which have not been reopened so far and the number of such factories which are treated as having been closed permannently;

(b) the reasons for the closure of the factories; and

(c) the number of persons rendered jobless and the steps taken by Government to reopen them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) : The number of closed factories in Madhya Pradesh which have not been reopened so far is thirteen, out of which four factories are treated as permanently closed.

(b) : Reasons for the closure of the factories are (i) uneconomic capacity of the units and recurring losses; (ii) depletion of coal reserves in the mines; (iii) legal disputes amongst parteners and management and (iv) other reasons like fire hazard, liquidation proceedings etc.

(c) Total number of persons rendered jobless in 10 factories is 3,361. Information in respect of the other three factories is not available.

Except in the case of four factories which have been closed permanently, the State Government are making efforts to persuade the concerned parties to reopen the factories.

Repatriation of the Two Youngmen from Indonesia who Looted a Bank in Safdarjang Enclave, New Delhi

3330. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to request the Government of Indonesia to seek repatriation of the two youngmen, who looted a bank in Safdarjang Development Enclave, New Delhi and are now imprisoned in a jail in Sumatra island of Indonesia; and

(b) if so, the time by which they would be repatriated to India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) In course of investigation of the case, detailed information has been sought from the Govenrnment of Indonesia. A decision on seeking repartiation of the two youngmen from Indonesia will be taken after the information has been received.

(b) No time limit can be fixed at this stage of investigation.

त्रिपुरा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

3331. **श्री बीरेन दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कितने जवान हैं ; और

(ख) यह पुलिस वहाँ कितने समय तक रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : त्रिपुरा में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की तीन बटालियन तैनात हैं। ज्यों ही वहां इस बल की आवश्यकता नहीं रहेगी उन्हे वहाँ से अपने स्थायी मुख्यालय में वापस बुला लिया जायेगा ।

खाद्य पदार्थ परिष्करण उद्योगों की विकास परिषद की सिफारिशें

3332. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य पदार्थ परिष्करण उद्योगों की विकास परिषद् द्वारा जनवरी, 1970 में और तदुपरान्त क्या सिफारिशें की गई थीं ; और

(ख) यदि परिषद् की विशेष कर लोगों की पौष्टिक आहार के बारे में सजग बनाने के लिये प्रचार अभियान चलाने और अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने तथा उनके वितरण सम्बन्धी सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) खाद्य पदार्थ परिष्करण उद्योगों की विकास परिषद् द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिशें अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के विषय में है :—

(1) बच्चों के पोषक आहार के महत्व को ध्यान में रखते हुए जनता को पोषक आहार के प्रति जागरूक करने के लिये पर्याप्त प्रचार की आवश्यकता है।

(2) अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों विशेषकर 5 वर्ष तक बच्चों के लिए आवश्यक आहार के उत्पाद और विणयन द्वारा इसका श्री गणेश किया जा सकता है।

(3) सामान्य भारतीय भोजन में अधिक और अच्छी प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता पर बल दिया गया। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर विकास परिषद् ने विभिन्न प्रकार के प्रोटीन युक्त आहार के राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने की सिफारिश की थी।

(4) स्तन्यत्याग शिशु आहार की विकास गति धीमी है तथा बच्चों के पोषण के लिए इसमें तेज़ी लाई जानी चाहिए। खाद्यान्न तथा अधिक प्रोटीन वाले माल के पर्याप्त सम्भरण से इस प्रकार के पौष्टिक आहार के विकास की आवश्यकता का पता चलता है। उपयुक्त उत्पादों के विकास के प्रश्न पर सेन्ट्रल फूड टैक्नालाजिकल रिसर्च इंसटीट्यूट, इन्डस्ट्री और सरकार को ध्यान देना चाहिये।

(ख) प्रोटीन फूड्स एशोसियेशन, आफ इन्डिया ने जिसकी व्यापक सदस्यता का क्षेत्र उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों आदि तक फैला है प्रेस, शिक्षा प्रद फिल्मों तथा अन्य प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से चुने हुए क्षेत्रों में उत्तम आहार पर बल देने के लिये पहले से ही जन प्रचार कार्यक्रम चला रखा है। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जनता को पौष्टिक आहार के प्रति और अधिक जागरुक करने के विचार से प्रोटीन फूड एशोसियेसन ने कुछ उत्पादों का परीक्षण बिक्री पहले ही शुरू कर रखी है।

अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने देश के विभिन्न भागों में सोयाबीन, मूंगफली और बिनौला आदि द्वारा अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए एककों की स्थापना की विभिन्न प्रकार की योजनायें स्वीकार की हैं।

उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वरिष्ठता सम्बन्धी नियमों में संशोधन

3333. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ अधिकारियों की वरिष्ठता सम्बन्धी मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के इस फैसले का पता है जिसमें बताया गया है कि पदोन्नति के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सेवा की अवधि को निर्देशक सिद्धान्त माना जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए वरिष्ठता सम्बन्धी वर्तमान नियमों का संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख): प्रत्यक्षत: यह संदर्भ 1968 की सिविल अपील संख्या 1845 (भारत संघ तथा अन्य बनाम एम० रवि वर्मा एवं अन्य), सन् 1968 की संख्या 1846 (भारत संघ तथा अन्य बनाम एस० गणपति कीनी तथा अन्य) और सन् 1969 की संख्या 50 (भारत संघ तथा अन्य बनाम सुरेश कुमार तथा अन्य) के बारे में दिनांक 4-1-1972 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सम्बन्धित है। वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) तथा स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य-विभाग), इस निर्णय में उल्लिखित विशिष्ट मामलों से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित हैं। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय, वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित मामलों के बारे में मैसूर उच्च-न्यायालय के निर्णय और स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय से सम्बन्धित मामले के बारे में पंजाब और हरियाणा के उच्च-न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकार द्वारा दायर की गई अपीलों के सम्बंध में दिया गया था। दोनों मंत्रालयों ने न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में यथोचित कार्रवाई कर ली है।

(2) जहां तक वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, उच्चतम-न्यायालय ने अवलोकन किया है कि गृह-मंत्रालय के दिनांक 22-12-1959 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55 आर० पी० एस० में समाविष्ट आदेशों को, उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में पहले से ही लागू नहीं किया जा सका, जो कि उस तिथि से पूर्व नियुक्त किये गये थे, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के दिनांक 22-6-1949 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 30/44/48 अपाइंटमैंट में समाविष्ट आदेश उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के सम्बन्ध में लागू होते रहेंगे। उच्चतम-न्यायालय के निर्णय के इन संवीक्षणों के निहितार्थ संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श में जांचाधीन हैं और यथाशीघ्र आवश्यक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

टेलीग्राफ इंजीनियरिंग तथा वायरलैस सर्विस के श्रेणी-II के विशेष वेतन पाने वाले अधिकारी

3334. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न डाक तथा तार सर्कल कार्यालयों में असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग के रूप में

कार्य कर रहे टेलीग्राफ इंजीनियरिंग तथा वायरलेस सर्विस के श्रेणी-II के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनको 100 रुपया प्रतिमास विशेष वेतन मिलता है,

(ख) सर्कल कार्यालयों में असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको विशेष वेतन नहीं मिलता है, और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कोई नहीं। अलबता, तार इंजीनियरी सेवा—द्वितीय श्रेणी के 9 अधिकारी विभिन्न सर्किलों और टेलीफोन जिला कार्यालयों में सहायक इंजीनियर (भवन) के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें कोई विशेष वेतन नहीं मिलता।

(ख) 5. परन्तु वे तार इंजीनियरी सेवा-द्वितीय श्रेणी के नहीं हैं।

(ग) इस समय, सर्किल/जिला कार्यालयों में सहायक इंजीनियर (भवन) के पदों पर कोई विशेष वेतन नहीं मिलता। तार इंजीनियरी सेवा—द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को सहायक इंजीनियर (भवन) के पद पर नियुक्त करने पर उन्हें विशेष वेतन देने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

तार घर खोलने के लिए लाइन बिछाने संबंधी सामग्री की सप्लाई में कमी

3335. **श्री आर०पी० उलगनम्बी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा लाइन बिछाने सम्बन्धी सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिसके परिणामस्वरूप 1970-71 में 500 तारघर खोलने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : कच्चेमाल की कमी, उत्पादन की अपर्याप्त क्षमता और कर्मचारियों के कारण दिक्कतों आदि के फलस्वरूप वर्ष 1970-71 के दौरान कुछ लाइन सामग्री प्राप्त करने में कमी रही है।

कच्चा माल ज्यादा उपलब्ध हो, इसके लिए वर्ष 1971-72 में कदम उठाये गए थे। विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त साधनों का भी विकास किया गया था। 1971-72 की दूसरी छमाही में लाइन सामग्री की सप्लाई स्थिति में सुधार हुआ है और इससे चौथी योजना के लक्ष्य प्राप्त करने में अच्छी संभावनाएं हैं।

डाक अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए गए अध्ययन

3336. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) राष्ट्रीय संहिता का मूल्यांकन, (दो) पत्र छंटाई मशीन चालू करना (तीन) पार्सल छंटाई का यंत्रीकरण करने के बारे में डाक अनुसंधान केन्द्र द्वारा किये गये अध्ययनों पर क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) उक्त अध्ययनों की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) : (1) इसका अध्ययन अभी चल रहा है।

(2) यह निर्णय किया है कि पत्र छंटाई मशीनों के इस्तेताल का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए ।

(3) उन बड़े पार्सल छंटाई कार्यालयों में ही आंशिक रूप से मशीनों के इस्तेमाल की योजना पर विचार किया जायेगा जिन्हें नई इमारतों में स्थान देने का प्रस्ताव है,जो कि विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई हों ।

(ख) पत्र छंटाई मशीनों के इस्तेमाल के संबंध में यह महसूस किया गया है कि देश में डाक सेवाओं के विकास की मौजूदा स्थिति में इस तरह की मशीनें लागू करना बहुत जरूरी नहीं है और इसमें यह बात भी ध्यान में रखी गयी है कि इससे रोजगार के मसले पर बुरा असर पड़ेगा ।

योजना आयोग तथा केरलसरकार के बीच वार्षिक योजना के बारे में विवाद

3337. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग तथा केरल राज्य के बीच उस राज्य की वार्षिक योजना के आकार के बारे में कोई विवाद है;

(ख) यदि हाँ, तो विवाद की बातें क्या हैं; और

(ग) केरल राज्य सरकार को इस बारे में सन्तुष्ट करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य सरकार ने 1972-73 की वार्षिक योजना के लिए 70.77 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया था, परन्तु केरल के मुख्य मन्त्री से विचार-विमर्श करने बाद, संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने 64.00 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकार किया । इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में उद्योगों का विकास

3338. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास सहज रूप से नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : वर्ष 1969 से 1971 की अवधि में केरल में औद्योगिक एककों के लिए स्वीकृत किये गये औद्योगिक लाइसेंसों और आशयपत्रों का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है—

वर्ष	औद्योगिक लाइसेंस	आशयपत्र
1969	2	10
1970	10	15
1971	7	25

आंकड़ों से ऐसा लगता है कि राज्य में औद्योगिक विकास का कार्य प्रगति पर है। लेकिन सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में कार्य के स्थायी रूप से रुकने या कार्य की प्रगति में कमी होने के उदाहरण में मन्त्रालय के समक्ष लाए गए हैं। राज्य सरकार से अभी हाल ही में कोई ऐसी सामान्य शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि केरल में सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में समग्रतः उद्योग के विकास का कार्य सुचारु रूप से से नहीं चल रहा है।

केरल में पिछड़े जिलों का विकास

3339. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल राज्य के पिछड़े जिलों अथवा ब्लाकों के द्रुत विकास के लिए कोई ऐसे निर्णय किए गए हैं, जिनके अनुसार वहाँ स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक एककों के निर्धारित पूंजी-निवेश का 10 प्रतिशत केन्द्रीय राज सहायता के रूप में दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : कुछ जिलों/क्षेत्रों के उन नये एककों को जिनका अचल पूंजी निवेश 50 लाख रु० से अधिक नहीं है अचल पूंजी निवेश के 1/10 केन्द्रीय राजसहायता मंजूर करने के लिए चुना गया है। इन योजनाओं का ब्यौरा 26 अगस्त, 1971 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। केरल का एलेप्पी जिला यह राज सहायता पाने का हकदार है।

समूचे देश में पिछड़े कहे जाने वाले लगभग 219 जिलों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए रियायती दर पर धन उपलब्ध है। केरल के निम्नलिखित जिले यह रियायत पाने के हकदार हैं :—

एलेप्पी, त्रिवेन्द्रम, कन्नापूर, त्रिचूर तथा मलप्पुरम।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में जिनमें केरल के एलेप्पी तथा कोजीकोड़े जिले सम्मिलित हैं। लघु उद्योग स्थापित करने हेतु ग्रामीण उद्योग परियोजनायें भी चला रही हैं।

इसके अतिरिक्त भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने जिला स्तर पर त्रिवेन्द्रम की औद्योगिक सम्भावनाओं का पता लगाने का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

आशा है कि उद्यमी तथा राज्य एजेंसियां उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन रियायतों/सुविधाओं का लाभ उठायेंगे और केरल के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करेंगे।

केरल में बन्द पड़े उद्योगों को दुबारा खोलना

3340. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के बन्द पड़े ऐसे उद्योगों की संख्या क्या है जो गत तीन वर्षों में अब तक दोबारा खोले जा चुके हैं; और

(ख) क्या इन उद्योगों को खोलने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का प्रबन्ध किया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिमी बंगाल में हिंसात्मक गतिविधियां निरोधक अधिनियम और आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए तथा राज्य के बाहर जेलों में भेजे गए व्यक्ति

3342. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक गतिविधियां निरोधक अधिनियम तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम और भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत नज़रबन्द किए गए तथा भारत सरकार के आदेशाधीन पश्चिम बंगाल से बाहर भेजे गए तथा जेलों में रखे गये व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) क्या निकट भविष्य में उनको वापस पश्चिम बंगाल भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल में व्यक्तियों की नज़रबन्दी और उन्हें पश्चिम बंगाल से बाहर की जेलों में भेजने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसे आदेश नहीं दिए हैं ।

अपने राज्य की जेलों में भीड़-भाड़ को कम करने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम 1971 के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के कैदियों के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए अन्य राज्यों के साथ-साथ तमिलनाडु सरकार से भी कहा था। तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय जेल, कुडालौर में कुछ स्थान उपलब्ध किया और उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 3 जनवरी, 1972 को 691 कैदियों को उस जेल में भेज दिया गया । पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर उनमें से 65 को अब या तो स्थानान्तरित कर दिया गया है या मुक्त कर दिया गया है । शेष के सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के आदेशों के अनुसार कार्य करेगी । इस समय कुडालौर केन्द्रीय जेल से और कैदियों को पश्चिम बंगाल वापस स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

येरागुटंला, जिला कुड्डापट (आंध्र प्रदेश),में सीमेंट का कारखाना

3343. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने येरागुटंला, जिला कुड्डापट, आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट के कारखाने का निर्माण करने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(ग) इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया से कहा गया है कि वह चालू लागत आंकड़ों पर आधारित एक नई सविवरण सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करे जिस पर सरकार आगे कार्यवाई करेगी ।

मेरठ में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भूमि

3344. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कुछ समय पूर्व मेरठ में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भूमि के क्रय के बारे में हुई कतिपय अनियमितताओं का पता है और यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं,

(ख) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है, और

(ग) ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस तरह की कोई अनियमितता जानकारी में नहीं आई ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

देशबन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्ली में आग लगने की घटना

3345. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 मार्च, 1972 को देश बन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्ली में आग लगने की घटना हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें अनुमानित कितनी हानि हुई है, और क्या इस घटना के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) : लगभग 1,50,000 रु० । दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा की गई जांच से आग लगने का कारण निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो सका परन्तु यह समझा जाता था कि

अन्तंग्रस्त दुकानों में से एक में सम्भवत: बिजली के तारों में आग लगने के कारण आग लगी। अंगीठी इत्यादि की किसी चिन्गारी से आग लगने की सम्भावनाओं का भी निषेध नहीं किया जा सकता।

Upgrading of A. I. R. Varanasi

3346. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to Unstarred Question No. 2954 replied on 23rd June,1971 regarding Radio Station at Varanasi and state the progress made in upgrading Varanasi Station of All India Radio as a full-fledged station ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : The project has been sanctioned. Efforts are being made to acquire a suitable site for locating the studios.

लघु उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार

3347. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ने अपनी फिलपीन की यात्रा के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि दक्षिण एशिया के देशों में विशेषकर लघु उद्योग के क्षेत्र का विस्तार होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या योजना बनाई गई हैं।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग):—औद्योगिक विकास मंत्री जो लघु उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं फिलीपीन नहीं गये। विकास आयुक्त लघु उद्योग संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के अधीन नियत कार्य पर वहाँ गये थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट उस संगठन को प्रस्तुत कर दी है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा मशीनों का निर्माण

3348. **श्री सी०के०चन्द्रप्पन:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने कुछ नई मशीनें बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन मशीनों की अच्छी बिक्री है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने निम्नलिखित मशीनें बनाने का काम हाथ में लिया है :—

सरफेस ग्राइंडिंग मशीनें, सिंगल स्पिंडल आटोमेटिक्स, मल्टी स्पिंडल आटोमेटिक्स, गियर

हाबरस, बोरिंग और ड्रिलिंग मशीनें, ब्रोचिंग मशीनें, कापीइंग लेथ, ड्रम टरेट लेथ, मल्टी टूल आटोमेटिक लेथ, हारीजान्टल बोरिंग मशीनें, प्रेस और प्रेस ब्रेक, हैवी ड्यूटी सेन्टर लेथ,-एल 45, चकरस् सिलिंड्रीकल ग्राइन्डिग मशीनें-जी-9, टूल ग्राइडिंग और लेपिंग मशीनें जीटी कालम् ड्रिलिंग मशीनें, टरेट रैम मिर्नसिंग मशीनें-एम० ।-टी०आर०,प्राडक्शन मिलिंग मशीनें-एफ० एन०-2, विद्युत नियंत्रित मिलिंग मशीनें-ई०-2, सेन्टर लेथ्-एल०टी०20 तथा गियर टूथ राउन्डिग मशीनें।

(ग) जी, हां।

मौलिन्स इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा मशीनों का उत्पादन और उनकी बिक्री

3349. **श्री ज्योतिमर्य बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में सिगरेट उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार की कितनी तथा कितने मूल्य की मशीनों का उत्पादन हुआ और गत तीन वर्षों में वर्ष-वार सिगरेट और तम्बाकू की मशीनों के लिए कितने मूल्य के फालतू पुर्जे बनाये गये;

(ख) मौलिन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिगरेट कम्पनियों को कितने मूल्य की मशीनरी बेची गई तथा उन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक सिगरेट निर्माता को गत तीन वर्षों में कितने मूल्य के फालतू पुर्जे दिये गये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) संगठित क्षेत्र में मै० मौलिन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही अकेला ऐसा एकक है जो सिगरेट मशीनों का निर्माण करता है। विगत तीन वर्षों में उनके द्वारा सिगरेट उद्योग के लिए उत्पादित विभिन्न प्रकार की मशीनों का मूल्य और मात्रा निम्न प्रकार है,

सिगरेट मशीनें	—	19	मूल्य लगभग 207.5 लाख रुपये।
पेकिंग मशीनें	—	11	
रेपिंग मशीनें	—	9	

विगत तीन वर्षों में इस एकक में सिगरेट मशीनों के फालतू पुर्जों के उत्पादन का वार्षिक मूल्य निम्न प्रकार रहाः—

1969	43.24 लाख रुपये
1970	24.49 लाख रुपये
1971	52.32 लाख रुपये

मेसर्स मौलिन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड तम्बाकू मशीनों के लिए फालतू पुर्जों का निर्माण नहीं करता है।

(ख) और (ग) : देशी मशीनों और फालतू पुर्जों की बिक्री के आंकड़े और गैर सरकारी भारतीय ग्राहकों के नाम जिनको ये बेचे गए हैं, सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

मौलिन्स (प्राइवेट) इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित मशीनरी का मूल्य

3350. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौलिन्स इंडिया (प्रा०) लिमिटेड द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की मशीन के वर्तमान मूल्य क्या हैं; और

(ख) भारत में अन्य कम्पनियों द्वारा तथा विदेशों में भी निर्मित उसी प्रकार की मशीनों के मूल्यों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मै० मौलिन्स इण्डिया द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मशीनों के वर्तमान मूल्य इस प्रकार हैं:—

स्टेंडर्ड उपकरणों के साथ	7.97 लाख रु०
एम० के० एस० एस० एम० लेकर्स	
एम० 2 डुप्ले पैकर्स इक्विमेंट	9.02 लाख रु०
डब्ल्यू० एम० 2 रेपर्स इक्विपमेंट	2.69 लाख रु०

(ख) मै० मौलिन्स इण्डिया ही संगठित क्षेत्र में एक मात्र निर्माता हैं जो देश में सिगरेट की मशीनें बना रहे हैं। विदेशों में इसी तरह की मशीनों के वर्तमान मूल्यों के बारे में सरकार को बिल्कुल ठीक ठीक मालूम नहीं हैं, यह बताया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबिले स्थानीय मूल्य अधिक हैं।

बहरामपुर, उड़ीसा में रेडियो स्टेशन

3351. **श्री डी० के० पंडा:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के गंजम जिले के बहरामपुर के विभिन्न संगठनों और जनता से बहरामपुर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नदिन्नी सत्पथी) : (क) जी, हां।

(ख) कटक केन्द्र के प्रसारण बहरामपुर जिले में अच्छी तरह सुने जाते हैं और कटक के वर्तमान ट्रांसमिटर की शक्ति बढ़ जाने पर सेवा में और सुधार होगा। फिलहाल, बहरामपुर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए विधान

3352. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए निकट भविष्य में कतिपय विधान बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : अवैध गतिविधियाँ (निरोध) अधिनियम, 1967 के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार विचार कर रही है ताकि किसी ऐसी संस्था को भी इसकी सीमा में लाए जिसकी अपने लक्ष्य के लिए कोई ऐसी गतिविधि है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के अन्तर्गत दण्डनीय है, अथवा जो लोगों को किसी ऐसी गतिविधियों को करने के लिए प्रोत्साहित अथवा उनकी सहायता करती है अथवा जिसके सदस्य किसी ऐसी गतिविधियों को करते हैं।

Confirmation of Central Government Employees

3353. **Dr. Govind Das Richhariya** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of employees and officers of all categories in various Ministries and Attached Offices of the Central Government who have been working against permanent posts for more than three years, but have not been confirmed;

(b) the action being taken by Government to expedite these cases; and

(c) whether Government propose to issue directives in future to confirm employees/officers in time, who are eligible for confirmation, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) : The requisite information is not readily available. However, as on 31st December, 1969, the Number of employees (including employees of the Union Territories) who had put in a service of 5 years or more but who had not been confirmed was 4,95,774 as against 17,07,469 permanent employees.

(b) & (c) : Delay in confirmation of an officer is either due to non-availability of a permanent post, or due to unfitness (for confirmation) of the officer concerned or due to his being found medically unfit for permanent appointment. Some times the delay in confirmation of temporary employees is due to the time taken by the administrative Ministry to convert, into permanent, the temporary posts held by these officers, according to the criteria prescribed by the Ministry of Finance. Even where the temporary posts have been converted into permanent some time might be taken in calling the meeting of the Departmental Promotion Committee to consider the fitness or otherwise of the employees concerned for confirmation. With a view to avoiding delays in confirmatin of the officers against posts so converted, orders have already been issud on 28th October, 1969 to administrative Ministries inviting their attention to the various orders issued by the Ministry of Finance for conversion of temporary posts into permanent and requesting them to confirm the eligible temporary employees against the posts so converted into permanent ones. Attention of the Ministries was again invited in May, 1971 and in November, 1971 to the orders of 29th october,1969 mentioned above. Ministries were told that urgent action should

be taken to ensure that no temporary posts which qualify for conversion into permanent ones, as per the criteria prescribed by the Ministry of Finance, are continued as temporary in or under the Ministry/Department and that all posts so converted into permanent ones are utilised immediately thereafter for confirmation of eligible employees.

चीनी बनाने की मशीन के निर्माताओं द्वारा मशीन की सप्लाई

3354. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी बनाने की मशीन के निर्माताओं में से उन के नाम क्या हैं जो चीनी बनाने के सम्पूर्ण संयंत्रों की सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक निर्माताओं द्वारा सप्लाई किये गये चीनी बनाने के संयंत्रों के नाम क्या हैं तथा संयंत्र की क्षमता कितनी है और निर्माताओं के पास कितने क्रयादेश अनिर्णीत पड़े है; और

(ग) निर्माताओं द्वारा सप्लाई किये गये चीनी बनाने के संपूर्ण संयंत्र की लागत क्या है और सप्लाई किये जाने वाले चीनी बनाने के सम्पूर्ण संयंत्र के लिए प्रत्येक क्रयादेश कितने मूल्य के हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क)

1. मैसर्स बालचन्दनगर इन्डस्ट्रीज लि०, बम्बई।
2. मैसर्स बुकाऊ वल्फ न्यू इण्डिया इंजीनियरिंग वर्क्स लि० पूना।
3. मैसर्स बिन्नी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, मद्रास।
4. मै० टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लि०, कलकत्ता।
5. मै० त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, नैनी, इलहाबाद।
6. मै० के० सी० पी० लिमिटेड, मद्रास, और
7. मै० इंडियन सुगर एण्ड जनरल इंजीनियरिंग कारपोरेशन, यमुनानगर, जिला-अम्बाला।

(ख) और (ग) :—सरकार के पास इसकी सूचना नहीं है।

चीनी बनाने के संयंत्रों के मूल्यों में वृद्धि

3355. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी बनाने के सम्पूर्ण संयंत्रों के मूल्यों के बढ़ने के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी बनाने के संयंत्रों की संख्या तथा उनका मूल्य

3356. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) गत तीन वर्षों में चीनी बनाने के कितने संयंत्र बनाए गए थे तथा वे कितने मूल्य के थे; और

(ख) विभिन्न निर्माताओं ने उक्त अवधि में चीनी बनाने के कितने संयंत्रों का निर्यात किया तथा वे कितने मूल्य के थे ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विशेष रूप से दिये गये आदेशों पर मशीन निर्माताओं द्वारा समूचे चीनी मिल संयंत्र व फालतू पुर्जे बनाये जा रहे हैं। विगत तीन वर्षों में बनी चीनी मिल मशीनों का मूल्य नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	मूल्य (रुपये-दस लाख में)
1969	124
1970	146
1971	164

(ख) नियतिकों द्वारा निर्यात की गई चीनी मिल मशीनों की अलग-अलग संख्या उपलब्ध नहीं है। गत तीन वर्षों में निर्यात की गई चीनी मिल मशीनों का कुल मूल्य नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	मूल्य (रुपये-दस लाख में)
1969-70	2.941
1970-71	1.766
1971-72 (अप्रैल से नवम्बर 1971 तक)	7.620

Cases of Human Sacrifice in the Country

3357. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there has been alarming increase in incients of human sacrifices in the various parts of the country in the recent past;

(b) if so, the number of such cases throughout the country which have come to the notice of Government during the period from 1st January, 1969 todate; and

(c) the effective steps proposed to be taken by Government to prevent the recurrence of such cases ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) : As was stated in answer to the Lok-

Sabha unstarred question No. 489 dated 17th Nomvember, 1971, there were four cases of alleged human sacrifices in the country in 1969 and four in 1970. Since then Government have received information from the State Governments only in regard to one such incident, which took place on the 2nd April, 1972 at Dinanagar in district Gurdaspur, Panjab. A four year old boy was sacrificed by his father and other relatives. A case under section 302, I. P. C. has been registered and is being investigated according to law. Four accused persons have been arrested· It is being ascertained from the State Government whether any other such cases have taken place in 1971 or 1972,

(c) : Such cases are dealt with according to law. The State Governments have been advised to ensure prompt investigation of such cases under senior police officers so that the persons responsible for such heinous crimes are speedily brought to book.

1961 से 1971 तक केन्द्रीय सूचना विभाग के ग्रेड चार में भर्ती

3358. **श्री शशि भूषण** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड चार के पदों के लिए 1961 से 1971 तक कुल कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं;

(ख) तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे इन कर्मचारियों में से कुल कितने व्यक्तियों को इस अवधि में नियमित किया गया है तथा अन्य कर्मचारियों को नियमित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड चार के पदों के लिए तदर्थ नियुक्तियां करने के लिए क्या मापदंड अपनाया गया है; और

(घ) क्या सिद्धान्ततः यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड चार के पदों के लिए भविष्य में तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 196.

(ख) (1) उन व्यक्तियों की संख्या जिनको बाद में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर चयन कर नियमित किया गया ······69

(2) उन व्यक्तियों की संख्या जो अब नौकरी पर नहीं है ······45

(3) उन व्यक्तियों की संख्या जो ग्रेड-4 के ड्यूटी पदों पर अभी भी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं ······82

इन अधिकारियों को सेवा में नियमित आधार पर जारी रखने के प्रश्न पर केन्द्रीय सूचना सेवा के पुनर्गठन के प्रस्तावों के अंग के रूप में विचार किया जायेगा।

(ग) ग्रेड-4 के पदों पर तदर्थ भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें ये हैं:—

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री।

(2) हिन्दी तथा/या किसी एक प्रादेशिक भाषा का ज्ञान ।

(3) आयु सीमा—21 से 25 वर्ष तक।

(घ) जब तक अत्यन्त आवश्यक न हो, ग्रेड-4 के पदों पर आगे कोई तदर्थ नियुक्ति कराने का प्रस्ताव नहीं है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अहमदाबाद में कपड़ा मिलों को बन्द करने का समाचार

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं विदेश व्यापार मंत्रालय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"अहमदाबाद में कपड़ा मिलों को बन्द कर दिये जाने के समाचार"

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

अध्यक्ष महोदय,

गुजरात विद्युत बोर्ड ने 23 मार्च, 1972 से वस्त्र उद्योग सहित हाई टेंशन तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली में 25%कटौती की घोषणा की थी और इस कटौती से अहमदाबाद के बाहर की सभी वस्त्र मिलों पर प्रभाव पड़ा था । अहमदाबाद विद्युत कंपनी ने, जो शहर की मिलों को बिजली सप्लाई करती है, 31 मार्च, 1972 से 5% कटौती की घोषणा की थी ।

2. इन कटौतियों के कारण ये हैं:—

(क) गुजरात विद्युत बोर्ड के धुवरन थर्मल पावर स्टेशन के कुछ टर्बाइन खराब हो गये थे, जिससे उस स्टेशन पर कुप्रभाव पड़ा था;

(ख) तारापुर आणविक शक्ति केन्द्र के रियेक्टर के खराब हो जाने से मार्च के अन्तिम सप्ताह में वहां से पावर की सप्लाई पूरी तरह से कट गई थी ।

3. आशा है कि मई, 1972 के अन्त तक धुवरन थर्मल पावर स्टेशन और तारापुर आणविक शक्ति केन्द्र से पावर की सप्लाई की स्थिति सुधर जायेगी । 13 अप्रैल, 1972 से गुजरात विद्युत बोर्ड ने इस बीच कटौती की मात्रा को 25% से घटाकर 16% कर दिया है; अहमदाबाद विद्युत कंपनी ने कटौती की मात्रा 5% से बढ़ाकर 16% कर दी है, ताकि पावर की सप्लाई एक समान हो सके । पावर की इस कटौती के परिणामस्वरूप अहमदाबाद शहर की मिलों के लगभग 12 हजार कर्मचारियों की अस्थायी रूप से छंटनी कर दी गई है ।

4. मिलों के सुचारु रूप से चलने पर कोई कुप्रभाव डाले बिना 16% की इस कटौती को क्रियान्वित करने की दृष्टि से गुजरात सरकार ने अलग-अलग समय पर काम करने की प्रणाली निकाली है । राज्य की सारी मिलों को 7 समूहों में विभाजित किया गया है । प्रत्येक समूह में 9

से लेकर 10 तक मिलें हैं और प्रत्येक समूह सप्ताह में एक दिन बन्द रहता है जिस दिन उस समूह को काम नहीं करना होगा उस दिन उसे बिजली की सप्लाई नहीं की जायेगी। कंपनी को कोयले की सप्लाई में विलम्ब के कारण 15 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से अहमदाबाद शहर में पावर की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप अलग अलग समय पर काम करने की व्यवस्था के अनुसार उस दिन जो 10 मिलें काम नहीं कर रही थी, उनके अलावा 52 मिलें बंद हो गई और लगभग 2 लाख कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा। गुजरात सरकार ने इस स्थिति को गंभीरतापूर्वक लिया और कोयले की शीघ्र सप्लाई का प्रबंध किया तथा 13 अप्रैल को जितनी कटौती की गई थी, उस स्तर तक 15 अप्रैल, की रात के बारह बजे तक पावर की सप्लाई फिर से की जाने लगी।

श्री धामनकर : पावर की सप्लाई पूरी तरह से बन्द होने के कारण 15 अप्रैल को जो 10 मिलें काम नहीं कर रही थीं, उनके अतिरिक्त 52 मिलें और बंद हो गयीं। जिसके फलस्वरूप 2 लाख कर्मचारियों को मजदूरी की हानि सहनी पड़ी। यह संकट ऐसा नहीं था जिसकी शंका नहीं थी। यदि समय पर कार्यवाही की जाती तो यह संकट टाला जा सकता था, यह सब कोयले की कम सप्लाई के कारण हुआ है।

इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, अहमदाबाद का प्रबन्ध भी ठीक नहीं है। इसका सारा प्रबन्ध अध्यक्ष ही चला रहा है।

कर्मचारियों को उस दिन 10 लाख रुपये की हानि हुई। इस हानि को कौन पूरा करेगा ? क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि इन सब बातों के लिये कौन जिम्मेवार है ?

श्री ए० सी० जार्ज : वर्तमान नियमों को ध्यान में रखते हुऐ हम बिजली कम्पनी को अपने हाथ में नहीं ले सकते। माननीय सदस्य इस प्रश्न को गुजरात सरकार के ध्यान में लायें। यह ठीक है कि यह सारा संकट कोयले की कमी के कारण पैदा हुआ। हमारी जानकारी के अनुसार बिजली कम्पनी ने कोयले की कमी के बारे में रेलवे मंत्रालय अथवा गुजरात सरकार अथवा भारत सरकार को सूचित नहीं किया।

श्री डी. डी. देसाई (कैरा) : रेलवे के पास 75 लाख रुपये रेलवे वैगनों के लिये जमा पड़े हैं लेकिन अभी तक वैगन उपलब्ध नहीं हुए।

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : यद्यपि यह सिद्ध हो चुका है कि कोयले की कमी थी और अहमदाबाद बिजली कम्पनी बिजली पैदा नहीं कर सकी। लेकिन फिर भी मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इन बातों का जिक्र नहीं किया है।

इस आरोप का रेलवे ने जो उत्तर दिया है, उसके सम्बन्ध में मैं एक समाचार की कतरन दिखला सकता हूं जिसमें रेलवे ने अहमदाबाद विद्युत सप्लाई कम्पनी को दोषी बताया है। जब 4,50,000 मीट्रिक टन कोयला कम्पनी को दिया गया तब कमी कहाँ हुई। अतः यह कहना सही नहीं है कि कोयले की कमी के कारण बिजली की सप्लाई में कमी हुई।

फिर मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह भी पता नहीं चलता कि गुजरात बिजली बोर्ड ने बिजली की सप्लाई बन्द अथवा कम कर दी थी, इस कारण कम्पनी ने बिजली की सप्लाई में कटौती कर

दी। सारा दोष कम्पनी का ही है। और अधिकारियों ने सरकार को अहमदाबाद विद्युत कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करने को कहा है क्योंकि इसके प्रबंध में कुछ खराबी है जिसके कारण पिछले दिनों 51 कपड़ा मिलें बंद पड़ी रहीं। इस सम्बंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है? इसके प्रति सरकार उदासीन क्यों है? क्या सरकार इस कम्पनी से उन मजदूरों और कर्मचारियों को हुई हानि को पूरा करने को कहेगी जिन्हें बिजली की सप्लाई बंद होने से प्रतिदिन 10 लाख रुपये की हानि हुई?

पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था। क्या सरकार उसे इस प्रकार करने देगी? इस संबंध में सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है।

श्री ए० सी० जार्ज : चाहे कोई भी गलती पर हो, पर यह सच है कि कुछ दिनों तक 2 लाख कर्मचारी बेकार रहे और उन्हें वेतन के रूप से लाखों रुपये की हानि हुई, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संपति और राजस्व की भी हानि हुई। पर वास्तविकता यह है कि यह सब भारत सरकार की जानकारी में देरी से लाया गया। हमारी जानकारी में आते ही हमने इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की और 12 घन्टे के अन्दर 1300 मीट्रिक टन कोयला तत्काल भेजा गया और उससे अगले दो दिनों में 1500 और 1300 मीट्रिक टन।

हमें ही नहीं गुजरात सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इसके लिए कोई न कोई अवश्य जिम्मेदार है। इससे मैं बचना नहीं चाहता पर कंपनी को हाथ में लेना सरकार के क्षेत्र में नहीं है (अंतर्बाधाएं) यह गुजरात सरकार ही कर सकती है। पर है यह बड़ी ही गम्भीर बात।

श्री हरीसिंह (खुर्जा) : टर्बाइन और रिएक्टर के टूटने संबंधी दो कारण इस घटना के दिये गये हैं पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये बहुत मजबूत होते हैं और टूट नहीं सकते। दूसरे यह 200 मेगावाट के बजाय केवल 50 से 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता है। तो क्या बिजली कपड़ा मिलों के बजाय किसी अन्य काम के लिए भी सप्लाई की जाती है।

श्री ए० सी० जार्ज : जैसा कि मैंने बताया है कि इस गड़बड़ी का कारण दो टर्बाइनों का खराब होना और तारापुर जनित्र में कुछ खराबी का होना था। मैसूर महाराष्ट्र को कुछ बिजली देने को राजी हो गया है और उसमें से 50 प्रतिशत गुजरात को दिया जायेगा। इस प्रकार कुछ तात्कालिक उपाय किये जा रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या छठी वार्षिक विद्युत शक्ति सर्वेक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि यदि 1973-74 तक 260 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन नहीं किया जाता, तो इस प्रकार मिलों आदि का बन्द होना होता रहेगा? क्या कोयले और तेल की सप्लाई में कमी होने के कारण अहमदाबाद विद्युत कम्पनी ने कपड़ा मिलों को बिजली देना बन्द कर दिया था और क्या उसने इस कमी की सूचना देने में देरी की? क्या वह कठिनाई का पूर्वानुमान लगाने में असफल रहे।

क्योंकि कोयले को गुजरात जैसे दूरस्थ इलाकों में भेजने में कठिनाई होती है, क्या यह सम्भव नहीं है कि अच्छे ग्रेड का कोयला ही दूरी के इलाकों को भेजा जाये तथा घटिया कोयले का उपयोग स्थानीय उपयोग में लाया जाये। तथा वहां बिजली का उत्पादन कर अहमदाबाद आदि जगहों को भेजी जाये। इसके लिए क्या सरकार विभिन्न राज्यों की विद्युत प्रणाली का समन्वय करेगी।

क्या सरकार इस समस्या का समाधान एक योजना बद्ध ढंग से करेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोयले की कमी की सूचना हमें बड़ी देरी से दी गई। रेलवे ने बड़ी ही तेजी से कार्रवाई की है। विभिन्न ग्रेड के कोयले की सप्लाई, एक राष्ट्रीय विद्युत नीति आदि सम्बन्धी सुझाव सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिये जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय टेलीग्राफ (पन्द्रहवां संशोधन नियम)

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं।

(1) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय टेलीग्राफ (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 नवम्बर, 1971, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1727 प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.** 1797/72]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृहमंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ. एच. मोहसिन) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :—

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी एस० आर० 1788 ख में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1788 ग में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेना (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 386 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 387 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन अविनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 1 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 388 में प्रकाशित हुए थे।

(छ:) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन अधिकारियों की अन्तिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 1 अप्रैल, 1972, में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 389 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अखिल भारतीय सेवाऐं (चिकित्सीय परिचर्या) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 8 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 419 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 8 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी एस० आर० 425 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का वर्ष 1972 का चौथा संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 8 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 426 में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त मद (एक) और (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1798/72]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

Committee on Private Members Bills and Resolutions Committee

बारहवां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बारहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं पूर्ति मंत्रालय के संबन्ध में भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल) के बारे में लोक लेखा समिति का 38 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

भारत-बंगला देश दूर-संचार करार के बारे में वक्तव्य
Statement re: Indo-Bangla Desh Telecommunications Agreement

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : संभवतः इस सदन के सदस्यगण पहले से ही जानते हैं कि बंगलादेश के जन्म के तत्काल बाद भारत और बंगलादेश के बीच दूरसंचार सेवाएँ स्थापित कर दी गई थीं । दूर-संचार सेवाएं सिर्फ भारत और बंगलादेश के बीच ही चालू नहीं की गई बल्कि भारत के जरिए बंगलादेश और अन्य देशों के बीच भी ये सेवाएं दी जाने लगीं । शुरू में अस्थायी तौर पर अर्थात् दोनों देशों में पक्का अनुबंध होने तक तार और टेलीफोन कालों की सेवाएं उन्हीं शर्तों पर दी गई जिन पर भारत और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के बीच ये सेवाएं दी जाती थीं ।

इसके साथ ही दोनों देशों के दूर-संचार प्रशासनों ने आपस में एक उपयुक्त अनुबंध करने के लिए बातचीत शुरू की जिसमें दोनों देशों के बीच सामूहिक हित के अनुकूल दूर-संचार यातायात संबंधी नई शर्तें हों । मुझे यह कहने हुए प्रसन्नता हो रही है कि ऐसी बातचीत के फलस्वरूप भारत और बंगलादेश के बीच दूर-संचार सेवाओं के बारे में दोनों देशों में पूर्ण मतैक्य हुआ और ढाका में तारीख 27 मार्च, 1972 को एक दूर-संचार अनुबंध भारत सरकार की तरफ से श्री एन० वी० शैणाय, सचिव (संचार) और बंगलादेश की तरफ से श्री लुक़मान हुसैन, महानिदेशक, तार और टेलीफोन ढाका ने हस्ताक्षर किए ।

इस नए अनुबंध की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

तार :

प्रेस तारों के अलावा भारत के किसी स्थान में बंगलादेश के किसी स्थान को भेजे जाने वाले साधारण श्रेणी के तार पर 8 शब्द या उससे कम के लिए 2 रुपये 40 पैसे और प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए 20 पैसे चार्ज होगा । यदि तार एक्सप्रेस हो तो उसका चार्ज इस दर का दुगुना होगा ।

साधारण श्रेणी के प्रेस तारों में तदनुरूप दर पहले 50 शब्दों के लिए 1 रुपया 75 पैसे और प्रति 5 अतिरिक्त शब्द के लिए 20 पैसे होगी । एक्सप्रेस तारों की दर इसकी दुगुनी होगी ।

टेलीफोन :

टेलीफोन शुल्क निर्धारित करने के लिए भारत को दो अंचलों में बांटा गया है । प्रथम

अंचल में अरुणांचल, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा के राज्य तथा द्वितीय अंचल में शेष भारत को रखा गया है। भारत के प्रथम अंचल और बंगलादेश के बीच की जाने वाली किसी टेलीफोन काल पर तीन मिनट या उससे कम समय के लिए 6 रुपये और इसके बाद प्रति मिनट के लिए 2 रुपये चार्ज होगा। भारत के द्वितीय अंचल और बंगलादेश के बीच की जाने वाली टेलीफोन कालों पर तदनुरूप दर क्रमशः 15 रुपये और 5 रुपये होगी।

लेखा :

दोनों देशों के बीच आने-जाने वाले तारों और भारत के प्रथम अंचल और बंगलादेश के बीच होने वाली टेलीफोन कालों से प्राप्त रकम का कोई हिसाब नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक देश इनसे प्राप्त रकम अपने पास रख लेगा। भारत के द्वितीय अंचल और बंगलादेश के बीच होने वाली टेलीफोन कालों से होने वाली कुल आय 4 : 1 के अनुपात में भारत और बंगलादेश के बीच बांटी जाएगी।

भारत के मार्ग से होकर जाने वाला यातायात : भारत के मार्ग से होकर बंगलादेश और अन्य देशों के बीच की जाने वाली दूर-संचार सेवाओं के लिए उन देशों की वसूली की उचित दरें और भारत के ट्रांजिट शेयर सभी सम्बन्धित पक्षों के बीच आपसी बातचीत से तै किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो दूसरे मामलों के लिए अपनाई जा रही मान्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप होगी। जब तक ऐसी बातचीत पूरी न हो जाय तब तक के लिए इस अनुबन्ध में यह प्रावधान रखा गया है कि भारत जिन देशों को और जिन देशों से ऐसी सेवा देगी उनके साथ उसकी जो लेखा-प्रतिक्रिया चल रही है उसमें बिना परिवर्तन किये ऐसी सेवा देगा।

टेलेक्स :

भारत और बंगलादेश तथा भारत के जरिए बंगलादेश और अन्य देशों के बीच टेलेक्स सेवा देने के बारे में भी वार्ता चल रही है। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही दोनों देशों के बीच एक अनुबन्ध होने की संभावना है, जिसकी शर्तें मोटे तौर पर यही होंगी जो टेलीफोन-सेवा के लिए हैं।

नया अनुबन्ध तारीख 1 अप्रैल, 1972 से लागू हो गया है।

वित्तीय समितियों के लिये निर्वाचनों की तिथि में परिवर्तन करने के बारे में वक्तव्य

Statement re. Change of dates for Elections to Financial Committee

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : लोक-सभा की वित्तीय समितियों के उम्मीदवारों के नामांकन, नाम वापस लेने तथा चुनाव के लिये जो तिथियां निर्धारित की गई हैं उनका किन्हीं आवश्यक कारणों से समय बढ़ाया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : आप कौन-सी तिथियां निर्धारित करना चाहते हैं।

श्री राज बहादुर : मेरा प्रस्ताव है कि समय बढ़ाया जाना चाहिये। हम आपस में उसे तय कर लेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): कार्य मंत्रणा समिति की एक आपात बैठक बुलाई जानी चाहिये थी ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । यह आपसी बात-चीत का मामला है। प्रस्ताव यह है कि अध्यक्ष को पुनरीक्षित तिथि निर्धारित करने का अधिकार दिया जाये । मैं समझता हूं कि आप सब इस बात से सहमत हैं ।

माननीय सदस्य : जी, हाँ ।

मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिये समय के आवंटन के बारे में

Re . Allotment of time for Discussion on Demands for Grants of Ministries.

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस बात को देखते हुए कि माननीय सदस्य कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिये बहुत उत्सुक हैं तथा आप कार्य मंत्रणा समिति द्वारा रखे गए समय को ही रखना चाहते हैं, तो भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस विशेष मामले में दो घंटे का समय बढ़ाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि संचार मंत्री महोदय ने अधिक समय ले लिया है, मैंने सोचा कि वह मध्याह्न भोजन से पूर्व समाप्त कर देंगे ।

जब माननीय सदस्य किसी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलते हैं, तो वे बहुत समय ले लेते हैं। यह स्वस्थ प्रथा नहीं है।

मंत्री महोदय ने समय बढ़ाने का सुझाव दिया है परन्तु यह भविष्य में एक नियमित प्रथा नहीं होनी चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) गृह मंत्रालय की अनुदानों से माँगों पर चर्चा कब होगी ।

श्री राज बहादुर : गृह मंत्रालय की मांगों पर कल चर्चा की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं।

केन्द्रीय विक्रयकर (संशोधन) विधेयक

CENTRAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति में सदस्य की नियुक्ति

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति में श्री एम० मुहम्मद इस्माइल की मृत्यु के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री मुहम्मद शरीफ को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति में श्री एम मुहम्मद इस्माइल की मृत्यु के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री मुहम्मद शरीफ को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एस. एम. बनर्जी (कानपुर) : अब जब कृषि मंत्रालय की माँगों पर समय बढ़ा दिया गया है, तो हमें अधिक समय मिलना चाहिये ताकि हमारे दल से एक और सदस्य को बोलने का अवसर मिल सकें।

अध्यक्ष महोदय : बढ़ाये गये समय के अनुसार हम विभिन्न विरोधी दलों को समय के आवंटन को पुनरीक्षित करेंगे।

अनुदानों की माँगे, 1972-73—जारी

Demands for grants 1972-73—Contd.

कृषि मंत्रालय—जारी

***श्रीमती वी. जयलक्ष्मी (शिवकाशी)** : कृषि के सम्बन्ध में विकास योजनाओं के लिये निर्धारित धन पूरी तरह से खर्च नहीं किया गया है और कम से कम अगले वर्ष माँगों में इतनी बड़ी बचत नहीं होनी चाहिए।

मांग संख्या 25-कृषि के अन्तर्गत 1971-72 में 77.11 लाख रुपये की बचत है। वर्ष 1971-72 में माँग संख्या के अर्न्तगत 1.02 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये गए हैं। ऐसा ही अन्य मांगों के अर्न्तगत किया गया है।

माँग संख्या 25 के अन्तर्गत बचत का यह कारण बताया गया है कि कुछ पशु जनन फार्म विलम्ब से आरंभ किए गए तथा कृषि-आर्थिक अनुसंधान के क्षेत्रीय केन्द्रों में खाली पदों पर नियुक्तियाँ नहीं की गईं।

माँग संख्या 28 के अन्तर्गत कम व्यय किये जाने के लिए कुछ बहाने बनाए गए हैं। क्या उन बहानों को यह सभा स्वीकार करेगी ?

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

माँग संख्या 28 के अन्तर्गत कम खर्च का दूसरा कारण यह बताया गया है कि खाली पदों में नियुक्तियां नहीं की गयी थी ।

माँग संख्या 30 के अन्तर्गत बचत का यह कारण बताया गया है कि सामुदायिक तथा पंचायती राज के कार्यकरण की जाँच करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की स्थापना नहीं की गई । इसकी स्थापना करने में सरकार को क्या-क्या बाधाएं हुई ?

यदि आज चौथी योजना में कृषि क्षेत्र का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है तो इसका श्रेय किसानों को दिया जाना चाहिये जिन्होंने कठिन परिश्रम किया है । इस बात को भी माना जाना चाहिए कि कृषि विकास के लिए जो भी धन निर्धारित किया जाये, उसे पूरी तरह से व्यय किया जाना चाहिए और भविष्य में किसी कमी के लिये कोई बहाना नहीं बनाया जाना चाहिये ।

इस बात की आशा की गई है कि चौथी योजना के अन्त तक लगभग 4000 करोड़ रुपये वार्षिक के धान का चावल बनाया जाना है, परन्तु चावल मिलें पुरानी होने के कारण प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपये का धान नष्ट हो जाता है । गत सात वर्षों में भारतीय खाद्य निगम ने *13* आधुनिक चावल मिलों की स्थापना की है । जब तक सारे देश में पर्याप्त संख्या में आधुनिक चावल मिलें स्थापित नही होंगी, तब तक खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?

कृषि विपणन सहकारी समितियों को विकसित करने के लिये एक करोड़ रुपये की राशि नियत की गई थी । साथ ही भारतीय खाद्य निगम कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है ।

उदाहरण के लिये गत चार पाँच वर्षों से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उर्वरक बिना बेचा हुआ पड़ा है । आँध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के गोदाम में 2200 मीटरिक टन यूरिया तथा सी. एन. ए. बिना बेचा हुआ पड़ा है । यूरिया का कुछ समय बाद पानी बन जाता है । 3 लाख रुपये का उर्वरक नष्ट हो गया है परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्रता से कोई कार्यवाही करने में क्या संकोच है ।

मंत्री महोदय ने यह कहा था कि टेन्डर मंजूर करने में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाती है । जब तीन-चार महीने बाद उन्हें कहा जाये कि उनके टेन्डर मंजूर नहीं किये गए हैं, तो उन्हें संदेह होता है । अतः टेंडर के मामले में स्पष्ट नीति होनी चाहिये ।

जब गोदामों में सड़े हुए अनाज की नीलामी होती है तो व्यापारी लोग उसे खरीद कर अच्छे अनाज में मिला देते हैं । क्या इससे अपमिश्रण को प्रोत्साहन नहीं मिलता ? हमें ऐसे सड़े हुए अनाज की नीलामी क्यों करनी चाहिये ? उस अनाज को पशु-चारे अथवा चूजों के दानों के रूप में बदला जाना चाहिये तथा इसे ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त बांट दिया जाना चाहिये।

रिजर्व बैंक किसानों को दिये जाने वाले ऋणों पर केवल $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज लेता है परन्तु किसानों को ऋण मिलने तक ब्याज की दर सवा नौ प्रतिशत तक पहुँच जाती है। इसका कारण यह है कि यह ऋण राज्य सरकार केन्द्रीय बैंक, जिला बैंक तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण समितियों के माध्यम से दिये जाते हैं। इन सभी संगठनों के ऊपर के खर्च से ब्याज की दर सवा नौ प्रतिशत हो जाती है। अतः कृषि ऋण सम्बन्धी सभी संस्थाओं को रिजर्व बैंक के सीधे नियंत्रण में लाया जाना चाहिये।

राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार कृषि आय पर कर लगाने के बारे में सोच रही हैं। देश में सब राज्यों में कृषि आम पर कर लगाने का समान स्तर होना चाहिये और कर भूमि के क्षेत्रफल पर नहीं लगाया जाना चाहिये बल्कि भूमि से होने वाली आय पर कर लगाया जाना चाहिये।

अहमदाबाद में हाल में हुई हुई एक गोष्टी में योजना मंत्री ने कहा था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वर्ष पश्चात भी हमारी 80 प्रतिशत जनसंख्या खेती करने वाले काश्तकारों को भूमि की सुरक्षा अथवा भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। इन लोगों को संरक्षण और सुरक्षा देने के लिये केन्द्र को व्यापक विधान लाना चाहिये।

केन्द्र को एक चावल मिल निगम की स्थापना करनी चाहिये ताकि समूचे देश में शीघ्राति-शीघ्र आधुनिक चावल मिलों की स्थापना की जा सके।

किसानों के लाभार्थ फसल बीमा तथा पशु बीमा लागू किया जाना चाहिये।

केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय फसल बोर्ड का गठन किया जाना चाहिये जो बदल-बदल कर फसल उगाने की पद्धति के सम्बन्ध में कार्य करे ताकि यदि देश को सूखे का सामना करना पड़े, तो उन्हें कठिनाई न हो।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय कितना समय लेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं 40 मिनट लूंगा तथा मेरे सहयोगी मंत्री लगभग आधा घंटा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप दोनों एक घंटे में समाप्त करने का प्रयास करें।

कांग्रेस (वि.)—12 मिनट, स्वतंत्र—6 मिनट, समाजवादी दल—5 मिनट, असम्बद्ध सदस्य 12 मिनट लेंगे। उन्हें सामान्य समय से $1\frac{1}{2}$ मिनट अधिक दिया गया है।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua) : There is much talk of "Green Revolution these days. If that revolution is to succeed, it is very necessary that ownership of land is given to the actual tiller. To-day what is happening is that a few big landlords are possessing all land and the landless people are not getting any land . Therefore, land must be given to the landless people. So far as the question of ceiling of land is concerned, if the legislations are going to be enacted in that regard, it is neessary to constitute a committee in each State on

Block Development level to see that the surplus land is properly distributed. A lot of money is being allocated on agriculture but a large part of that money is misappropriated by the officials. There should be a Committee to see that the money given for agriculture is spent properly.

The fertilizers are either not available or they are available at very high prices. Apart from that, there is transport difficutly also.

Similarly, the insecticides are not available to farmers at the time they need. If godowns are constructed in the interior of rural areas where fertilizers and insecticides can be stored, the farmers will get benefit.

As regards the co-operative movement, it is our experience that too much politics has crept into it and there is corruption. The money given by the Centre to the State Government is being misused by the midlemen and does not reach the people for whom it is meant. In Madhya Pradesh a Tribal Development Corporation was set-up and the Central Government gave crores of rupees to that corporation but that is running in loss to the tune of crores of rupees.

There should be a modern agricultural farm in each development block from where the farmer can learn the modern methods of agriculture.

A tractor division should be set up in each district from where the small farmers can get tractors and other modern facilities for agriculture.

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बज कर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sbabha re-assembled after lunch at four minutes past Fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker *in the Chair*

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आंध्र प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा आंध्र बैंक में हड़ताल हो रही है जिसके कारण बैंक का सारा कार्य अस्त-व्यस्त हो गया है। क्या सरकार ने कुछ सिफारिशें की थीं जिनको प्रबन्धकों ने स्वीकार नहीं किया है ? क्या सभा में इस वारे में कुछ जानकारी दी जायेगी ?

श्री एस. एम. बनर्जी (कानपुर) : इसी महीने की 25 तारीख से जीवन बीमा निगम के 42,000 कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं। इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

श्री एस बी. गिरी (वारंगल) : मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि फैसला हो जायेगा

परन्तु दुर्भाग्यवश बैंक के प्रबन्धकों ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. आर. गणेश): इस प्रश्न की उचित सूचना दी जा। तो मैं जानकारी एकत्र करके सभा के समक्ष रखूंगा।

श्री मंत्री द्वारा तैयार किये गए सूत्र को आंध्र बैंक के प्रबन्धकों ने स्वीकार नहीं किया है। अतः हड़ताल जारी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस विषय पर मंत्री महोदय अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका सर्वोत्तम उपाय अल्प सूचना प्रश्न है तथा मंत्री महोदय ने इसका संकेत दे दिया है।

Shri Dalip Singh (Outer-Delhi) : The Ministry of Agriculture has endeavoured to provide irrigation facilities and high yielding varities of seeds. But even to-day there is vast land in varions parts of the country where irrigation facilities are needed. Water is the most important thing in agriculture. With the non-availability of water, improved varities of seeds are not going to help. I am grateful to the Hon. Minister for the steps he is taking in this regerd.

Some black marketeers have set up big agricultural farms arround Delhi and they are trying to have grapes from those for which the climate is not suitable here. Perhaps they are doing so in order to convert their black money into white.

Prices fixed recently by the Agriculture Price Commission are not remunerative to the farmers. It is not understood how these prices were arrived at. May I know whether all the members of Agricultural Price Commission are non-agriculturist or is there any farmer member included in it? Cost of agricultural production have gone high. The prices of fertilizers are soaring up and the articles of consumption, on the other hand, are going costlier day by day. Besides this, there are natural calamities which result in heavy losses to the yield. May I know the action Government propose to take regarding these natural calamities? I would like to say that in case the difficulties of the farmers are not realized and prices of agriculture products are not raised, the farmers would be compelled to devote themselves to other crops.

Ceiling of land holdings is a subject much talked about these days. I agree with ceiling of land holdings but it should be made economical. Along with the ceiling of land holdings there should be ceiling on urban property also. Since the scheme of the Government regarding ceiling on urban property has come to the public, rich people are busy in disposing of their buildings. The matter is hanging fire since long, it shonld be decided at the earliest. Amount of Rs. 5 lakhs regarding the ceiling of urban property should be reduced to Rs. 1 Lakh.

I would like to suggest that in every village government should try to organize certain limits and each unit should be provided with Tubewells, tractors, crushers etc. so that the farmers having small holdings may ulilise the service of these modern machines on hire and there children may save their time and devote it to their studies.

The Government is spending large amount on Pusa Institute. But the quality of research work there is almost ridiculous. The matter should be looked into.

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : Tax on agriculture is being impressed upon these days. I agree that there should be a provision of agriculture Tax. But such a provision should be applicable to those cases only where people own large farms and have devoted themselves to agriculture only to convert their black money into white. It sounds paradoxical that on oue hand 6 acres of land holdings in Uttar Prdesh are being exempted from revenue charges as this limit is considered unprofitable and on the other hand you want to impose certain other taxes on agriculture. The small farmers should not be taxed as they are aleeady hard hit.

The scheme regarding ceiling of land holdings should be intelligently and efficiently worked out. These holdings should not go small and unprofitable in future as a result of partition of the family so that revenue of the Government is not reduced and mechanized farming may be a success.

Along with the efforts to bring green revolution, it is also necessary that the attention is paid to the improvement of the breed of cattles. Government should take steps to increase the cattle wealth of the country. This would give not only more milk for our future generation but more dung mannure also which would increase our agricultural production.

Attention should also be paid towards irrigation facilities. Some of the areas in the country are devoid of irrigation facilities and in some areas though we have got Tubewells yet they are not functioning properly due to frequent power break downs. All these things should be looked into.

As regards canals, we have seen that nearby land of the banks is unfit for cultivation since it is flooded with water. On one hand people have to take troubles to get water from the canals and on the other, land is rendered uncultivable. This is a serious matter and the Government should arrange for the scientists to pay their attention to make this land cultivable. Secondly, canal water produces salt in agricultural fields which is in jurious to the yield. Efforts should be made to remove this difficulty.

Shri Krishan Chandra Pandey (Khalilabad) : The scheme is being prepared for the ceiling of land holdings. But we should know that the big land owners have already disposed of their lands in order to escape the provisions of the scheme. If the Government is sincere to implement lhis scheme they should take into cosideration the position of holdings as they stood 2-3 year ago. The scheme should be made effective with retrospective effect.

The Government should try to set up a crop insurance Corporation if they are really interested in the welfare of poor peasants and labourers.

In its Bombay meet, AICC decided to nationalize sugar mills of the country. The resolution was unanimously adopted. The sugar cane growers of Uttar Pradesh are not getting remunerative prices for the sugar cane. Sugar Mills of the country should be nationalized immediately.

The functioning of Agricultural Price Commission is not proper. It seems that the Commission has not consulted the farmers and other people before deciding the wheat

prices. I am grateful to the Government for the justice they have given to the farmers regarding the prices of wheat. The Agricultural Price Commission should not function in an arbitrary manner.

The main produce of the eastern region of U. P. is Paddy. An Agricultural University research work in respect of rice should be established so that better quality of paddy may be produced.

The Hon. Minister has said that the production of oil seeds should be augmented. But in Basti district soyabean is in surplus and there is no one to purchase it. On one hand we want more production and on the other, we allow agricultural produce to go waste.

Arrangements regarding flood control and providing maximum irrigation facilities should be made immediately if the government is really interested in welfare of the farmers and agriculture labour. A research institute should be set up in eastern region of Uttar Pradesh.

The Government should provide adequate money and other facilites for the implementation of crash programme. There should be more and more crash programmes wherever they are needed.

Tea, Coffee and Cardamon gardens have been exempted from the ceiling of land holdings. May I know as to why mango gardens have not been made an exemption in this regard. The Government should give equal treatment to all if they want to boost their socialstic programmes. Each farmer and each labourer of the country want to see that the socialistic programmes of the Government are implemented.

The Hon. Agriculture Minister has not paid his attention to the conditions of agricultural lubourers. The minimum wages of agricultural labourers should be fixed and the Government should pay their maximum attention towards the agriculturists of the country since we are an agricultural country.

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के आयुक्त के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें बताया गया है कि बहुत से राज्यों में जोतदार तथा बंटाईकर्ताओं, जो प्राय: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों में से हैं, के हितों की सुरक्षा के लिये कानूनी व्यवस्था न होने के कारण उन्हें तकनीकी विकासों का लाभ उठाये बिना ही भूमि से वंचित कर दिया जाता है। जिन राज्यों में कानूनी व्यवस्था उपलब्ध भी है उनमें भी जब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के जोतेदारों तथा बंटाई कर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिये विशेष उपाय नहीं किये जाते, क्योंकि उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति दुर्बल है, उन्हें कृषि श्रमिकों के स्तर पर ला दिया जाता है। मंत्री महोदय को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर ध्यान देना चाहिये। इन लोगों की सुरक्षा के लिये मंत्री महोदय कौन से कदम उठाना चाहते हैं ? हमारे राज्य में भूमि सुधार अधिनियम लागू हो जाने पर भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के बहुत से लोग अपनी भूमियों से वंचित कर दिये गये हैं।

गत वर्ष बंगलादेश के झगड़े के कारण बंगलादेश के सीमावर्ती क्षेत्र की बहुत सी भूमि खाली पड़ी रही। पहाड़ी क्षेत्रों में भी खाद्यान्नों की बहुत कमी थी। इस वर्ष खेती सम्बन्धी बहुत से कार्य बन्द पड़े हैं और उन क्षेत्रों में भुखमरी की स्थिति फैल रही है। मंत्री महोदय त्रिपुरा की स्थिति पर ध्यान दें अन्यथा निकट भविष्य में वहां विनाशकारी स्थिति हो जायेगी।

कृषि मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मंत्रालय की समस्याओं तथा खाद्य एवं कृषि सम्बन्धी समस्याओं के प्रति सदस्यों के सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने विभिन्न संस्थानों तथा कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम को देखने के लिये मंत्रालय द्वारा आयोजित पर्यटन कार्यों में भाग लिया है।

जनता के सहयोग से ही यह मंत्रालय प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भूमि सुधार, छोटे किसान तथा उत्पादन आदि सरकारी सभी नीतियों की प्रशंसा की गई है।

वर्ष 1971 भारतीय कृषि के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। देश के बहुत से लोग, देश के आलोचक तथा हम से सहानुभूति रखने वाले बाहरी देशों को, खाद्यान्नों के विषय में हम आत्मनिर्भर होने की आशा नहीं रखते थे। केवल बंगलादेश की स्वतंत्रता के कारण ही नहीं अपितु खाद्यान्नों के विषय में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेने के विषय में भी यह वर्ष देश के इतिहास में उल्लेखनीय रहेगा।

लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत में आ गये परन्तु खाद्यान्नों की सप्लाई में एक दिन के लिये भी बाधा उत्पन्न नहीं हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आलोचना की गयी है। मुझे भी उनकी कमियां ज्ञात हैं। इस विषय में सुधार करने के लिये सभी प्रयत्न किये जाने चाहियें। परन्तु भारतीय खाद्य निगम का कार्य सराहनीय रहा है। देश में बाढ़ आयी, यातायात का विघटन हुआ और प्रतिरक्षात्मक गतिविधियां बढ़ीं परन्तु खाद्यान्नों की सप्लाई के विघटन का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। इस कार्य के लिये खाद्य निगम की प्रशंसा की जानी चाहिये।

हमने देश को आश्वासन दिया था कि वर्ष 1971 तक खाद्यान्नों के मामले में हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे। आज वह आश्वासन पूरा हो चुका है और देश अब ख.द्यान्नों का कोई आयात नहीं कर रहा है। वास्तव में हम अब खाद्यानों को निर्यात करने की स्थिति में हैं। 20,25 वर्षों में हमने लगभग 10 करोड़ 10 लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया है। इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत बोझ पड़ा है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के लिये देश के वैज्ञानिक तथा किसान बधाई के पात्र हैं। जो लोग भी खेतों में कार्य करते हैं वे सब ही बधाई के पात्र हैं। भूमि जोतने वाले को उसकी उपयुक्त प्रतिष्ठा प्रदान करने का प्रयास किया गया है (व्यवधान)

श्री भट्टाचार्य ने कहा है कि संयुक्त मोर्चे की सरकार के कार्य-काल में भूमि सुधार पर बहुत अधिक कार्य किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने भूमि की अधिकतम सीमा अपने समय में क्यों निर्धारित नहीं की ? संयुक्त मोर्चे की सरकार ने गैर कानूनी रूप से भूमि अधिग्रहण को प्रोत्साहन दिया, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। जोतदारों को कृषि करने का वास्तविक

अधिकार दिया जाना चाहिये। संयुक्त मोर्चों की सरकार यह साधारण सा कानून भी नहीं बना सकी, भारत सरकार को ही यह करना पड़ा।

कहा गया है कि तमिलनाडु में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी जो कानून बनाया गया है वह एक आदर्श है। अन्य राज्यों को उसका अनुसरण करना चाहिये। इस नियम में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। तमिलनाडु सरकार को केरल तथा बंगाल की भाँति कानून बनाने चाहियें।

हमारा देश बहुत बड़ा देश है तथा कृषि प्रधान है। केन्द्र सरकार राज्यों को परामर्श दे सकती है परन्तु उसे कार्यरूप देना राज्य सरकारों का कार्य है। कृषि के सम्बन्ध में भारत सरकार की जो नीति रही है उसका किसी भी राज्य सरकार ने विरोध नहीं किया है। यही कारण है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। (व्यवधान)

यदि कृषि सम्बन्धीअर्थव्यवस्था के पुराने इतिहास को देखा जाये, तो प्रतीत होता है कि सूखा तथा बाढ़ों के कारण देश के कृषि उत्पादन को बहुत क्षति पहुँची है। गत वर्ष हमारी नीति का परीक्षण काल था। आँध्र प्रदेश सूखा से पीडित रहा। इतिहास से पता चलता है कि जिस वर्ष भी आँध्र में सूखा पड़ा है, चावल का उत्पादन बहुत कम हुआ परन्तु इस बार न तो अधिक चावल के उत्पादन में कमी आयी तथा न ही गेहूं के उत्पादन में दक्षिण प्रदेश सूखा ग्रस्त रहा तथा उत्तर में बाढ़ आयीं। इसके उपरान्त भी इस वर्ष भारी उत्पादन की आशा है। गत वर्ष 10 करोड़ 70, 80 लाख टन के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष का उत्पादन 11 करोड़ 20 लाख टन के निकट अवश्य ही होना चाहिये अन्यथा यह आश्चर्य की ही बात होगी।

कृषि क्षेत्र में नए नए तथा महत्वपूर्ण विकास हो रहे हैं। उदाहरण के लिए अब उन क्षेत्रों में भी चावल उगाया जाने लगा है जहां लोग चावल उगाना तक नहीं जानते थे। इस वर्ष 8 टन के लगभग चावल हमें पंजाब से प्राप्त हुआ और आज तक इतनी अधिक मात्रा में चावल किसी अन्य राज्य से केन्द्र को प्राप्त नहीं हुआ, जबकि पंजाब चावल उत्पादन करने वाला क्षेत्र नहीं है। हरयाणा और उत्तर प्रदेश में भी इस सम्बन्ध में प्रगति हो रही है। इस वर्ष मेरा मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से चावल उत्पादन के 50 प्रतिशत्त वृहद् कार्यक्रमों की योजना अपने हाथ में लेने की सोच रहा है।

पूर्वोत्तर भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल में भी महत्वपूर्ण विकास हो रहे हैं। इस क्षेत्र में दैवी विपत्तियों का आना एक स्वाभाविक बात है। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, यह क्षेत्र देश के उन भागों में से एक है जहाँ भूमिगत जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में चावल उगाने का कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस वर्ष हमारा वहाँ 8 लाख एकड़ में ग्रीष्म ऋतु में चावल उत्पादन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप 15 लाख टन चावल का उत्पादन एशिया में अधिकतम है। सरकार इसी प्रकार के कार्यक्रम उड़ीसा, त्रिपुरा, असम तथा बिहार के कुछ भागों में आरम्भ करने वाली है। इन कार्यक्रमों से काफी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यदि हम 15 या 20 लाख एकड़

भूमि पर यह कार्यक्रम चालू करें तो निश्चय ही इससे 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आगामी वर्षों में हम इस कार्यक्रम का विस्तार करेंगे। मुझे आशा है कि इससे कई सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएं सुलझ जाएंगी।

जहां तक वाणिज्यिक फसलों का सम्बन्ध है, हमने अपनी कपड़ा मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि की रूई का आयात किया है। परन्तु इस वर्ष हमने कपास की नई किस्म एम-4 का कार्यक्रम आरम्भ किया है तथा शीघ्र ही गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कपास क्षेत्रों तथा तामिलनाडु के कुछ भागों में कपास की किस्म एम० सी० यू० आरम्भ की जाएगी और आशा की जाती है कि इस वर्ष उत्पादन 10 लाख गाँठों से 12 लाख गाँठों तक हो जाएगा। किन्तु अधिक उत्पादन के फलस्वरूप हमें कीमत की समस्या का सामना करना पड़ेगा। यदि कीमत और विपणन के सम्बन्ध में हमें समुचित समर्थन प्राप्त हो जाए, तो हम निश्चय ही इस क्षेत्र में 2-4 वर्षों के भीतर आत्म निर्भर हो जाएंगे। गत वर्ष तिलहन का उत्पादन 92 लाख टन हुआ। इस वर्ष हालांकि विभिन्न कठिनाईयाँ पेश आई हैं तथापि यह आशा की जाती है कि उत्पादन में 10 लाख अथवा 5 लाख मीटरीक टन की ही कमी आएगी। इसलिए इस बारे में चिन्ता की कोई बात नहीं है।

तिलहन के क्षेत्र में एक नया और महत्वपूर्ण विकास हुआ है और वह है सोयाबीन। सोयाबीन न केवल एक तेल ही है अपितु प्रोटीन युक्त एक पौष्टिक आहार भी है। सरकार इसके उत्पादन पर ध्यान दे रही है।

सरकार ने सूरजमुखी के बीजों का प्रयोग भी आरम्भ कर दिया है। अभी तक सूरजमुखी की खेती वाणिज्यिक आधार पर आरम्भ नहीं की गई है। सूरजमुखी की खेती के लिए दक्षिण भारत की भूमि बहुत उपयुक्त है क्योंकि वहां तीनों मौसमों में सूरजमुखी की खेती हो सकती है। तिलहन की इस किस्म में 50 प्रतिशत तेल होता है। हम रूस तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों से जहाँ कि सूरजमुखी एक लोकप्रिय फसल है नड़े पैमानों पर इसके बीजों का आयात करने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सरकार का विचार आगामी मौसम में बहुत बड़े पैमाने पर सूरजमुखी के बीजों के उत्पादन का कार्यक्रम आरम्भ करने का है। हमें आशा है कि आगामी मौसम में 40,000 से 50,000 मीट्रिक टन तक सूरजमुखी तेल के उत्पादन में समर्थ होंगे।

पटसन के मामले में समने गहन पटसन उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ किया है और पश्चिम बंगाल जैसे संकट ग्रस्त क्षेत्र में पैकेज कार्यक्रम कर रहे हैं।

काफी बड़े क्षेत्रों में अब दालों के बजाय गेहूं की उपज की जा रही है। देश में इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह है एक दालों की उपज कभी भी सिंचाई की स्थिति में नहीं की जाती। ज्यों ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं किसान स्वभावतः अन्य फसलें पैदा करना चाहते हैं और करते हैं। सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है और हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है क्योंकि हमारी जनता के बहुत बड़े वर्ग के लिए चाहे वे शाकाहारी हों या मांसाहारी, दालें बहुत महत्व रखती है।

मोटे अनाज की मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में भी प्रश्न किया गया है। निश्चय ही इनके मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है पर उत्तर भारत की बाढ़ों, दक्षिण के अकाल तथा बंगला देश के शरणार्थियों के आगमन को दृष्टि में रखते हुए यह मूल्य वृद्धि नगण्य है कीमतें कभी हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं गई। खाद्य अर्थव्यवस्था सम्पूर्ण देश की अर्थ व्यवस्था का भाग है। यदि सामान्य अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फीति होती है, तो इसका खाद्य अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। कीमतों में वृद्धि का कारण मुद्रा बाहुल्य है। कई राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी दोष रहित नहीं है। राज्यों में समुचित रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुगठित बनाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में उड़ीसा राज्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस राज्य के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि यह देखें कि वहाँ के निर्धन वर्ग को आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है अथवा नहीं।

आज भी अत्यधिक उत्पादन के फलस्वरूप देश के लाखों लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। हमें लोगों की क्रयशक्ति को बढ़ाना है। मेरा मंत्रालय यह सोच रहा है कि अधिक उतपादन द्वारा वह अधिक लोगों को रोजगार देने में समर्थ होंगे, किन्तु इसमें कुछ प्रशासनिक कठिनाईयां हैं।

इस वर्ष वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से गेहूँ के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। सरकार ने गेहूं तथा गेहूं उत्पादन विकास परिषद की स्थापना करने का निर्णय किया है ताकि उन क्षेत्रों में भी गेहूं की खपत में वृद्धि की जा सके जहां मुख्य रूप से चावल या मोटे अनाज का सेवन किया जाता है। हमारे सरकारी क्षेत्र के संगठन इस संबंध में सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। कोचीन-मद्रास में माडर्न बेकरीज 101 प्रतिशत क्षमता से कार्य कर रही है और आशा है कि इस वर्ष देश में इस बेकरी के विभिन्न एककों से 47 लाख रुपये का लाभ होगा। मेरे मंत्रालय ने बड़ी तथा मध्यम प्रकार की बेकरियों को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है ताकि लोगों को भोजन देने के लिए गेहूं का अधिकाधिक प्रयोग किया जा सके।

जहां तक सहकारी क्षेत्र में उर्वरकों के उत्पादन का सम्बन्ध है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति को प्रतिवर्ष क्रमशः 30,000 टन अमोनिया, 3,96,000 टन यूरिया और 4,75,200 टन एन० के० पी० उत्पादन करने का लाइसेंस दिया गया है। अब कलोल में एक यूरिया और अमोनिया संयंत्र तथा कांडला में एक के० एन० पी० संयंत्र की स्थापना की जाएगी। आशा है यह 1973-74 तक पूरे हो जाएंगे।

गैर सिंचित क्षेत्रों में शुष्क खेतों की समस्या को हल करने के लिए सरकार कई कार्यक्रम शुरू कर रही है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क उष्ण भूमि के लिए हैदराबाद में एक अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का गठन किया जा रहा है। इस संस्थान का गठन इस क्षेत्र में इस कारण किया गया है कि यहाँ पर मोटे अनाजों का परीक्षण अच्छी तरह हो सकता है।

मैं इस सभा को आश्वासन देता हूँ कि माल गोदामों की कमी के कारण वसूली कार्य पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सारा अनाज मण्डी में लाया जाए और अतिरिक्त स्टाक के भंडार के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए जाएंगे।

रूई विपणन के सम्बन्ध में रूई का वसूली मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। उत्पादन कार्यक्रमों और रूई के विपणन के लिए रूई निगम बड़े पैमाने पर समर्थन करेगा।

नारियल के सम्बन्ध में एक अत्यन्त प्रभाती विपणन संगठन की आवश्यकता है। हम यह देखने का यत्न करेंगे कि किस प्रकार नारियल उत्पादकों को आवश्यक सहायता दी जा सकती है।

उत्तरप्रदेश में एक अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कहा गया है। पहले हमने यह निर्णय किया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक कृषि विद्यालय होगा लेकिन उत्तर प्रदेश के आकार को देखते हुए उसमें एक अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मन्त्री महोदय उत्पादन वृद्धि के सम्बन्ध में संतुष्ट जान पड़ते हैं किन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ जहाँ एक ओर कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, वहाँ दूसरी ओर उड़ीसा में भुखमरी तथा अकाल के कारण असंख्य लोगों की मृत्यु भी हुई है। 12 दिन तक लोग भूख हड़ताल पर रहे। यदि उड़ीसा में उत्कल कांग्रेस तथा स्वतन्त्र पार्टी की प्रतिक्रियावादी संयुक्त सरकार अपने ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं ले रही है, तो क्या केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह उड़ीसा के लिए तत्काल अनाज पहुँचाने की व्यवस्था करे। केन्द्रीय सरकार उड़ीसा में व्याप्त भुखमरी तथा अकाल के प्रति कठोर एवं उपेक्षाजनक रवैया अपना रही है।

चीनी का उत्पादन भी 42 लाख टन से घट कर 40 लाख टन हो गया है और लगता है कि यह उत्पादन इस वर्ष और भी कम होगा। मन्त्री महोदय का कहना है कि वह चीनी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। किन्तु गन्ना उत्पादकों की इस मांग का क्या होगा, जिसमें उन्होंने गन्ने की कीमत बढ़ाकर 100 रुपये प्रति टन करने का निश्चय किया है। मन्त्री महोदय को न्यूनतम कीमत निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

मन्त्रालय के प्रतिवेदन के पृष्ठ 30 पर कहा गया है कि उठाऊ सिंचाई के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से हम पूरी तरह सन्तुष्ट हैं और दूसरी ओर प्रतिवेदन में कहा गया है कि भूमिगत जल योजनाएं अभी प्राप्त होनी हैं। यह कैसा विरोधाभास है। उड़ीसा में कुल 1,36,240 एकड़ भूमि में नमक का उत्पादन किया जाता है। इस भूमि में से सरकारी क्षेत्र में 3,979 एकड़ भूमि तथा सहकारी क्षेत्र में 8,798 एकड़ भूमि है। नमक तैयार करने वाली कुल भूमि में से 1,23,487 एकड़ भूमि अर्थात् कुल नमक वाली भूमि का भाग गैर सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। नमक श्रमिकों की खून पसीने की कमाई का लाभ थोड़े से लोग उठा रहे हैं। अब गैर सरकारी क्षेत्र को अधिक भूमि नहीं दी जानी चाहिए और जो भी भूमि दी जाए वह केवल नमक श्रमिकों की सहकारी समितियों को दी जाए।

उड़ीसा में 30 लाख एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। इसे आदिवासियों, हरिजनों तथा भूमिहीन खेतिहरों में बांटा जाना चाहिए।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) : मैं कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मन्त्रालय का सम्बन्ध कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता और वनों आदि से है। इस विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सम्भव है।

भारत में 80 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यह आलोचना की गई है कि मन्त्रालय सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है, यह आरोप लगाना उचित नहीं है। हरित-क्रान्ति द्वारा हम कृषि में आत्म निरर्भता प्राप्त कर रहे हैं। अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि हमने पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात बन्द कर दिया है और अब हमें अन्य देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक इस सम्बन्ध में बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं अपनी सफलताओं के लिए वह निश्चय ही बधाई के पात्र हैं।

हमने खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भता प्राप्त कर ली है। 1970-71 में 1070 लाख टन खाद्यान्नों की वसूली हुई। पिछले वर्ष गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया। हमारा कर्तव्य है कि चुनाव के दौरान दिये गए आश्वासनों को पूरा करें। पिछले सत्र के दौरान प्रिवीपर्स समाप्त कर दिए गए, उससे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। जब तक भूमि-सीमा निर्धारण अधिनियमों को तुरन्त लागू नहीं किया जाता, हम जनता को दिए गए अपने वचनों को पूरा नहीं कर पाएंगे।

यद्यपि तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश एक ही राज्य है, तथापि तेलंगाना अभिधृति अधिनियम को, जो कि बहुत प्रगतिवादी है अभी तक आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र पर लागू नहीं किया गया है। मैं नहीं समझ सका कि इसके क्या कारण हैं।

किसानों को कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं। उन्हें खण्ड स्तर पर परीक्षित बीज तथा उर्वरक दिए जाने चाहिएं ताकि इस कार्य के लिए उन्हें दूर न जाना पड़े। गरीब तथा छोटे किसानों के लिए फसल बीमा भी आरम्भ किया जाना चाहिए। सतह जल का उपयोग आरम्भ किया जाना चाहिए। देहाती लोगों की आय शहरी लोगों की अपेक्षा बहुत कम है। जहाँ तक सीमा निर्धारण का सम्बन्ध है, देहाती तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समान सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। ऐसा करने पर ही सीमा निर्धारण अधिनियम को कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है अन्यथा देहाती तथा शहरी क्षत्रों के बीच विषमता बनी रहेगी।

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : मन्त्री महोदय ने कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि का उल्लेख किया है। मात्र उत्पादन में वृद्धि प्रगति की वास्तविक कसौटी नहीं है। हमें यह देखना है कि अधिक उत्पादन से क्या कृषकों और उपभोक्ताओं को कुछ लाभ हुआ है। यदि आप कृषकों की ओर ध्यान दें तो पता लगेगा कि उन्हें अधिक उत्पादन कारण के कोई लाभ नहीं पहुंचा है। इसका कारण यह है कि मन्त्रालय ने कृषि विकास के लिए एक विस्तृत समेकित एवं समन्वित कार्यक्रम नहीं बनाया है। कृषि क्षेत्र में कई समस्याएं जैसे ग्रामीण रोजगार, सिंचाई, विद्युत, उर्वरक, फसल नष्ट करने वाले कीड़े, बाढ़ तथा अकाल आदि व्याप्त हैं। किसानों को समय

पर वित्तीय सहायता नहीं मिलती और जब जब उन्हें पानी मिलता है, तो बिजली नहीं मिलती। बिजली मिलती है तो पानी नहीं मिलता। उन्हें या तो उर्वरक मिलते ही नहीं और यदि मिलते हैं, तो अपमिश्रित मिलते हैं। न ही उन लोगों को अच्छे एवं उत्तम बीज प्राप्त होते हैं। अतः उत्पादन के ऊचे आँकड़े देश की कृषि स्थिति का मूल्यांकन करने को कसौटी नहीं है। उत्पादन में इस बार वृद्धि दो मुख्य कारणों से हुई है। एक तो कृषक के अनथक प्रयासों के फलस्वरूप और दूसरी मौनसून के कारण। वर्षा समय पर हुई है, उत्पादन इस लिए बढ़ा। इस उत्पादन वृद्धि में सरकार का योगदान बहुत कम है। छोटे कृषकों के विकास की योजना समुचित नहीं है। खेतिहर मजदूर के लिए कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं निर्धारित की गई है। उत्पादन के सम्बन्ध में भी कोई योजना नहीं बनाई गई है। यदि एक वर्ष किसान को किसी फसल के बदले ऊंची कीमत मिल जाती है, तो अगले वर्ष भी वह उसी फसल को उगाता है। लेकिन उसे पहले जैसी कीमत नहीं मिल पाती और आपका मन्त्रालय इस सम्बन्ध कुछ भी करने में असमर्थ है।

देश में उपभोक्ताओं को लाभ नहीं होता। उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होता और चीनी तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। यह बात केवल अनाज के बारे में ही नहीं है वरन दालों, पटसन तथा अन्य नकदी वाली फसलों के मामले में भी है।

इस मन्त्रालय के लिए सर्वप्रथम और प्रमुख बात यह है कि कृषि की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक गहन और समायोजित दृष्टिकोण अपनाएं। मन्त्रालय को अकेले या खण्डशः ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय के साथ समन्वय रखना चाहिए।

ग्रामीण वित्त व्यवस्था की स्थिति भी बुरी है। किसानों को न तो कृषि प्रयोजनों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती है और न ही उपभोक्ता उद्देश्यों के लिए। राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता। इससे सहकारी बैंकों के कार्यचालन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि मन्त्रालय को उत्पादन के उच्च आंकड़ों को देखकर ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें ग्रामीण क्षेत्र की वास्तविक समस्याएं, जैसे ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण वित्त, ग्रामीण विद्युतीकरण सिंचाई आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना होगा जिससे कृषकों और उपभोक्ताओं—दोनों को लाभ हो।

Shri Vekaria (Junagadh): After so many years we are hearing in the Parliament that we are self sufficient in food grains. For this I thank all concerned, but one thing I will say that an estimte regarding export requirments and storage of food grains should be made in advance so that the producer may get remumerative price for his produce. Proper arrangements should be made for marketing the agricultural produce.

For fixing the price of agricultural produce, tractors, fertilisers etc., a farmer should be included in the Agricultural Price Commission.

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

Shri K. N. Tiwari *in the chair*

I am not against land ceiling but it should be imposed only when there is ceiling on urban propery also, so that the farmers may not feel that injustice is being done towards them. So I will suggest that land and urban property ceiling should be imposed simultaneously.

The small and marginal farmers should get the banking facilities and they should be given loans for dairy, poultry etc. so as to increase their income.

For making Community development programme a success, Gram Panchayats and Co-operatives should be given assistance. Government should introduce crop insurance scheme so that the farmers may get compensation in the event of the failure of crop due to flood, famine or drought.

श्री डी० डी० दसाई (कैरा) : मन्त्री महोदय ते बताया है कि पिछले वर्ष 100 करोड़ रुपये की रुई का आयात किया गया पर इस वर्ष हमारे पास रुई फालतू है और अभी तक रुई उत्पादकों के पास बड़ी मात्रा में रुई पड़ी है। रुई निगम रुई खरीदने के सम्बन्ध में दुरंगी चाल चल रहा है। एक ओर तो उसका कहना है वह रुई का भण्डार उठा रहा है और दूसरी ओर कहता है कि वह उन्हें निपटाना चाहता है। हमें रुई का आयात यथाशीघ्र बन्द कर देना चाहिए क्योंकि अब हम आत्म निर्भर हो गये हैं।

रुई और तिलहन उत्पादकों को ऋण पर्याप्त मात्रा में दिए जाते हैं जबकि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को अधिक ऋण दिया जाता है। छोटे उद्योगों के साथ भी हमारा यही रवैया है।

हमें देश भर में मिट्टी और पानी का विश्लेषण करने की योजना चालू करना चाहिए, इससे हमारी फसलों में जो खाद्य सम्बन्धी कमी है वह उर्वरकों आदि के उपयोग से दूर हो जाएगी।

अब मैं मवेशियों के प्रश्न पर आता हूं। इस सम्बन्ध में हमें इजराइल से, जिसने इस समस्या को सफलता पूर्वक हल किया, मवेशियों की नस्ल सुधारने की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वहाँ ऐसी-ऐसी गायें हैं जो साल भर में 10 टन दूध देती हैं। उन्होंने इस प्रकार की नस्लें विकसित की हैं, जो भारत जैसे शुष्क जलवायु वाले देश के लिए बहुत उपयुक्त हैं।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बेल्लारी) : भारतीय कृषि का यह एक ऐतिहासिक वर्ष है। इस बार पहली बार हमने पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात करना बन्द किया है। हमारा आयात 1036 लाख मीट्रिक टन से घट कर 210 लाख मीट्रिक टन रह गया है तथा वसूली 40 लाख मीट्रिक टन बढ़ कर 90 लाख मीट्रिक टन हो गई है। परन्तु जो समस्या हमारे सम्मुख आ रही है वह यह है कि वितरण की मात्रा गिर रही है। वह 140 लाख मीट्रिक टन से घटकर 70 लाख मीट्रिक टन रह गई है। पिछले वर्ष 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की वसूली हुई और इस वर्ष 65 लाख मीट्रिक टन की। परन्तु वितरण निरन्तर गिर रहा है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह हरित-क्रान्ति गेहूं तक ही सीमित नहीं रहेगी, वरन यह चावल तथा अन्य फसलों में भी आयेगी। पर वितरण गिर रहा है तब इस सबका क्या होगा। इस गिरावट का कारण यह है कि जिस मूल्य पर अनाज उचित मूल्य की दूकानों पर मिलता है उसी मूल्य पर खुले बाजार

में भी मिलता है। फिर गेहूं और चावल के वितरण मूल्य में इतना अन्तर क्यों रखा गया है। चावल का 25 से 29 रुपये अधिक वितरण मूल्य लिया जाता है जब कि गेहूं का केवल 2 रुपये। उत्तर देते समय मन्त्री महोदय इस अन्तर का कारण बताएं।

कुछ वस्तुओं जैसे ज्वार बाजरा आदि का उत्पादन घटता-बढ़ता रहता है। आन्ध्र, उड़ीसा तथा असम आदि प्रान्तों में, जो चावल उत्पादक राज्य हैं, चावल का उत्पादन गत चार वर्षों से गिर रहा है जबकि अन्य चावल का उत्पादन न करने वाले राज्यों जैसे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में इसका उत्पादन बढ़ रहा है। सरकार द्वारा अपनाई जा रही हरित क्रान्ति की नीति से उत्पादन में निस्सन्देह वृद्धि होगी पर इससे क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ रहा है, जिसका परिणाम अगले तीन चार साल में नजर आयेगा।

सूखी खेती के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी बातें कही जाती रही हैं, पर इस दिशा में क्या कार्य किया गया है?

इस वर्ष पहली मार्च को सरकारी गोदामों में 94 लाख मीट्रिक टन गल्ला था। अप्रैल-मई में हम 18 लाख मीट्रिक टन वितरण के लिए दे सकते हैं। फिर भी हमारे पास 56 लाख मीट्रिक टन का स्टाक रह जायेगा। हमारा विचार 65 लाख मीट्रिक टन गेहूं की वसूली करने का है जो कि छ: सप्ताह में किया जाना है। हमारे पास मई के अन्त तक 81 लाख मीट्रिक टन भण्डार की क्षमता होगी जबकि उस पर भार 120 लाख मीट्रिक टन का पड़ेगा। 10 लाख मीट्रिक टन भण्डार की क्षमता बढ़ाने पर भी हमें 30-40 लाख मीट्रिक टन भण्डार क्षमता की आवश्यकता रहेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि गल्ला खुल्ले स्थान पर रखना पड़ेगा। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अतिरिक्त गल्ले को रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय वसूली मूल्य और न्यूनतम मूल्य के अन्तर के अर्थ को स्पष्ट करें।

कृषि मूल्य आयोग केवल खरीफ की फसल, रुई अथवा पटसन और गेहूं के मूल्यों के सम्बन्ध में ही अपना प्रतिवेदन तैयार न करे वरन् उसे सभी वस्तुओं के मूल्यों का प्रतिवेदन तैयार करने को कहा जाये, जिसमें यह भी बताया जाये कि सापेक्ष मूल्य क्या होगा, वस्तुगत ढाँचा क्या होगा, वितरण व्यवस्था कैसी होगी, सरकार कितनी वसूली करेगी तथा उसका क्या उपयोग किया जायेगा। आशा है सरकार इस सम्बन्ध में समय रहते कार्रवाई करेगी।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : देश में आई हरित क्रान्ति के लिए इंजीनियर, वैज्ञानिक और किसान प्रशंसा के पात्र हैं। पर यह क्रान्ति देश से कुछ भागों में ही आई है। जबकि पंजाब, हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में कृषि में प्रगति हुई है अन्य क्षेत्रों में ऐसी प्रगति नहीं हुई है। सरकार को देश भर में समान प्रगति लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

हम गेहूं के सम्बन्ध में तो आत्मनिर्भर हो गए हैं पर चावल के सम्बन्ध में, जिसका उपयोग 50 प्रतिशत लोग करते हैं, ऐसा नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों नहीं किया गया।

हमें हरित क्रान्ति के साथ डेरी मत्स्य पालन, सब्जियों की उपज आदि का भी विकास करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। सरकार को वन सम्पति की ओर, जो यहां प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।

दक्षिण में भी कुछ अनुसन्धान केन्द्र खोले जाने चाहिएं, जिससे कि दक्षिण के प्रगतिशील किसान उसका लाभ उठा सकें।

तेलंगाना क्षेत्र बड़ा ही उपेक्षित क्षेत्र है अतः मैं चाहता हूं कि मेरे इस उपेक्षित क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया जाये।

Shri Chakleshwar Singh (Mathura) : Our Country which has more than 80 percent of its population depending on agriculture, at last became self sufficient in respect of food grains. For this, I am thankful of our scientists, engineeres and farmers. I am thankful to the Minister for not reducing the procurement price of wheat.

There is enough cultivable land in the country. For this a survey should be conducted. This extra land will play a great role in becoming self sufficient in food grains.

Proper attention should be paid to the small farmers so as to give them proper price for their produce. They should be saved from middlemen and Co-operative Societies. There is so much irregularities in these Societies that even without taking any loan these small farmers have been made debtors. They are being looted in the name of Co-operative movement.

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) : Mr. Chairmen, Sir, it is a matter of pleasure that our country has become seff-sufficient in foodgrains. The Ministry of Agriculture deserves all praise for this wonderful achievement.

Sir, I hail from urban area and, therefore, I am fully alive of the difficulties of poor villagers. The financial condition of the farmer is pitiable. He is not getting loan according to his needs. Many a time he has to mortgaze his fertile land and crop to get loan from a money-lender. Thus when once he falls into the trap of the money-lender, the process of life long exploitation starts. If this exploitation of farmers continues, how can we usher the era of socialism ?

Secondly, I want to draw your attention to Purnea and Saharsa districts. More than 80 percent farmers hare lost their oxen. They have no money to purchase oxen. How could agriculture operation be possible without oxen ? The Government should take immediate steps so that farmers could have oxen. At the same time, it is suggested that tractors of 10-15 H. P. shoud be produced so that farmers with smaller holdings could make use of them. The Agro-Industry Corporation of Bihar has submitted an application to get permission for manufacture of small agricultural implements. The requisite permission may be accorded at the earliest.

The fertilizer is being used in abundance but proper attention should be given to its evil effects also. At the same time I wish to add that adequate fertilzer should be supplied to Bihar so that it can cater to the needs of the State.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I simply wish to state that we should not export bananas and mangoes even if we have to lose some foreign exchange. The export of these fruits should be banned.

श्री एस० बी० पाटिल (बागलकोट) : सभापति महोदय, जो थोड़ा सा समय मुझे दिया गया है उसमें मैं केवल खाद्यान्नों के मूल्य, खरीद मूल्य, रूई की बाजार में बहुलता और भूमि सुधार आदि के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

मैसूर राज्य में उत्पादन मूल्यों का जो अध्ययन किया गया था उसके अनुसार कृषि उत्पादन करने की दर 800 रुपया प्रति एकड़ बनती है। औसतन उपज 12 क्विटल पड़ती है। अतः कृषि उत्पादन और खाद्यान्न बिक्री मूल्य का हिसाब किताब लगाने के बाद, किसान को केवल 112 या 120 रुपये मिलते हैं। अतः वर्तमान निर्धारित मूल्य बहुत कम हैं। कृषि मूल्य आयोग को खाद्यान्नों के पारिश्रमिक मूल्य निर्धारित करने के बारे में विचार करना चाहिये। पंजाब विश्व-विद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा भी इस समस्या का अध्ययन हरियाणा राज्य के परिपेक्ष में किया गया है। वहां भी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पारिश्रमिक की तुलना में कम बैठते हैं। भारतीय खाद्य निगम के ब्यौरे के अनुसार गेहूं का क्रय मूल्य 76 रुपये प्रति क्विटल बनता है। परन्तु इसकी ढुलाई आदि की कीमत मिलाकर निगम को यह लगभग 101.90 रुपये प्रति क्विटल पड़ता है परन्तु निगम इसे राज्यों को 78 रुपये प्रति क्विटल की दर से बेचता है। अतः इस प्रकार गेहूं उत्पादकों को सरकार से 25 या 26 रुपये प्रति क्विटल की सहायता प्राप्त हो रही है जब कि चावल ज्वार और तिलहन का उत्पादन करने वालों को सरकार से एक पैसे की सहायता भी नहीं मिल रही है।

जहां तक रूई की बहुलता का प्रश्न है, इसे आवश्यक वस्तु घोषित किया जा चुका है। परन्तु फिर भी इसके उत्पादन, वितरण, उपभोग आदि पर सरकार का काफी नियंत्रण रहा है। यह खेद की बात है कि इसके बावजूद भी इससे अपेक्षित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है। इसके दुष्परिणाम भी बेचारे उत्पादकों और उपभोक्ताओं को ही भुगतने पड़े हैं। अतः सरकार को रूई के स्टाकों का निपटारा करने के लिय तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

गत कई वर्षों से देश में भूमि सुधारों का ढोल भी जोरों से पीटा जा रहा है परन्तु अभी तक न केन्द्र और न ही राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है। इस दिशा में प्रभावी कानून बनाने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों पर दबाव डालना चाहिये। मैं समझता हूँ कि बागानों को भी अधिकतम सीमा से छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Ramkanwar (Tonk) : I congratulate the farmers who increased the food production with their hard labours.

Attention is needed to be paid to the small scheduled caste farmers. The agricultural labour have so far escaped the attention of the Government. Nothing is being done to increase their wages. The Government has not provided the facilities of wells and tubewells to the scheduled caste farmers of Rajasthan. The lakhs of acres of Government barren land under the Forest Department could be allotted to these harijan farmers.

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : बिहार में अधिकाँश किसान छोटे किसान हैं। बिहार सरकार को आदेश दिया जाना चाहिए कि जमीन की चकबन्दी की योजना दो वर्ष के भीतर पूरी की जानी चाहिए। वहां के किसानों को सिंचाई की सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहियें। बिहार राज्य की खाद की माँग 2 लाख टन है जबकि केन्द्रीय सरकार केवल 41,000 टन ही प्रदान करती है। अधिक खाद की मांग पूरी की जानी चाहिए। इसी प्रकार इस राज्य की ट्रैक्टर की बढ़ती हुई मांग को भी पूरा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ आशाओं के अनुसार गरीब किसानों को आढ़तियों के शोषण से मुक्त नहीं करा सका। इस मंत्रालय की हिन्दी और अंग्रेजी में छपने वाली मासिक पत्रिका उर्दू में भी प्रकाशित की जानी चाहिए।

जमीन की चकबन्दी योजना पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। बिहार में छोटी सिंचाई योजना भी शीघ्र लागू की जानी चाहिएं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : इस थोड़े से समय में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि देश में कृषि का नाश हो चुका है। आज कृषि का विशेषज्ञ किसान नहीं बल्कि किसी और को समझा जाता है। हरित क्रांति जैसी मुझे-कोई चीज नजर नहीं आती। मुझे लाल क्रांति आने के लक्षण जरूर नजर आते हैं क्योंकि सरकार का दृष्टिकोण ग्राम विरोधी है।

क्या चीनी 4 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं 125 रुपये प्रति क्विंटल बाजार में नही बिक रहा है? क्या यह आत्मनिर्भरता का कोई तरीका है? क्या हमारे पास जल तथा खाद के पर्याप्त साधन हैं?

सभी विकासशील देश अपने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए उन्हें यथासम्भव प्रोत्साहन अथवा समर्थन प्रदान करते हैं। हमारे देश में अन्न का मूल्य निर्धारित करने के लिये किसानों की कोई आवाज नहीं है।

भूमि सुधार की इन्हें जल्दी क्या है? क्या ये कृषि आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? सरकार लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहती है। क्या 10 से 18 एकड़ की जमीन द्वारा किसान अपने बच्चों को शिक्षित करके रोजगार पर लगा सकेंगे? इस भूमि सीमा से किसान को कितनी आय होगी, क्या सरकार ने इसकी जाँच की है? क्या इन्होंने चरान्द तथा ईंधन के बारे में कुछ सोचा है? क्या उस जमीन के फिर से टुकड़े होंगे, जिसकी देश भर में अब तक चकबन्दी हो चुकी है।

मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय भूमि सुधार के बारे में एक वक्तव्य दें। उद्योगों के लिए 300 से 400 एकड़ तक निःशुल्क जमीन दी जाती है। क्या विषमता दूर करने का यह कोई तरीका है? शहरी सम्पत्ति की सीमा तै करने के बारे में क्या हमने गम्भीरता से विचार किया है? आज सरकार किसानों को नाश करने पर क्यों तुली है?

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat) : The farmers are not represented on the Committees and Commissions on Agriculture. There are disparities in the country but the attention of the Government has only been focussed towards farmer and his land. If we have to bring about real socialism, we will also have to put ceiling on expenditure also.

It is propsed to fix the land ceiling between 10 and 18 acres in the cases of those who irrigate their land through Government sources. It is not poor farmers but only the Birlas who can afford to irrigate their farms through private sources and those who irrigate their land through Government sourcss are not able to own more than 10 to 18 acres of land. Is it not injustice to a poor farmer ? Big industrialists and Government officers are owning and maintaining their farms with their black money and escape from the proposed ceiling law. Ceiling is required to be fixed in other spheres also. The farmer is a victim of discrimination in other spheres also and will be doing justice to him if we remove these prevailing discriminations. The farmers can not unite and launch agitation to press their demands. Today no attention is paid to the voice of farmers.

The land of farmer in the surroundings of Delhi is acquired on very low rates for setting up industries and sold by the rich people on very high rates.

Farmers are facing other types of difficulties like taxes on wealth and agricultural produce which has caused great resentment among them. Under the existing circumstances, the green revolution may be substituted by the red revolution with the passage of time.

***श्री जे० एम० गौडर (नीलगिरि)** : अथक परिश्रम द्वारा देश के आर्थिक विकास के प्रति सक्रिय योगदान देने के लिए किसानों को बधाई देना हमारा कर्त्तव्य है ।

वर्ष 1965-66 में हमें एक अपूर्व सूखे तथा दुर्भिक्ष का सामन करना पड़ा और दुनिया भर में हमने अनाज के लिए दौड़-धूप की । इसका कारण यह था कि वर्षा समय पर नहीं हुई ।

कृषि के लिये मौनसून की निर्भरता कम करने के लिये हमें भूमि जल साधनों को जुटाने के प्रयत्न करने चाहियें । छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये ।

हमारे किसान अब लगातार वर्षा के लिये आसमान की ओर नहीं देख सकते । 1965-66 सरीखे सूखे और दुर्भिक्ष के लिये हमें पहले ही योजना बनानी चाहिये । मेरा सुझाव है कि एक राष्ट्रीय फसल आयोजन बोर्ड की स्थापना की जाये ।

सहकारी संस्थाओं को उचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ताकि कृषि क्षेत्र में वह अपना अंशदान दे सकें ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : The agricultural policy of the Government is defective as a result of which cloth farmers and the consumers are dissatisfied. The representation of farmers in the Agricultural Price Commission is also essential with a view to encourage him what changes are proposed to be introduced with a view to encourage farmer so that he could contribute towards improving the economy of the country? The farmers are not getting the prices of sugarcane as a result of which they are dissatisfied.

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : कृषि मन्त्रालय की मांगों सम्बन्धी चर्चा के दौरान अनेक माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूँ । कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों पर गर्व करने के कुछ कारण हैं । किसान, वैज्ञानिक, आयोजक तथा हमारा कृषि विभाग आदि सभी इन उपलब्धियों के लिये बधाई के पात्र हैं । वर्ष 1969-70 में 1968-69 की तुलना में कृषि पैदावार में 7.1 प्रतिशत वृद्धि हुई और 1970-71 के दौरान 1969-70 की तुलना में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई । दोनों वर्षों में योजना आयोग द्वारा निश्चित लक्ष्य से 5 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ । हमें बंगला देश से आये शरणार्थियों को भी पालना पड़ा और अब भी बंगलादेश को अनाज भेजना पड़ रहा है ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर ।
Summaried translatsd version based on English translation of a speech delivered in Tamil.

हमने वह घोषणा पूरी कर दी है जो हमने 5 वर्ष पहले की थी कि हम विदेशों से रियायती आयात बंद करेंगे। गेहूं के अलावा अन्य खाद्यान्नों में भी हम दो से तीन वर्षों के दौरान आत्म-निर्भर होने की आशा रखते हैं।

चालू वर्ष के दौरान 2 करोड़ 70 लाख टन गेहूं पैदा होने की आशा है जबकि 1970-71 के दौरान 2 करोड़ 32 लाख टन पैदा हुआ। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में सोयाबीन की खेती का कार्यक्रम बनाया गया है।

वर्ष 1972-73 के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मैसूर में 1.4 लाख हैक्टेयर भूमि को विशेष कार्यवाही कार्यक्रम के अंतर्गत लिया जायेगा।

तेल की सप्लाई को बढ़ावा देने के लिये बिनौले पेरने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

देशी कपास की उपज को बढ़ाने तथा आयात को कम करने के लिये नये कदम उठाये जा रहे हैं। तेरह जिलों में, जिनमें 6 सिंचित क्षेत्र में हैं, व्यापक कपास कार्यक्रम लागू किया गया है। विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप 1971-72 का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 10-12 लाख बढ़ गया है।

पटसन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 1972-73 से व्यापक पटसन जिला कार्य-क्रम तैयार किया गया है।

गेहूं और कपास के रिकार्ड उत्पादन से नई समस्याएं पैदा हो गई है। इस वर्ष हमें 65 लाख टन गेहूं की उगाही करनी पड़ेगी जिसकी खरीद, भंडार में रखने तथा माल की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

एक माननीय सदस्य ने अन्न के भंडार करने की अपर्याप्त व्यवस्था के बारे में कहा है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि भारत के खाद्य निगम, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन तथा राज्य सरकारों की संयुक्त भंडार क्षमता 142 लाख टन है। भारत के खाद्य निगम की भंडार क्षमता 81 लाख टन है। हमारी भंडार क्षमता में 20-30 लाख टन की कमी है।

पिछले वर्ष अधिक गेहूं की उगाही के कारण हमें कठिनाई हुई थी क्योंकि हमने 40 लाख टन के स्थान पर 51 लाख टन गेहूं खरीद लिया था। इस वर्ष की बढ़ी हुई अनाज की खरीद के लिए हमने व्यवस्था करनी है।

खरीद की व्यवस्था में भी हम सुधार करने की चेष्टा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आढ़तियों की व्यवस्था के स्थान पर हम या तो सीधे किसानों से अथवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खरीद की नीति अपना रहे हैं।

परिवहन के मामले में हमें कुछ कठिनाई रही। हम रेलवे मंत्रालय से सम्पर्क बनाए हुए हैं। कमी के क्षेत्रों में शीघ्र माल पहुंचाने के लिये सभी सम्भव उपायों की व्यवस्था कर रहे हैं।

गेहूं का खरीद मूल्य तथा बिक्री मूल्य ऐतिहासिक आधार पर तय किये गये थे। आयातित गेहूं सस्ते मूल्य पर बेचा जाता था। हम मूल्यों को बनाए रखना चाहते थे।

खरीद मूल्य के बारे में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है जिसके आधार पर किसान के लिए उचित उत्पादन मूल्य निर्धारित किया जा सके। हम एक संस्था का गठन कर रहे हैं, जो उचित उत्पादन दर की जांच करेगी।

डॉ० राव के आयोजित फसल पद्धति के सुझाव पर हम कार्यवाही कर रहे हैं।

खरीद मूल्य फसल बोयी जाने से पूर्व निश्चित करने के लिये हम गेहूं के उत्पादन मूल्य को शीघ्र तय कर रहे हैं।

सहकारी संस्थाओं द्वारा पिछली फसल में खरीद 38 प्रतिशत हुई थी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को पूरी खरीद करने को कहा गया है। कुल मिलाकर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 50 प्रतिशत खरीद की जायेगी।

इस समय धान, ज्वार, बाजरा, मकई, रायी तथा पटसन के लिए समर्थन मूल्य इस समय नियत हैं। चीनी के कारखानों के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य नियत रहता है।

सोयाबीन के लिये 1969-70 में 85 रुपये प्रति क्विन्टल समर्थन मूल्य था। दिसम्बर, 1971 में भारत सरकार ने निश्चय किया कि उसे 120 रुपये पर खरीदा जाये। विभिन्न फसलों का मूल्य कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से नियत किया जाता है।

कपास का उत्पादन बढ़ने से उसके मूल्य घट गये। भारतीय रूई निगम से पूर्व निर्धारित मूल्यों पर खरीद करने को कहा गया है तथा उन्हें कहा गया है कि माल को रोके रखें जिससे उसका मूल्य न गिरे।

सदस्यों द्वारा भूमि सुधारों की प्रगति पर चिन्ता व्यक्त की गई है। केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने उच्चतम सीमा के लिये व्यक्ति के स्थान पर परिवार को इकाई मानने की सिफारिश की है। मैंने सितम्बर, 1971 में सभी मुख्य मंत्रियों को समिति की सिफारिशों के आधार पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने को कहा है। मैंने पुनः उन्हें विधान-सभाओं के वर्तमान सत्र में ही इस सम्बन्ध में कानून बनाने को कहा है। मुख्य मंत्रियों के साथ 14 अप्रैल की वार्ता में उच्चतम सीमा सम्बन्धी प्रस्तावित उपबन्धों में छूट सन्बन्धी अधिकांश व्यवस्थाओं को समाप्त करने पर सहमति थी।

वास्तविक धार्मिक अथवा धर्मार्थ ट्रस्टों को वार्षिकों देने का प्रस्ताव है जिससे जिस उद्देश्य से उनकी स्थापना हुई है, उसमें बाधा न आए।

केन्द्रीय सरकार उच्चतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को भूतलक्षी बनाने के पक्ष में है। कुछ राज्यों ने पहले ही इस बारे में व्यवस्था की है। केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के

अनुसार उच्चतम सीमा सम्बन्धी कार्यों में कुछ प्रगति हुई है। केरल और पश्चिम बंगाल के कानून पहले ही उनकी सिफारिशों के अनुरूप हैं। बिहार, जम्मू-काश्मीर और मध्य प्रदेश में उच्चतम सीमा सम्बन्धी कानूनों में संशोधन किये गये हैं। आशा है कि अन्य राज्य भी उनका अनुकरण करेंगे। हाल के मुख्य मंत्री सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों का रवैया अनुकूल था।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव : उच्चतम सीमा के निर्धारण पर हमें कितनी भूमि उपलब्ध होगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह महत्वपूर्ण प्रश्न मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी उठाया गया था। मैंने राज्यों से आंकड़े मंगाए हैं जिन्हें प्राप्त होने पर सदन को सूचित करूंगा।

4 **श्री राम सहाय पांडे :** रेलवे की भूमि की क्या स्थिति है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : रेलवे मंत्री ने उसे सौंपना स्वीकार किया है। हम उसका उचित उपयोग करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : बेकार पड़ी भूमि को भूमि विहीनों में वितरण करने के
483 बारे में क्या स्थिति है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम राज्य सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि सारी बेकार भूमि भूमि विहीनों, विशेषत: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों में वितरित
486 कर दें।

48 सीमा सम्बन्धी कानून बनाने के साथ साथ हम भूमि के वितरण कार्य को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारा अनुभव है कि केवल कानून बनाकर ही हम पिछड़े वर्गों की सहायता नहीं कर सकते। कानूनों का प्रभावी रूप में क्रियान्वित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। सरकार उनकी क्रियान्विति में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

छोटे किसानों के लिये हमारा उद्देश्य "उत्पादन वृद्धि और सामाजिक न्याय" है। किसानों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए एजेंसियां स्थापित की गई हैं जो संतोषजनक ढंग से चल रही हैं।

छोटा किसान विकास अभिकरण से 13.25 लाख तथा सीमांत किसान और कृषि श्रमिक अभिकरण में 6.95 लाख भागीदार हैं। उन्होंने 3400 छोटी सिंचाई इकाइयों तथा 9100 सहायक व्यवसायों की व्यवस्था की है। राज्य सरकारों के परामर्श से उपयोगी गोष्ठियों की व्यवस्था भी की गई है।

बेरोजगार तथा अर्द्ध रोजगार ग्रामीणों के लिये द्रुत कार्यक्रम की व्यवस्था है।

यह योजना 6 मास पूर्व आरम्भ की गई। गत वर्ष इस पर 30 करोड़ रुपया व्यय किया गया। इसके अंतर्गत 538 लाख मानव दिवस रोजगारों की व्यवस्था की गई। इसके प्रति राज्य में पर्याप्त रुचि तथा उत्साह है। इसे और उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिये सुधार किये जा रहे हैं।

सूखा वाले क्षेत्रों के लिए प्रभावों को कम करने की योजना शुरु की गई है। इसके अन्तर्गत 80 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकार की गई हैं जिनका 60 प्रतिशत लघु सिंचाई योजनाओं पर खर्च होगा 10 प्रतिशत वनरोपन पर और शेष 10 प्रतिशत सड़कों पर व्यय होगा। इन परियोजनओं के पूरा होने पर सूखा वाले क्षेत्रों की स्थिति में सुधार होने की आशा है।

चीनी के लिये दीर्घ कालीन नीति पर कोई विवाद नहीं है। चीनी उद्योग का भाग्य गन्ने पर निर्भर करता है। चीनी उद्योग जांच आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ चीनी के विकास के लिये अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। आयोग की रिपोर्ट 31 अगस्त, 1972 तक प्राप्त होगी।

Shri Krishna Chandra Pandey: The nationalisation of Sugar industry was descided in Bombay session.

Mr. Chairmen : The members wsih that it should be placed on the Table.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : चीनी उद्योग जांच आयोग की सिफारिशों के पश्चात ही सरकार राष्ट्रीयकरण की नीति तैयार करेगी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संकटग्रस्त चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। परन्तु यह मामला न्यायालय में है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से इस बारे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने को कहा है।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत

All the Cut Motions were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा कृषि मंत्रालय की वर्ष 1972-73 के लिये अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following demands of grants in respect of Ministry of Agriculure for the year, 1972-73 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
25	कृषि विभाग . . .	4,64,76,000
26	कृषि . . .	26,19,78,000
27	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियाँ . .	27,11,57,000
28	वन . . .	1,64,45,000
29	खाद्य विभाग . . .	1,00,34,59,000
30	सामुदायिक विकास विभाग .	41,78,000
31	सहकारिता विभाग . .	2,68,18,000
114	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद	1,32,20,14,000
115	कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	45,26,60,000

इसके पश्चात लोक-सभा बृहस्पतिवार 20 अप्रैल 1972/31 चैत्र, 1894 (शक) 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Shabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, April 20, 1972/Chaitra 31, 1984 (Saka)